महानगर नई दिल्ली मंगलवार 10 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास

तीन देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान

अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदायों को मिलेगा आवेदन का हक

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

लोकसभा ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है। विधेयक के पक्ष में 311 मत और विरोध में 80 मत पड़े। विपक्ष के कुछ संशोधनों पर मत विभाजन भी हुआ और उन्हें सदन ने अस्वीकृत कर दिया।

निचले सदन में विधेयक पर सदन में सात घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक लाखों करोड़ों शरणार्थियों के यातनापूर्ण नरक जैसे जीवन से मुक्ति दिलाने का साधन बनने जा रहा है। ये लोग भारत के प्रति श्रद्धा रखते हुए हमारे देश में आए, उन्हें नागरिकता मिलेगी। शाह ने कहा, 'मैं सदन के माध्यम से पूरे बाकी पेज 8 पर

विधेयक के पक्ष में **311** मत

विधेयक के विरोध में **80** मत

देश में एनआरसी आकर रहेगा और जब एनआरसी आएगा तब देश में एक भी घुसपैठिया बच नहीं पाएगा : अमित शाह

शिवसेना का हिंदू-मुसलिम में अदृश्य विभाजन का आरोप

मुंबई, 9 दिसंबर (भाषा)।

लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक (कैब) पेश किए जाने के मद्देनजर शिवसेना ने सवाल उठाए कि क्या हिंदू अवैध शरणार्थियों की चुनिंदा स्वीकृति देश में धार्मिक युद्ध छेड़ने का काम नहीं करेगी और उसने केंद्र पर विधेयक को लेकर हिंदुओं तथा मुसलिमों का अदृश्य विभाजन करने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने यह भी कहा कि विधेयक की आड़ में वोट बैंक की राजनीति करना देश के हित में नहीं है।

पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में एक संपादकीय में शिवसेना ने विधेयक के समय पर सवाल उठाते हुए कहा, 'भारत में अभी दिक्कतों की कमी नहीं है लेकिन फिर भी हम कैब जैसी नई परेशानियों को बुलावा दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि केंद्र ने विधेयक को लेकर हिंदुओं और मुसलिमों का अदृश्य विभाजन किया है।' साथ ही शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ पड़ोसी देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। शिवसेना ने बाकी पेज 8 पर

छात्रावास शुल्क वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जेएनयू छात्रों पर लाठीचार्ज

नई दिल्ली में सोमवार को छात्रावास फीस बढ़ोतरी के खिलाफ राष्ट्रपति भवन की ओर कूच करते हुए जेएनयू के छात्रों पर लाठी चार्ज करती पुलिस। फोटो : ताशी तोबग्याल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

छात्रावास शुल्क में बढ़ोतरी और नई नियमावली को वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के सैकड़ों विद्यार्थी राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च कर रहे थे। इस बीच विद्यार्थियों का आरोप है कि पुलिस ने भीकाजी कामा प्लेस पर उन पर लाठीचार्ज किया और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। अपनी मांगों को लेकर विद्यार्थी राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे। इस दौरान कुछ विद्यार्थियों के मामूली रूप से घायल होने की भी सूचना है।

जेएनयू परिसर से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालना चाहते थे विद्यार्थी, पुलिस के लाठीचार्ज से कुछ छात्र मामूली रूप से घायल हुए

पुलिस के अधिकारी के मुताबिक जेएनयू से विद्यार्थियों के मार्च से पहले काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। परिसर की ओर जाने वाली सड़कों पर यातायात रोक दिया गया था और विद्यार्थियों से अपील की गई कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें। विद्यार्थियों की ओर से दावा किया गया कि पुलिस ने मार्च शुरू होने से पहले जेएनयू के सभी प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया था। विद्यार्थियों ने 'दिल्ली पुलिस वापस जाओ' और 'सभी के लिए निशुल्क शिक्षा' के नारे लगाए। विद्यार्थी जब घेराबंदी वाले क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने बैरीकेड को पार करने का प्रयास किया जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया।

विद्यार्थियों की योजना विश्वविद्यालय परिसर से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की थी, जहां वे राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगने वाले थे। राष्ट्रपति जेएनयू के विजिटर भी हैं। विद्यार्थी चाहते थे कि राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप करें और सुनिश्चित करें कि छात्रावास शुल्क में बढ़ोतरी वापस ली जाए। अधिकारियों ने प्रदर्शनों की आशंका के चलते उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो बाकी पेज 8 पर

याचिकाओं पर आज से होगी सुनवाई

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को केंद्र द्वारा रद्द किए जाने के फैसले की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार से सुनवाई शुरू करेगी।

निजी व्यक्तियों, वकीलों, कार्यकर्ताओं और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस और माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारीगामी की याचिकाओं समेत अन्य याचिकाओं पर न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाले पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ मंगलवार को सुनवाई करेगा।

इस पीठ में न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बाकी पेज 8 पर

कर्नाटक उपचुनाव में भाजपा ने जीती 12 सीटें

बंगलुरु, 9 दिसंबर (भाषा)।

सत्तारूढ़ भाजपा ने कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सोमवार को 12 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया जबकि विपक्षी कांग्रेस ने दो और निर्दलीय ने एक सीट पर जीत हासिल की। विपक्षी दल कांग्रेस और जद (एस) के लिए नतीजे एक बड़ा झटका हैं।

पूर्व में हुए चुनाव में इन 15 सीटों में से 12 सीटें जीतने वाली कांग्रेस केवल दो निर्वाचन क्षेत्रों हुनासुरु और शिवाजीनगर में ही जीत हासिल कर पाई। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली जद (एस) ने विधानसभा चुनाव के दौरान इन 15 सीटों में बाकी पेज 8 पर

सिद्धरमैया और गुंडू राव ने दिए इस्तीफे

बंगलुरु, 9 दिसंबर (भाषा)।

कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सोमवार को बाकी पेज 8 पर

ढाई साल बाद सुनारियां जेल में हुई राम रहीम- हनीप्रीत की मुलाकात

चंडीगढ़, 9 दिसंबर (जनसत्ता)।

साध्वी यौन शोषण व पत्रकार हत्याकांड में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से उनकी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत रोहतक ने सोमवार को सुनारियां जेल में मुलाकात की।

जेल मैनुअल के अनुसार यह मुलाकात करीब 20 मिनट चली। मुलाकात के दौरान डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन शोभा इंसा और राम रहीम के तीन वकील भी मौजूद रहे।

इससे पहले डेरा मुखी राम रहीम और हनीप्रीत की मुलाकात 25 अगस्त, 2017 को हुई थी जब पंचकूला अदालत बाकी पेज 8 पर

बक्सर जेल को मिला फांसी के 10 फंदे तैयार करने का आदेश

पटना, 9 दिसंबर (भाषा)।

बिहार की बक्सर जेल को इस सप्ताह के अंत तक फांसी के 10 फंदे तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि ये दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया मामले के दोषियों के लिए हो सकते हैं।

कयास लगाए जा रहे कि इनका निर्भया मामले से हो सकता है संबंध

बिहार की बक्सर जेल राज्य की एकमात्र ऐसी जेल है जिसे फांसी का फंदा बनाने में महारत है। इस आशय का निर्देश पिछले सप्ताह प्राप्त हुआ था। हालांकि जेल प्रशासन को यह नहीं पता कि फांसी के इन फंदों के लिए मांग कहां से और किस उद्देश्य से की गई है। बक्सर जेल के अधीक्षक विजय कुमार अरोड़ा ने बताया कि हमें पिछले सप्ताह जेल निदेशालय से 14 दिसंबर बाकी पेज 8 पर

रेल रियायत रियायती लाभ उठाने वालों में 21 फीसद का जन्म 1947 के बाद

आजादी के बाद जन्मे लोग भी स्वाधीनता सेनानी

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

रेलवे में तीन वर्ष के दौरान 87,584 यात्रियों ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आरक्षण कराया और 1041.86 करोड़ रुपए की रियायत का लाभ उठाया, जिसमें से बड़ी संख्या 1947 के बाद पैदा हुए लोगों की थी। रेलवे वित्त संबंधी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से यह जानकारी प्राप्त हुई है।

संसद में हाल ही में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में भारतीय रेल में यात्रियों के लिए रियायतें संबंधी खंड में कहा गया है कि मेट्रो रेल, कोलकाता को छोड़कर भारतीय रेल में किसी भी रेलगाड़ी द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को आजीवन आधार पर प्रथम श्रेणी और एक सहयोगी को एससी 2 टियर का मानार्थ पास जारी किया जाता है।

संसद में पेश कैग रिपोर्ट में खुलासा

2015-18 के दौरान सबसे कम उम्र के जिस व्यक्ति को रियायत कोड 'फ्रीडम' के तहत स्वतंत्रता सेनानी टिकट जारी किया गया, उसकी आयु 10 वर्ष थी।

15 मामलों में स्वतंत्रता सेनानी रियायत टिकट स्वतंत्रता सेनानी पास के साथ जारी किए गए थे।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि 2015-18 के दौरान 1041.86 करोड़ रुपए की रियायत का लाभ उठाते हुए 87,584 यात्रियों ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रियायत कोड 'फ्रीडम' के तहत आरक्षण कराया। इसके अलावा 62,528 यात्रियों ने उनके सहयोगियों के रूप में यात्रा करते हुए 763.58 करोड़ रुपए की रियायत का लाभ उठाया। रिपोर्ट के अनुसार, लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि कुल स्वतंत्रता सेनानी रियायती यात्रियों में से 21 फीसद 70 वर्ष से कम आयु के थे, जो इंगित करता है कि स्वतंत्रता सेनानी रियायत उन लोगों के लिये बढ़ा दी गई थी जो 1947 के बाद पैदा हुए ।

हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इनमें से कुछ बाकी पेज 8 पर

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Sonu Kumar,S/O Shri.Raghunath R/o-House.No. 1/9,Kishangarh,VasantKunj,New-Delhi-110070.Inform that name of mine has been wrongly-written as Sonu Gautam & Sonu Kumar Gautam in my minor son Shivam Gautam(DOB-27-08-2010)and Shubham Gautam(DOB-04.07.2011) Educational-Documents. Actual-Name of mine is Sonu Kumar. 0040523477-9

I,Rekha Kumari, W/o-Pratap Naryan Singh R/o-Flat.No.19, Jawahar-Apartment, Sector-56,Gurgaon, Haryana-122011, have changed my name to Rekha Singh after marriage, for all purpose. 0040523527-1

I,No.14817315-X Uday Kumar Singh,S/O Late.Ramayan Singh R/O-Vill-Siswuni, Po. Fursatpur,Distt.Chhapra, Bihar,Have Changed My Minor Son Name,From Devasish Kumar To Devashish Kumar,For All Future Purposes. 0040523482-6

I,No.14817315-X Uday Kumar Singh,S/O Late.Ramayan Singh R/O-Vill-Siswuni, Po. Fursatpur,Distt.Chhapra,Bihar .,Have Changed My Minor Daughter Name,From Kumari Kushi To Khushi Kumari,For All Future Purposes. 0040523482-7

I,Mandakini Kumari Roy W/o Ram Kumar Roy Residence-925, Gali.No.19,Block-I, Hari Nagar Extension,Jaitpur, Badarpur,New.Delhi-110044, have changed my,name Mamta Ray to Mandakini Kumari Roy for all purposes in,future. 0040523521-1

I,Deepanshi Rastogi W/o Monidh Singh R/o WZ-315/1, Second Floor, G-Block, Hari Nagar Extn., Jail Road, New Delhi, have changed my name after marriage as Deepanshi Arora for future purposes. 0040523440-1

I,Bhaargyaaraj,S/o Shri.Vinda Singh R/o-F-55, F-Block, Gali.No.8, Vishwas-Park, Uttam-Park, Uttam-Nagar, New-Delhi-110059, have changed my name to Satender Kumar,for all,future purpose. 0040523477-7

I, Ved Parkash Gupta S/O-Chaman Parkash Gupta H-No.3228,Lal Darwaza Sita Ram Bazar Delhi 110006.Changed My Name To Ved Prakash Gupta 0040523527-7

I, Tiwari Kalpesh Jaiprakash S/o Jaiprakash Tiwari R/o La Residentia, T12-1602, Greater Noida, U.P 201306 have changed my name to Kalpesh Tiwari 0070687342-1

I, Tilak Raj S/o of Late Sh. Gopi Ram R/o 5A/11034, Sat Nagar, Gali No.9, Karol Bagh, New Delhi-110005, have changed the name of my daughter which is wrongly written in School record as YASMINE. Hence the correct name will be known as BHOOMIKA for all future purposes. 0040523444-1

I, Tashwar Ali S/O Manjoor Ali H.No-278 Top-Floor Gali.No-14 Zakir-Nagar Jamia-Nagar New-Freinds Colony 110025.Changed My Name To Tasawwur Ali. 0040523527-9

I, Tanmay Bajaj S/o Sh. Subir Bajaj R/o 24/13, Opp. Sarvodiya Vidyalaya No.3, Shakti Nagar,Delhi-110007 have changed my name to Tanmaay Subir Bajaj for all purposes. 0040523443-5

I, Talewar Singh S/o Ram Charan Sharma R/o Ojhiyana Muhalla Sahpau (Dehat), Hathras, Uttar Pradesh-281307, have changed my name to Talewal Sharma for all future purposes. 0040523446-1

I, Sumit S/o Shiv Kumar R/o-B-601, Block-B, Navjeevan-Camp, Govindpuri, Kalkaji, Delhi-110019.,have changed my name to Sumit Kumar. 0040523488-5

I, Sumit Madaan S/o L. P. Madaan R/o D-40, Ajay Enclave, Ashok Nagar, New Delhi 110018 have changed my minor daughter's name from Siya Madaan to Ridhima Madaan for all legal purposes. 0040523452-1

I, Sumer Singh Gahlawat,S/o Sh.Bhoop Singh,R/o-72, Arvind Enclave,Mundka,Nangloi,Delhi-41,inform that name of mine and my wife is wrongly-written as Sumer Singh and Shantra Devi in my passport but my and my wife correct-name is Sumer Singh Gahlawat and Santra Devi Gahlawat. 0040523527-5

I, Subir Bajaj S/o Late Sh. Subhash Bajaj R/o 24/13, Opp. Sarvodiya Vidyalaya No.3, Shakti Nagar,Delhi-110007 have changed the name of my minor son from Aarjav Bajaj to Aarjavv Bajaj for all purposes. 0040523443-2

I, Sunil Chadha S/O Hemraj R/O Hno.17/20b, Tilak-Nagar, Delhi-110018. Have Changed My Name To Sunil Kumar. 0040523477-8

I Parbhu Singh S/O-Milap Singh R/O-H.No-30/3,G/F, Chander Vihar, Deepak Vihar, Nilothi-Extn.Nilothi, Delhi-110041. Have Changed my Name to Prabhu Singh. 0040523527-2

व्यक्तिगत

I, Sobina Or Sabina Khatun D/o Abdus Samad R/o H.no.201, Plot No.61-62, Ii Floor, Kh No. 39/11, Friends Enclave, Nangloi, New Delhi-110041 have changed my name to Sobina Khatoon for all purposes. 0040523480-1

I, Sidharth Sehrawat S/o Amitabh Verma R/o-210 Vaishali Pitampura Delhi-110034, have changed my name to Siddharth Sehrawat. 0040523501-1

I, Sawinder Kaur W/o Raminder Singh R/o-H.No. 358, Tihar-Village, Delhi-110018.,have changed my name to Savinder Kaur. 0040523501-6

I, Satpal Seth,S/O Late.Harbans Lal Seth, R/O-137,Gujranwala-Town, Part-2, Delhi-110009,.INFORM That Satpal Seth And Sat Paul Is Same Person. 0040523477-4

I, Satnam Singh S/o Jarnail Singh R/o-171-A, R-2, Khirki-Extn., Malviya-Nagar, Delhi-110017.have changed my name to Satnam Singh Saggu. 0040523488-2

I, Satinder Kaur W/o Satnam Singh Saggu R/o-R-2 (171-A), Khirki-Extn., Malviya-Nagar, Delhi-110017.,have changed my name to Satinder Saggu. 0040523488-3

I, Saroj Madaan W/o Chandra Prakash Madaan Add-C-204 Park View Ananda Sector-81, Gurgaon-Haryana-122004 Changed My Name To Saroj Madan. 0040523534-2

I, Santosh Kumar,S/o. Shri.Vasudevan Pillai, R/o.-C-60B, Rajat-Vihar,Sector-62, Noida,U.P.have changed my name,from Santosh Kumar to Santhosh Kumar,for all future purposes. 0040523482-1

I, Sanjiv Kumar Arora S/o Joginder Nath Arora R/o D-42, Chander Nagar Ghaziabad UP-201011 have changed my name to Sanjiv Arora. 0040523445-1

I, Sanjay Kumar Hogle S/o Appasaheb B. Hogle R/o E-186, Third Floor, J.J. Colony, Raghubir Nagar, New Delhi 110027 have changed my minor son's name from Prayash to Prayash Sanjay Hogle for all legal purposes. 0040523452-2

I, Sandeep Singh S/o-Kailash Prakash Singh, R/o-E-85, Radhakunj,Brij-Vihar, Ghaziabad, U.P.-201011, have changed my minor son's name Aryamaan Singh to Aryaman Singh. 0040523513-3

I, Saahil Khan S/o Khalid Khan R/o H.No. E-61, Sector-6, Gautambuddh-Nagar, Noida, U.P.-201301. Have changed my name to Sahil Malik. 0040523513-5

I, Ruuchikaa Khanna D/o Late Sh. Subhash Bajaj W/o Late Sh. Ankush Khanna R/o 24/12, Opp. Sarvodiya Vidyalaya No.3,Shakti Nagar,Delhi-110007 have changed the name of my minor daughter from Anika Khanna to Aneka Khanna for all purposes. 0040523443-3

I, Ruchi Khanna D/o Late Sh. Subhash Bajaj W/o Late Sh. Ankush Khanna R/o 24/12, Opp. Sarvodiya Vidyalaya No.3, Shakti Nagar,Delhi-110007 have changed my name to Ruuchikaa Khanna for all purposes. 0040523443-4

I, Rizwana W/o Zaheer Abbas R/o F-87 West Jawahar Park Laxmi Nagar Delhi-110092 have changed my name to Rizwana Saifi. 0040523479-1

I, Reema Malhotra D/o Satish Kumar Bhola R/o 9/81, First floor, Subash Nagar, ND-110027, have changed my name to REEMA BHOLA. 0040523478-1

I, Ravi Kumar S/o Mangu Kanaujia R/o-H.No-701,New Basti,Kabadiyan Tola,Beniganj Dehat, Hardoi,U.P.-241304,that certify,that Ravi Kumar & Shivraj Kanaujia are one and same person.His correct name Shivraj Kanaujia. 0040523521-2

I, Ravi Kant S/O Rajinder Prasad Sharma R/O 698/43, Shambhu Nagar, Onkar Nagar, Trinagar, Delhi-110035.Changedmy Nameto Ravi Kant Kaushik. 0040523488-9

I, Ratan Lal Goel alias Ratan Lal Goyal S/o-Ram Dayal Goel R/o-C-2/12, Krishna-Nagar, Delhi-110051.,have changed my name to Rattan Goel. 0040523488-4

I, Ramanarayanan Sambasivan S/o Ramasamy Sambasivan R/o Flat No-504, OL-1, Eldeco Utopia, Sector-93A, Noida have changed my Son's name from Advaith to Advaith Ramanarayanan Iyer for all purposes. 0040523451-2

I, Ramanarayanan Sambasivan S/o Ramasamy Sambasivan R/o Flat No-504, OL-1, Eldeco Utopia, Sector-93A, Noida have changed my Son's name from Aditya to Aditya Ramanarayanan Iyer for all purposes. 0040523451-3

I Rekha Sautya, D/o Goshta Behari Samanta, R/o House No. 152, First Floor, Back Side, Near SLF Mall, Indraprastha Colony, 30-33, Amarnagar, Faridabad, Haryana 121003, have changed my name from Rekha Sautya to Rina Sautya. 0070687326-1

I Rajnish Chander Sharma,S/o Krishan Kumar Sharma R/o-A-214,Upper Ground Floor,Vikas Puri,New Delhi-110018,have change my name to Rajnish Sharma. 0040523482-10

I, Ramanarayanan Sambasivan S/o Ramasamy Sambasivan R/o Flat No-504, OL-1, Eldeco Utopia, Sector-93A, Noida have changed my Son's name from Anirudh Ramanarayanan Iyer to Anirudh Iyer for all purposes. 0040523451-1

I, Ram Parkash Mishra S/O Achhe Mishra R/O A-4/444, Paschim Vihar, Delhi-110063.Have Changed My Name To Ram Pravesh Mishra. 0040523488-8

I, Rajnish Kumar Mishra S/o Laxmi Kant Mishra, R/o H.No. 1268, Sec-29, Faridabad, Haryana, have changed my name to Rajnish Mishra for all future purposes. 0040523474-1

I, Rajesh Kumar S/o Chaman Lal Sethi R/o 10, Kailash-Enclave, Pitampura, Delhi-34, have changed my name to Rajesh Kumar Sethi. 0040523527-4

I, Rajesh Kumar Johri,S/o Mr.Suresh Chandra Jauhari R/o C-1, First-Floor, Pandav-Nagar, Delhi-110092.have changed my name to Rajesh Kumar Jauhari for all purposes. 0040523482-5

I, Rahul Bajaj S/o Dinesh Bajaj R/o C-26, Kirti Nagar Delhi-110015 have changed my minor son's name from Devansh Bajaj to Devaansh Bajaj for all purposes. 0040523450-1

I, Priyanka Sachdeva W/O-Hardeep Kumar R/O-H.No-131,Ground Floor,Pocket-3,Sector-24,Rohini Delhi 110085 Have Changed My Name To Priyanka. 0040523477-3

I, Pawan S/o Vijender Kumar R/o H.No-202, Village-Pathreri, Tehsil-Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana), Pin code-122413, have changed my name to Pawan Joon for all purposes. 0040523484-1

I, Oudh Behari Mathur R/o-140 Lok-Vihar-Apartment, Vikas Puri,Delhi-18,inform that Awadhesh Bihari Mathur(As mentioned in my son's mark-sheet)and Oudh Behari Mathur is same person. 0040523482-3

I, Niranjan Pal S/o Mokam Singh Yadav R/o-271-B, GaliNo.6, Rihal-Enclave, Tajpur-Khurd, Delhi-110071, have changed my name to Niranjan Pal Yadav. 0040523513-6

I, Neelam Dalal,W/o Late,AShok Kumar Dalal,R/o-B-502 Munirka-Apartment Plot.No.11.Sector-9,Dwarka New-Delhi-75,inform that in my husband's death certificate my Father-in-Law name wrongly-written Ram Lal but correct-name is Ram Lal Dalal so both name are one and same person. 0040523482-4

I, Naeem Ahmad S/o Amirul Haq. R/o-L-5, 3rd-Floor Street-No.12, Brahampuri Delhi-110053,have changed my name to Naeem Khan for all purposes. 0040523477-5

I, Mohd. Tayyab Ansari, S/o Sh. IQbal Ahmad Ansari, R/o, 265/5, Street no-5, New Kardam Puri, Shahdara, Delhi-94. Have changed my name from Toyab Ansari to Mohd. Tayyab Ansari, for all future purposes. 0040523464-1

I, Mohd Sarvish Ansari S/O, Sarfaraz Ahmed Ansari R/o H No.n14/5, street No-13, Brahampuri, Delhi-110053, have changed my name to Mohd Yasir Ansari for all purposes. 0040523530-1

I, Mohammad Irshad Khan, H-No.310/12 Gaffar-Manzil Jamia-Nagar Okhla, Delhi-110025.Changed My Minor Child Name Mohd Ammaar Khan To Ammaar Khan. 0040523527-8

I, Mariamma Behanan W/o,Sunny Thomas R/o Flatno.355,DDA-Flat, Pocket-9, Phase-1, Nasirpur-Road, Dwarka, N.Delhi-45, have changed my name to Soya Sunny. 0040523513-2

I, Manish Kumar R/o D-607, Metro Vihar, Shastri Park, Delhi-110053, have changed my minor daughter's name from Manvi Priya to Divyanshi for all purposes. 0040523456-1

I, Leelamma Kochukunju Achary Kollamparampil W/o Babu R/o G-472, Shakurpur, Anandvas, Delhi, Changed Name To Leelamma Babu. 0040523501-5

I, Lalit Kumar S/o Hira Lal R/o E-140, 2nd Floor, Tagore Garden Extension, Tagore Garden, Delhi-110027, do hereby declare that name of my mother has been wrongly written as Vidhya in my 10th and 12th class marksheet and certificate. The actual name of my mother is Vidya Vati, which may be amended accordingly. 0070687346-1

I, Km.Gulshabab W/O Imran Ahmad H-No.G-59/C, First-Floor Abulfazal Enclave-I Jamianagar New-Delhi-110025. Changed My Name To Gulshabab Siddiqui. 0040523527-6

I Sudesh Rani, W/o-Kuldeep Singh R/o-village-Makrouli Kalan, post-office-Makrouli kalan, Teh-Rohtak, Dist-Rohtak, State-Haryana. have changed my name to Sudesh. 0040523477-10

I Primelesh Arya D/o Late. Shri Guljari Lal R/o A-30/1, Shastri Marg Street No. 1 Maujpur Delhi Pin-110053, have changed my name to Primilesh Gaur for all purposes. 0040523476-1

व्यक्तिगत

I, Karuna Madaan W/o Vineet Madaan Add-C-204 Bestech-Park View, Ananda Sector-81, Gurgaon Haryana-122004 Changed My Name To Karuna Malhotra 0040523534-1

I, KM Rupa Saxena W/o Ajay Kumar Saxena R/o Plot-No.6 Khasra.No.497 Upper Ground Floor Burari Delhi-84.changed my name to Roopa Saxena. 0040523477-6

I, Jugal Kishore Baveja S/O-Jagdish Kumar Baveja R/O-Hno.15, Palmwood-Sohnaroad, Malibu Town, Sector-47, City-2, Islampur, Gurgaon-122018. Changedmy Nameto Jugal Kishore Baweja. 0040523527-3

I, Harish Kumar Malik S/o Late Sham Dass Malik R/o-H.No.B-19, South-Extn-1, N.Delhi-110049. Have changed my name to Harish Malik. 0040523513-4

I, Harish Godiya S/o- Nonihal R/o- C-96/83 Gandhi Market, Minto Road, New Delhi-110002, have changed my name to Harish. 0040523534-3

I, Gurpreet Singh S/o Sukhdev Singh Bagga R/o-B-38, Mansarover-Garden, New Delhi.have changed my name to Gurpreet Singh Bhullar,for future. 0040523482-8

I, Gurbaksh Singh S/O Late Sardar Tara Singh R/O WZ - 243/2, Ground floor, Gali No - 3, Virender Nagar, Janak Puri, New Delhi 110058 0070687341-1

I, Galveer Singh S/o-Nem Singh R/o 436, Gali.No.4, Javed GasGodam, RajVihar-Colony, Ramghat-Road,PAC Koil,Aligarh.have changed my name to Gulvir Singh. 0040523488-1

I, Ciby Alex D/o-Alex Isac W/o Jenson Babu R/o-H.No.8,D-3-Block,Jeewan-Park, Uttam-Nagar, N.Delhi-59,have changed my name to Ciby Jenson. 0040523513-1

I, Ankur Kathuria S/o Dewan Chand Kathuria R/o B-904, Pioneer Park, Sec-61, Gurgaon, Haryana-122001, have changed my minor daughter's name from Samhita Kathuria aged 1 year 9 months, and she shall hereafter be known as Anaaya Kathuria. 0040523458-1

I, Ankita Gulati W/o-Kabir Bajaj R/o C-26, Kirti Nagar, New Delhi-110015 have changed my name to Ankita Bajaj. 0040523477-1

I, Anjani Kumar Singh, R/o D 1906 Ajnara Grand Heritage Sector 74 Noida, UP 201301, have changed my minor daughter's name from Sharanya Singh to Aryahi singh vide affidavit dated 07/12/2019 sworn before notary Vinai Kumar Sharma. 0070687348-1

I, Amrik Singh S/o-Jagdish Singh Landa R/o-G-44, Sham-Nagar, New-Delhi-110018.have changed my name to Amrik Singh Landa. 0040523477-2

I, Amit Kumar Gupta son of Kailash Chand Gupta R/o 89, T/F Indira Park Near Shah Namkeen Delhi-110051 changed my name to Amit Gupta. 0040523488-7

I, Amit Dheer S/o Sh. B.N. Dheer R/o C2A/193-194, Janakpuri,New Delhi-110058 have changed my name to Amit Narayan Dheer for all purposes. 0040523443-1

I Virender S/O Nand Lal.H.No-454/8, Flat.No-303, Gali.No-8, Krishna-Colony, Gurgaon. Have Changed My Name To Virender Kumar. 0040523501-3

I Mann Singh S/o-Sohan Singh R/o-H.No-73 B/A Nihal-Vihar, Phase-2 Nilothi-Extn Nangloi Delhi.have changed my name to Maan Singh. 0040523501-4

I Kapil Kumar S/O Dalip Kumar H.No 972/28 Gali No-9 Jyoti-Park Gurgaon. Have Changed My Name To Kapil Taneja. 0040523501-2

I Kanishka Grewal D/o Parveen Grewal R/o-WZ-37,Nangli Jalib,N.D-110058,do here by solemnly inform that in my passport my parents name wrongly-written as Parveen Garewal and Sharmila Garewal instead of Parveen Grewal and Sharmila Grewal 0040523482-9

I Devender Kumar S/o-Krishan Singh, R/o-H.No-195, Darwaja-Panna, Mungeshpur, Rohini, Delhi-110039, have changed my name to Devender 0040523488-6

I Amritha Santosh,S/o. Shri.Santhosh Kumar R/o.C-60B, Rajat-Vihar,Sector-62, Noida,U.P.have changed my name,from Amritha Santosh to Amritha Santhosh,for all future purposes. 0040523482-2

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that **Clix Housing Finance Private Limited** is going to create simple mortgage over **property Entire First Floor, without roof rights, built on property No.-RZ-B/122B,(Old Plot No. 122-B &122-A), area 200 Sq. Yds., Khasra No.-31/4, situated at Village Dabri, Colony known as Dabri Extension, New Delhi 110045** belongs to **Mr. Harish Ahuja** and is being purchase by **Mr. Abhay Chand Tripathi** by availing home loan from the company. Copy of Death Certificate of **Mrs. Kela Devi Gupta** and her Surviving Member Certificates are not available. In case if any person/Financial Institute/Bank /Authority/Board or any other entity having objection/contingent or vested interest over the same may contact at following address within 7 days of this publication. It may be further noted that after lapse of aforesaid period no claim in any manner shall be entertained and same will be considered as waived or abandoned.

Avnish Shukla (Advocate)
Ch. No. E-419, Karkardooma Court, Delhi-110032.
9871603366, 9717476101.

खोया+पाया

Lost my original Certificate & Marksheet of Main-Secondary Exam Year-2013, Roll-No. 8679938, Passout from CBSE, has been actually lost. Sunny Dhigan. H.No.332, VPO Ghoga, Delhi-39. 0040523513-7

I, Preeti D/o-Nand kishor R/o-179,Masjid-Moth south-extn part-2,new Delhi-49.have lost my original-certificate class-10th(2010) Rollno-6429626 class-12th (2012) Rollno-9722474 CBSE-Delhi. 0040523513-8

I, Yashvi,D/o Sh.Dalchand, R/o-D-682-683, J.J.Colony, Phase-2, Nangloi, Delhi-110041, have lost Original-CBSE Certificates & Marksheets of Class-10th Roll.No.8715708(2015)& 12th Roll.No.9689927(2017). 0040523488-10

I, have lost my original property papers of plot no.524, H-Block, Palam Vihar, Gurgaon. If anyone finds it kindly contact. Prem Bandhu Gupta S/o Sh. Desh Bandhu Gupta M. 9810028645 Emai. prembandhugupta@yahoo.com 0040523457-1

It is notified for the information that my Original-Qualifying-Examination Certificate of Main-Secondary-Examination of year-2004, and Roll No. 6125566, issued by CBSE has been lost.Name of the candidate:-Anita,D/o Bhim Sain R/o-H.No.724A, Jain-Nagar, Gali.No.4 BegumPur-Delhi. 0040523513-9

I, Krishan Kumar Jain S/o Ganga Bishen Jain R/o MP-105, Maurya Enclave, Delhi-110034, have lost my original Builder Buyer Agreement dated 03/12/2011, Property No. CGL-054, at DLF Capital Greens, Shivaji Marg, New Delhi-15. If found please contact to above address and mob: 9310121307. 0040523438-1

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला शकुन्तला पत्नी स्व. श्री प्रकाश, निवासी – म. नं. 315, हरिजन बस्ती, ... गली, आसोला फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली– 110074 में रहती हैं। यह कि मेरी मुवक्किला ने अपने बेटे ... राम उर्फ सिपटौला व उसकी पत्नी ज्योति को उनके गलत आचरण, दुर्व्यवहार करने तथा नियंत्रण से बाहर होने के कारण उनसे अपने सभी प्रकार के पारिवारिक संबंध विच्छेद करते हुए उन्हें अपनी समस्त चल – अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में मेरी मुवक्किला का उपरोक्त बेटे व उसकी पत्नी से कोई भी संबंध नहीं है। यदि भविष्य में उनके साथ कोई भी व्यक्ति लेन देन या किसी भी तरह का संबंध स्थापित करता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। उनके किसी भी कृत्य के लिये मेरी मुवक्किला व उसका परिवार जिम्मेदार नहीं होगा।

बृज लाल (अधिवक्ता)
चै.न. 610, साकेत कोर्ट, दिल्ली–17

PUBLIC NOTICE

BE IT KNOWN TO ALL THAT, Smt. Poonam Sharma, Shri Manish Sharma, Smt. Pooja Sharma & Smt. Preeti Sharma, all R/o House no. 188, Jangpura Extn., Gali no. 6, Lakshmi Nagar, Delhi, are the co-owners of Shop on the ground floor area admeasuring 32 sq yds. i.e. 26.75 sq yds, up to the extent of ceiling level only, out of Khasra no. 74, 75, 78 being part of property bearing no. G-53 & old G-31 situated in the abadi of G-block, Laxmi Nagar, Vikas Marg, in the area of Shakarpur, Illaqa Shahadra, Delhi, 110092. The said shop is under dispute in suit no. 9144/2016, titled, "POONAM SHARMA VS. PAWAN SHARMA & ORS.", suit no. 9802, titled, PAWAN SHARMA & ORS. VS. POONAM SHARMA & ORS." and suit no. 144/2019, titled, "POONAM SHARMA VS. PAWAN SHARMA & ORS." all pending in the Court of Shri Jagmohan Singh, Ld. ACJ/CCJ/ARC(East), Karkardooma Courts, Delhi and also in SA no. 28/2019, titled, "POONAM SHARMA & ORS. VS. AU SMALL FINANCE BANK & ORS.", pending in the Ld. DRT-II. For any other queries in this regard, please contact, +91-9210107303, +91-8750391412

Vivek Srivastava (Advocate)
JURAL SOLUTIONS
D-87, Vivek Vihar, Ground Floor, Delhi-110095

PUBLIC NOTICE

Be it known to all to whom it may concern that My Client **Mrs. Meena** wife of Late Meher Singh resident of House No F-II/161, Madangir, Dr. Ambedkar Nagar, New Delhi-110062 has broken down and severe her all family and social relations and disclaimed, disowned and debarred her son **SANDEEP S/O LATE MEHAR SINGH and his wife MRS. NEETU W/O MR. SANDEEP** from her all movable and immovable properties & right of succession, due to his/ her/ their disobedient behavior and mis-conducts as he/she/they are working beyond the control and intend to grab property of my client illegally and my client and other family members are being harassed, humiliated, misbehaved even mentally & physically tortured by him/ her/ them. In future my clients shall not be responsible for his/ her /their any misconduct. If anybody dealing with him/ her/them in any manner shall be doing so at own risks, costs, consequences & responsibilities.

Ranjan Gupta (Advocate)
Ch.No. 311, Saket Courts, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that **Clix Housing Finance Private Limited** is going to create simple mortgage over **property First Floor, built on property No.-1413, (Part) to 1419, area 69.676 Sq. Yds., situated at Gali Ganesh, Shora Kothi, Subzi Mandi, Clock Tower, Delhi 110007** belongs to **Mrs. Shalini W/o Mr. Mohender Singh** and is proposed to be purchase by **Mr. Ashok Kumat.** Surviving Member Certificates of previous owners namely **Mr. Rati Ram, Mrs. Manokari Devi, Mr. Rameshwar Dass Gupta, Mr. Manohar Lal, Mr. Parashram Ratiram Gupta and Mrs. Kalawati** is not available. In case if any person/Financial Institute/Bank/ Authority/Board or any other entity having objection/contingent or vested interest over the same may contact at following address within 7 days of this publication. It may be further noted that after lapse of aforesaid period no claim in any manner shall be entertained and same will be considered as waived or abandoned.

Avnish Shukla (Advocate)
Ch. No. E-419, Karkardooma Court, Delhi-110032.
Mob. 9871603366, 9717476101.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that **Clix Housing Finance Private Limited** is going to create simple mortgage over **property Upper Ground Floor, Back Side (RHS), without roof rights, built on property No.-RZ-232B2, area 40 Sq. Yds., Khasra No. 55/16, 54/21/1, situated at Raj Nagar-II, Palam Colony, Delhi,** belongs to **Mrs. Kiran Devi.** Copy of Death Certificate of **Mr. Dariyao Singh & Mrs. Banso Devi** and Surviving Member Certificates issued by SDM to **Mr. Balram, Mr. Sandeep, Mr. Krishan, Mrs. Sumitra Devi & Mrs.Nirmala** previous owners of the aforementioned property are not available. In case if any person/Financial Institute/Bank/ Authority/Board or any other entity having objection/contingent or vested interest over the same may contact at following address within 7 days of this publication. It may be further noted that after lapse of aforesaid period no claim in any manner shall be entertained and same will be considered as waived or abandoned.

Avnish Shukla (Advocate)
Ch. No. E-419, Karkardooma Court, Delhi-110032
Mob. 9871603366, 9717476101.

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल राज किशोर पुत्र स्व. चंद्र प्रकाश और उनकी पत्नी सोनिया निवासी ए–247, 248 डी.डी.ए कालोनी, चौखण्डी, तिलक नगर, नई दिल्ली–110018, ने अपनी पुत्री कोमल रानी आयु 22 वर्ष को उनके दुराचरण, अवज्ञा और दुर्व्यवहार के कारण अपनी चल और अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है व उनसे अपनी सभी सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं व उनके किसी भी कृत्य के लिए मेरे मुवक्किल उत्तरदायी नहीं होंगे।

VISHNU DUTT SHARMA-ADVOCATE
Ch.No. 718, 2nd Floor, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi -110054

PUBLIC NOTICE

Be it known to public that my client Smt. Rajesh Kumari W/o. Sh. Bachan Singh R/o. Plot No. 26, Harijan Basti, Sita Puri, Part-1, Dabri More, New Delhi has debarred and disowned her daughter KAMINI & her legal heirs from all her moveable and immoveable properties and has severed all her relations with her, as she is acting beyond the control of my client. Anybody dealing with her shall do so at his/her own risk and consequences.

G.S. SINGH-ADVOCATE
A-108-A, Bhagwati Garden Extn., Uttam Nagar, New Delhi -110059

PUBLIC NOTICE

Please take notice that my clients (1) Shri Vijendra Kumar, S/o Shri Chunni Lal, (2) Smt. Rajesh Devi, W/o Shri Vijendra Kumar, both residents of E-1, East Jawahar Nagar, Loni dehat, Loni Ghaziabad, Uttar Pradesh, have disowned their son Shri Deepak Malik and his wife Smt. Poonam, from my client's all moveable and immoveable properties and severed all their relations with them. If any body deals with said Shri Deepak Malik and his wife Smt. Poonam, in any manner whatsoever, shall do so at his/her/their own risk and my clients shall not be responsible of any acts and deeds of the abovesaid persons.

DAVINDER KUMAR-ADVOCATE
Ch.No. K-86, Tis Hazari Courts, Delhi -110054 Mob. No.: 9868162370

PUBLIC NOTICE

My client **Udal Singh S/O Sh. Arjun Singh R/O H. No. 2, UG Floor, Building-D, Plot No. 253/3, West End Marg, Kohinoor Enclave, Saidul Azaib, South Delhi, Delhi- 110030** has disowned his son Akash and his wife from his all movable and immovable Properties and severed all relation with them due to their disobedience. My client shall not be responsible for their any acts.

Sd/-
M. MINHAJ (Advocate)
Ch. No. 850 Saket Courts New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

General public is informed that my client Mr. SUNIL KUMAR KHOSLA AND MS. SWARAN LATA KHOSLA R/O H. NO- 180A, 1ST FLOOR, SANT NAGAR, EAST OF KAILASH NEW DELHI-110065, do hereby disowned and debar their son PRATEEK KHOSLA from all movable and immovable properties with immediate effects because he is out of control of my client and misbehaved with my client.
Anybody deals with him and anybody deals with him or any legal activities shall be doing so at his/her own risk, and responsibilities my client will not be held responsible for any act, deed and things done by him.

Sd/-
BABITA RANA PUNDHIR
Advocate
Ch. No-770, Lawyers Chamber Block, Saket Court, New Delhi-110017

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that share Certificate No.115166 for 80 Equity Share of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each bearing Distinctive No. 25224973-25225052 of Eicher Motors Limited, having its registered office at 3rd Floor, Select Citywalk. A-3 District City Center. Saket New Delhi 110017 registered in the of CHUNNI (CHUNI) LAL NARANG and NAVEEN KUMAR BHALLA have been Lost. NAVEEN KUMAR BHALLA have applied to the company for issue duplicate certificate. Any person who has any claim in respect of the said share certificate should lodge Such claim with the company within in 15 days of the publication of this notice.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I **Deepak Sharma S/o Jayanti Prasad Sharma** R/O A-259/3, Shiv Vihar, Rishal Garden, Najafgarh Road, Nangloi, West Delhi-110041, Declare that name of my father has been wrongly written as **Jainti Prasad Sharma** in my **Pancard No-EERPS7181M and School Certificate and ITI Documents.** The actual name of my father is **Jayanti Prasad Sharma** respectively which my be amended accordingly. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUBLIC NOTICE

I declare that my clients namely Mr. Radhey Shyam and Mr. Manoj Sharma and Bhuwan Sharma all S/o Late Shri Jagdish Prasad R/o 1282/87, Shanti Nagar, Tri Nagar, Delhi-110035, wants to disowned all relation and things with his brother's family i.e. all children and wife of Late Shri Purshotam for future all actions, and above said statements are true and correct in the best of my Knowledge and belief

R.R. Bhardwaj (Advocate)
Enrl. No. D/55/09

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my clients SH. Rajesh Kumar S/O Sh. Kartar Singh and Smt. Sunita Devi W/o Sh. Rajesh Kumar Both Residents of Plot No. 62 A-1 Bock G, Gali No.5, Prem Nagar, Najafgarh, South West Delhi, have severed all their relations and debarred/disowned their son, Sh. Ravinder, aged about -19 years from all of their movable and immovable properties, due to differences. If anyone deals with him on behalf of my clients, he/she will do so at his/her own risk, cost and consequence. My clients shall not be responsible in any manner whatsoever for the same and shall have no liability and responsibilities.

Sd/-
SANDEEP KHATRI (Advocate)
Ch. No. 28, Post Office Lane, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

This is to infrom the public at large that my clients Smt. Isharawati Devi W/o Shri Devi Prasad and Shri Devi Prasad, S/o Shri Sadha Prasad, R/o-B-387, Gola Kuan, opp. F-23 Tekhand, Okhla Phase 1, Delhi-20, do hereby debar and disown their Son namely Shri Pramod Kumar and his wife Smt. Sweta Gaur and also their children namely Om Gaur and Anupriya from their movable and immovable properties due to their behaviour, conduct and attitude which is prejudicial and detrimental to the reputation of the family of my client. Anybody dealing with them shall do at his/her own risk and consequences and my clients shall not be responsible for same.

Sd/-
UMESH KUMAR BURNWAL (Advocate)
Ch. No. 723 Saket Courts New Delhi

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that **Clix Housing Finance Private Limited** is going to create simple mortgage over **property First Floor, built on property No.-1413, (Part) to 1419, area 69.676 Sq. Yds., situated at Gali Ganesh, Shora Kothi, Subzi Mandi, Clock Tower, Delhi 110007** belongs to **Mrs. Shalini W/o Mr. Mohender Singh** and is proposed to be purchase by **Mr. Ashok Kumat.** Surviving Member Certificates of previous owners namely **Mr. Rati Ram, Mrs. Manokari Devi, Mr. Rameshwar Dass Gupta, Mr. Manohar Lal, Mr. Parashram Ratiram Gupta and Mrs. Kalawati** is not available. In case if any person/Financial Institute/Bank/ Authority/Board or any other entity having objection/contingent or vested interest over the same may contact at following address within 7 days of this publication. It may be further noted that after lapse of aforesaid period no claim in any manner shall be entertained and same will be considered as waived or abandoned.

Avnish Shukla (Advocate)
Ch. No. E-419, Karkardooma Court, Delhi-110032.
Mob. 9871603366, 9717476101.

दिव्यांग प्रदर्शनकारियों को हटाने वाली याचिका की सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें दिव्यांग प्रदर्शनकारियों को मंडी हाउस से हटाए जाने का अनुरोध किया गया था। याचिका में मंडी हाउस से दिव्यांग प्रदर्शनकारियों को हटाए जाने और प्रदर्शन के कारण प्रभावित सड़कों को आम यातायात के लिए खोलने के निर्देश देने का आग्रह किया गया था। रेलवे में नौकरी की मांग को लेकर दिव्यांग लोगों के प्रदर्शन के कारण मंडी हाउस के एक हिस्से और निकटवर्ती दो सड़कों को 26 नवंबर से बंद किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के एक पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किये बगैर ही अदालत का रुख कर लिया। अदालत ने याचिकाकर्ता बजरंग वत्स को पहले अधिकारियों के पास जाने के निर्देश दिए और उसकी याचिका का निस्तारण कर दिया।

समुद्री सहयोग बढ़ाएंगे भारत और बांग्लादेश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने सोमवार को बांग्लादेश के अपने समकक्ष एडमिरल औरंगजेब चौधरी के साथ द्विपक्षीय समुद्री सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। बांग्लादेश की नौसेना के प्रमुख चौधरी सात से 12 दिसंबर तक भारत के आधिकारिक दौरे पर आए हुए हैं।

रक्षा मंत्रालय ने कहा, 'दौरे का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही नौसेना के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने हैं।' एडमिरल सिंह और एडमिरल चौधरी ने दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।भारत और बांग्लादेश ने समुद्री क्षेत्र में अपने सामरिक हितों की रक्षा करने के लिए संयुक्त तटीय निगरानी प्रणाली बनाने की खातिर अक्तूबर में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। एडमिरल चौधरी दिल्ली के अलावा कोच्चि, विशाखापट्टनम और कोलकाता भी जाएंगे, जहां वे नौसेना के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे।

दिल्ली के पत्रकार का शव हरिद्वार की गंग नहर में मिला

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 9 दिसंबर।

हरिद्वार के गेस्ट हाउस से बीते रविवार को लापता दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार गुप्ता का शव सोमवार को हरिद्वार की गंगा नहर में बने पथरी पवार हाउस से पुलिस ने बरामद किया। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है क्योंकि जिस गेस्ट हाउस में अनुज कुमार गुप्ता रुके थे । उनके रूम से खून के निशान बिस्तर और तकिए तथा बाथरूम में मिले थे। परंतु अनुज कुमार गुप्ता कमरे में में मौजूद नहीं थे और लापता थे।

पुलिस द्वारा जब इस मामले की जांच की गई और गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, तो बीती देर रात गेस्ट हाउस से अनुज कुमार गुप्ता जाते हुए नजर आए। गेस्ट हाउस के पास सिंहद्वार चौक पर पुलिस द्वारा जब पूछताछ की गई तो स्थानीय लोगों द्वारा बीती देर रात एक व्यक्ति के गंगा में कूदने की बात बताई गई। इसको लेकर पुलिस ने आज गंग नहर में सर्च अभियान चलाया तो पथरी पावर हाउस से अजय कुमार गुप्ता का शव बरामद हुआ।

हरिद्वार की नगर पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय का कहना है कि पुलिस को गेस्ट हाउस मैनेजर द्वारा सूचना दी गई थी कि गेस्ट हाउस में ठहरे अनुज कुमार गुप्ता द्वारा चेकआउट का समय होने के बाद भी रूम नहीं खोला तो गेस्ट हाउस के प्रबंधक ने पुलिस को इसकी सूचना दी।

सिंघल की अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी से जवाब तलब

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल की अंतरिम जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से सोमवार को जवाब मांगा। सिंघल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सिंघल ने कथित बैंक कर्ज फर्जीवाड़ा से जुड़े करोड़ों रुपए के धनशोधन मामले में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है।

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने जेल अधीक्षक से कहा है कि वे एम्स के डॉक्टरों से सिंघल की जांच कराएं। उन्होंने मेडिकल आधार पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है। अदालत ने जेल अधीक्षक से कहा है कि वह सिंघल के मेडिकल रिकॉर्ड जेल के क्षेत्रीय चिकित्सकीय अधिकारी को सौंपे।गौरतलब है कि निचली अदालत ने सिंघल की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

द्रमुक की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट द्रमुक की उस नई याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया जिसमें आरोप लगाया गया है कि तमिलनाडु राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं और एससी/एसटी उम्मीदवारों को आरक्षण 1991 की जनगणना के अनुसार देने का फैसला किया है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले पीठ ने सोमवार को द्रमुक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी की याचिका पर संज्ञान लिया।

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service 23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नई दिल्ली	
अधिकतम–23.2 डि.से.		सूर्योदय– 7:03
न्यूनतम– 8.8 डि.से.		सूर्यास्त– 17:25

मालीवाल का वजन पांच किलो घटा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

बलात्कारियों को छह महीने में फांसी की सजा की मांग को लेकर चल रहा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का अनशन सातवें दिन भी जारी रहा। उनका सात दिन में पांच किलो वजन घट गया है रक्त शर्करा नीचे गिर गया है लेकिन हौसला अभी भी बुलंद है। क्षीण पड़ रही आवाज में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह सूरत बदलने के लिए अनशन पर हैं।

उन्होंने धरने पर कहा कि यह अनशन जारी रहेगा। मैं मानती हूं कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होने चाहिए। अगर आज मालीवाल को कुछ हो गया तो देश में क्रांति आ जाएगी। मेरी जैसी हजारों महिलाएं आगे आएंगी। मोर्चा संभालने। हमारी महिलाओं से अपील है कि अपने आंसुओं को चिंगारी में बदल दें।

जेल प्रशासन के पास आ रहे हैं निर्भया के दोषियों की फांसी के लिए संदेश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

बलात्कार के दोषियों को फांसी देने के चौतरफा चल रही मांग के मद्देनजर तिहाड़ जेल में बंद निर्भया कांड के दोषियों को जल्द फांसी दी जा सकती है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन चारों दोषियों को अदालत से फांसी की सजा 2012 में सुनाई जा चुकी है। इनकी दया याचिका भी खारिज करने की राष्ट्रपति से सिफारिश की गई है। साथ ही जेल प्रशासन के पास भी लोगों के संदेश आ रहे है जिनमें मांग है कि दोषियों को फांसी दो।

तिहाड़ जेल में बंद निर्भया कांड में 12 दिसंबर, 2012 को फांसी की सजा पाए कैदियों को रखा गया है। इन चारों को अभी तक अलग–अलग जेलों में रखा गया था। जेल सूत्रों के मुताबिक इनकों जल्दी ही तीन नंबर जेल लाया जा सकता है क्योंकि इसी जेल में ही वह कोठरी है जिसमें फांसी का तख्ता व दूसरे इंतजाम हैं। चौतरफा दबाव व राष्ट्रपति के पास विचाराधीन दया याचिका के मद्देनजर कयास लगाया जा रहा है कि फांसी अब और अधिक दिन नहीं टलेगी। हालांकि जेल में इसके लिए कोई जल्लाद तो नहीं हैं लेकिन जेल अधिकारियों का कहना है कि जरुरत के हिसाब से अन्य राज्यों की जेल से वह बुलाए जा सकते हैं।

समायोजन की मांग के लिए डीयू शिक्षकों ने निकाला संसद मार्च

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के बैनर तले सोमवार को हजारों शिक्षकों मंडी हाउस से लेकर संसद मार्ग तक पैदल मार्च किया। सैकड़ों शिक्षकों ने समायोजन, प्रमोशन और अन्य मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान केंद्र सरकार और डीयू प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

प्रदर्शन के दौरान शिक्षक टॉलस्टाय रोड, जनपथ और फिर संसद मार्ग पर रुककर खूब नारेबाजी की। संसद मार्ग पर दिल्ली पुलिस ने इन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। गुस्साए शिक्षकों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर जैसे ही संसद मार्ग पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें यहीं रोक दिया। बाद में एक दूसरा रास्ता खोल दिया गया, जहां से शिक्षकों को संसद मार्ग थाने में ले जाया गया। इस बारे में डूटा के उपाध्यक्ष डॉ आलोक रंजन पांडेय ने बताया कि आज शिक्षकों ने जिस जज्बे को दिखाया है, उसे क्रांतिकारी सलाम। सांसद मार्ग पर हमें गिरफ्तार कर संसद मार्ग थाने ले गया गया। वहां लगभग दो घंटे तक रोका गया। इस बीच थाना परिसर में समायोजन के नारे से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि लगभग 4000 से अधिक शिक्षक अपनी स्थायी नियुक्ति को लेकर परेशान हैं। जिसका हल एक बार नियमन लाकर समायोजन के द्वारा ही संभव है। डूटा अध्यक्ष राजीब रे ने बताया कि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर हैं। हमारे अंदर केंद्र सरकार और डीयू प्रशासन के खिलाफ रोष है। 15–20 सालों से जो शिक्षक तदर्थ के रूप में पढ़ा रहा हैं, उनका भविष्य खतरे में है। शिक्षकों की मांग समायोजन की है और हम इसे लेकर रहेंगे।

जलापूर्ति के लिए राज्यों की सहायता को तैयार केंद्र

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने आइटीओ स्थित मानक भवन में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सरकार सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही केंद्र सरकार राज्यों सरकारों को पाइप लाइन से शुद्ध जलापूर्ति करने के लिए सभी प्रकार की सहयोग करेगी।

उन्होंने कहा कि सोमवार को राज्यों से आए प्रतिनिधियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। इन प्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया है कि राज्यों में पेजल आपूर्ति को लेकर उठाए गए कदम के बारे में सरकार को जल्दी ही अवगत कराएंगे। साथ ही जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं। इस बारे में भी केंद्र सरकार को अपना सुझाव देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में देश के कई राज्य की राजधानी और देश की राजधानी दिल्ली से पानी के नमूने बीआइएस (भारतीय मानक ब्यूरो) ने उठाए थे, जिनमें से कई राज्य और देश की राजधानी के नमूने फेल हो गए।

जेएनयू कुलपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति को खुला खत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) शिक्षक संघ ने राष्ट्रपति को एक खुला पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने परिसर के हालात सामान्य करने के लिए कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को उनके पद से हटाया जाए। इस पत्र में संघ ने कुलपति की ओर से लिए गए विभिन्न निर्णयों का हवाला भी दिया गया है।

शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रोफेसर के कुलपति बनने के बाद से परिसर लगातार प्रबंधन में कोताही बरती जा रही है। इसकी का नतीजा है छात्रावास के शुल्क में बढ़ोतरी और छात्रावास की नई नियमावली। नियमावली बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। शिक्षक संघ की ओर से कहा गया है कि जेएनयू प्रशासन की ओर परीक्षाएं कराने के लिए पुलिस की मदद लेने की धमकी तक दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कुलपति के कार्यकाल में परीक्षाएं कराने के लिए माहौल तैयार करना बहुत मुश्किल है। शिक्षक संघ का अरोप है कि जेएनयू के कुलपति के इशारे पर ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के शांतिपूर्ण मार्च के ऊपर दिल्ली पुलिस ने दो बार बर्बर रूप से लाठीचार्ज किया है।

प्रशासन बातचीत के लिए तैयार

जेएनयू प्रशासन का कहना है कि हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और यह झूठ फैलाया जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है। हमने 6 दिसंबर को विद्यार्थियों के साथ बातचीत के लिए सूचना जारी की थी लेकिन प्रशासन के अधिकारी जब भी विद्यार्थियों से बातचीत के आगे आते हैं तो विद्यार्थी उनका घेराव करते हैं। इतना ही नहीं कुछ मामलों में तो शिक्षकों को दौड़ा भी लिया जाता है। एक महीने से अधिक से विद्यार्थियों ने प्रशासनिक खंड पर कब्जा जमाया हुआ है। ऐसे में कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। इसका असर सभी पर पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि सेमेस्टर परीक्षा का बहिष्कार करने से हजारों विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ है जो नहीं होना चाहिए।

परीक्षाओं के आयोजन में सहयोग की अपील : जेएनयू शिक्षक महासंघ (जेएनयूटीएफ) ने सोमवार को विद्यार्थियों और शिक्षकों से सेमेस्टर परीक्षा के सफल आयोजन में सहयोग की अपील करते हुए विश्वविद्यालय में एक दिवसीय धरना दिया और परिसर में मार्च भी निकाला। हालांकि इस दौरान शिक्षकों को विद्यार्थियों के एक हुजूम के विरोध का भी सामना करना पड़ा। एक शिक्षक के मुताबिक विद्यार्थियों के एक गुट ने उनके धरना को बाधित करने का प्रयास किया। इस दौरान शिक्षकों को अपशब्द भी कहे गए। इतना ही नहीं उनके एक साथी प्रोफेसर अतुल ज ौहरी को तो विद्यार्थियों समूह मारने को दौड़ पड़ा। किसी तरह जान बचाकर वह वहां से सुरक्षित निकल सके। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिक्षक ने कहा कि वह इस मामले की शिकायत प्रशासन और पुलिस से करेंगे।

HDFC WITH YOU, RIGHT THROUGH

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली–110 067
दूरभाष: 011–41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

कब्जा सूचना

चूंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और/या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम/ऋण खाता संख्या	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
1.	श्री अश्वनी कुमार (ऋण खाता सं. 615386961)	31–जुलाई–19* को बकाया रु. 11,74,425/– (केवल ग्यारह लाख चौहत्तर हजार चार सौ पच्चीस रुपये)	03–सितम्बर–2019	06–दिसम्बर–2019 (प्रतिकात्मक)	एल.आई.जी. फ्लैट नं. 46, प्रथम तल, सैक्टर – 34, पॉकेट – 2, ब्लॉक – 13, डीडीए रोहिणी, रोहिणी, दिल्ली, भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
2.	श्री राजेश सिन्हा एवं श्रीमती शीतल सिन्हा (ऋण खाता सं. 616185185)	31–जुलाई–19* को बकाया रु. 68,78,371/– (केवल अड़सठ लाख अठहत्तर हजार तीन सौ इकहत्तर रुपये)	03–सितम्बर–2019	06–दिसम्बर–2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट न. 903, ब्लॉक बी, 9वीं और 10वीं मंजिल, चिनार कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि. (मैजेस्टिक अपार्टमेंट के रूप में भी जाना जाता है) प्लॉट नं. 3, सैक्टर 18, द्वारका, नई दिल्ली–110075 भूमिगत भूमि के साथ अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
3.	श्री पीयूष कुमार भारती एवं श्रीमती हीना (ऋण खाता सं. 622377103 एवं 621017259)	31–अगस्त–19* को बकाया रु. 72,62,914/– (केवल बहत्तर लाख बासठ हजार नौ सौ चौदह रुपये)	07–सितम्बर–2019	06–दिसम्बर–2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. बी–806, 8वीं मंजिल, हम सब सीजीएचएस लि., प्लॉट नं.–14, सैक्टर–4, द्वारका, नई दिल्ली भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
4.	श्री तरुण कुमार कौशिक एवं श्री राम साधू (ऋण खाता सं. 606915080)	31–जुलाई–19* को बकाया रु. 14,38,343/– (केवल चौदह लाख अड़तीस हजार तीन सौ तैंतालीस रुपये)	10–सितम्बर–2019	06–दिसम्बर–2019 (प्रतिकात्मक)	फ्रीहोल्ड फ्लैट न0 47ए, एलआईजी फ्लैट, भू–तल, पॉकेट – बी, सैक्टर 26, डीडीए द्वारका, द्वारका, नई दिल्ली और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उपार्जित जैसा भी लागू अनुसार आगे ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागतें, प्रभार आदि के साथ।

हालाँकि, चूँकि यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदार बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए विशेषकर उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारियों ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति का **प्रतिकात्मक कब्जा** अपने पास ले लिया है।

विशेषकर यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के साथ लेनदेन न करें और कथित अचल समाप्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर कोई भी लेनदेन हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के बंधक के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकृष्ट/आमंत्रित किया जाता है/जाते हैं।

लिखित जारी पंचनामा की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों से अनुरोध है/हैं कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर लें।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 09.12.2019

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
ह0/–
प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालयः रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई–400 020

punjab national bank

शाखा कार्यालयः सीएलपीसी ग्रीन पार्क, तृतीय तल, 10, राकेशदीप बिल्डिंग, गुलमोहर एनक्लेव, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली–110049

नियम 8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता, **पंजाब नैशनल बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के सपठित नियम 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एक डिमाण्ड नोटिस दिनांक 27.09.2019 को ऋणी मैसर्स हेमकुंट मशीनरी एण्ड ट्रैक्टर पार्ट्स, प्रोप– श्री कंवलजीत सिंह, 20–ए/35बी, तिलक नगर, पश्चिम दिल्ली–110018, यहां भी:– डी–1/52 फेज–II, मायापुरी, नई दिल्ली– 110054 को नोटिस में उल्लेखित राशि रू. 89,17,655.14 (अक्षरे रुपये नवासी लाख सत्रह हजार छः सौ पचपन एवं चौदह पैसे मात्र) अनुबन्ध की दर से भविष्य का लागू ब्याज का भुगतान एवं साथ में आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि का भुगतान 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना–पत्र की दिनांक/प्राप्ति दिनांक से लौटाने के लिये निर्गमित किया।

ऋणी के राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणी एवं जन सामान्य को एतद द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक आधिपत्य **दिनांक 05 दिसम्बर 2019** को ग्रहण कर लिया है।

ऋणी एवं जमानती को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद द्वारा सपंति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपति के साथ कोई व्यवहार रू.89,17,655.14 (अक्षरे रुपये नवासी लाख सत्रह हजार छः सौ पचपन एवं चौदह पैसे मात्र) अनुबन्ध की दर से भविष्य का लागू ब्याज का भुगतान एवं साथ में आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि के भुगतान के लिये **पंजाब नैशनल बैंक, शाखा कार्यालय– सीएलपीसी ग्रीन पार्क, तृतीय तल, 10, राकेशदीप बिल्डिंग, गुलमोहर एनक्लेव, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली–110049** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री कंवलजीत सिंह के स्वामित्व में 20–ए/35बी, तिलक नगर, नई दिल्ली–110018 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 100.00 वर्गगज।

दिनांक: 05.12.2019,
स्थानः तिलक नगर, नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लि., प्रथम तल वीडियोकॉन टॉवर, ई–1, झण्डेवालान, एक्सटेंशन नई दिल्ली–110055, दूरभाषः 011-66083007/56/65 | वेबसाइटः www.idbibank.in
CIN: L65190MH2004GOI148838

कब्जा सूचना [नियम 8 (1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **आईडीबीआई बैंक लि.** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्यांक 54) के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 03.09.2019** को एक मांग नोटिस जारी करके ऋणी **श्री रवि कुमार (उधारकर्ता)**, को नोटिस में वर्णित **बकाया राशि रु. 83,17,986/– (रुपए तिरासी लाख सत्रह हजार नौ सौ छियासी मात्र) दिनांक 10.07.2019** तक उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था।

ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा **दिनांक 05 दिसम्बर 2019** को ले लिया है।

ऋणी एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन–देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन–देन **आईडीबीआई बैंक लि.** के बकाया रु. **83,17,986/– (रुपए तिरासी लाख सत्रह हजार नौ सौ छियासी मात्र) दिनांक 10.07.2019 तक + अन्य प्रभार एवं ब्याज के अधीन होगा।**

सुरक्षित सम्पत्ति के एवज में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

संपत्तियों का विवरण

फ्लैट नं. 1103, 11वीं मंजिल, टॉवर ए, आकृति शान्ति निकेतन, प्लाट नं. जीएच–01, सेक्टर–143, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301 की संपत्ति के सभी भाग और अंश के साथ भवन और संरचना के सभी प्लांट और अन्य जमीन से जुड़ी या स्थायी रूप से जमीन से जोड़ी हुई सभी मशीनरी शामिल हैं।

स्थान : नोएडा
दिनांक : 05.12.2019

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक
punjab national bank ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

सास्त्रा विभाग (वसूली) सर्किल कार्यालय, प्रभात नगर, एलआईसी बिल्डिंग मेरठ–पिन 250001

नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के तहत जनसाधारण हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), बंधकदता(ओं) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति(यां) (विवरण नीचे दिया गया है), जिनका सांकेतिक/भौतिक कब्जा पंजाब नैशनल बैंक, प्रत्याभूत लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, निम्नवर्णित कर्जदार(रों), बंधकदता(ओं) तथा गारंटर(रों) की तरफ पंजाब नैशनल बैंक, प्रत्याभूत लेनदार, की बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 15–01–2020 (आस्ति क्रम में तिथि और समय नीचे वर्णित) को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

प्रत्येक आस्ति का सुरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि निम्नानुसार है। अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन ज्ञात ऋणभार, यदि कोई, सहित नीचे दिया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें 1) www://pnbindia.in, 2) https://etender.pnbnet.in:8443/, 3) https://eprocure.gov.in/epublish/app

'नीलामी एक बार असफल रहने और बैंक द्वारा दूसरी बार नीलामी आयोजित की जाने पर बैंक प्रतिनिधि नियुक्त करने तथा स्वयं बोली लगाने और नीलामी में भाग लेने स्वतंत्र है।

प्रतिभूत आस्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम	ऋणी का विवरण	सम्पत्ति (यों) के स्वामियों/बंधकदाताओं के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात ऋणभार का विवरण	मांग सूचना के अनुसार देय राशि (रू. में)	सरफासी ऐक्ट की धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि	सरफासी ऐक्ट की धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि	न्यूनतम सुरक्षित मूल्य (राशि लाख में)	धरोहर राशि (राशि लाख में)	निविदा तिथि एवं समय	बोली गुणक (राशि लाख में)	प्राधिकृत अधिकारी अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नंबर
				आवासीय सम्पत्तियां									
1.	बागपत, मेरठ	मैसर्स शर्मा ट्रेड लिंक्स	श्री शब्बीर अहमद पुत्र श्री अब्दुल करीम	आवासीय फ्लैट प्रथम तल नंबर ई–103, टावर नंबर ई, दि ताज सरताज कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड ताज एन्क्लेव के नाम से मशहूर, लिंक रोड, गीता कालोनी, दिल्ली–31 एरिया–83.33 वर्ग मीटर	ज्ञात नहीं	रू. 39,96,864/– + 01–04–2019 की प्रभावी तिथि से ब्याज + खर्चे	10–05–2019	31–10–2019 (सांकेतिक)	रू. 57.00 लाख	रू. 5.70 लाख	15–01–2020 पूर्वा. 10.30 बजे से पूर्वा. 11.00 बजे तक	रू. 1,00,000/–	दीपक शर्मा 8630543996
2.	बागपत, मेरठ	मैसर्स शर्मा ट्रेड लिंक्स	श्रीमती गीता रानी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद गर्ग	आवासीय मकान नंबर डीएन–56, खसरा नंबर 1448 का हिस्सा (ओ–14), श्याम नगर, टूहीराम कालोनी, निकट सुनारों की बगीची, पलवल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा एरिया–280.00 वर्ग गज	ज्ञात नहीं	रू. 39,96,864/– + 01–04–2019 की प्रभावी तिथि से ब्याज + खर्चे	10–05–2019	31–10–2019 (सांकेतिक)	रू. 71.00 लाख	रू. 7.10 लाख	15–01–2020 पूर्वा. 11.00 बजे से पूर्वा. 11.30 बजे तक	रू. 1,00,000/–	दीपक शर्मा 8630543996
				वाणिज्यिक सम्पत्ति									
3.	आबू लेन, मेरठ	मैसर्स सर्वहित ट्रस्ट	मैसर्स वीएएम रिजॉर्ट्स ऐंड होटल्स प्रा. लि., द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी – श्री विजयपाल यादव पुत्र स्व. श्री राम चंद्र यादव	कॉमर्शियल यूनिट नंबर 15, 16, 17, 18 एवं 19, पांचवां तल (पार्ट), ब्लॉक–ए, प्लॉट नंबर 21 का हिस्सा, आई.टी. स्क्वायर बिल्डिंग, सेक्टर नालेज पार्क–III, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) एरिया–5120.96 वर्ग फीट	ज्ञात नहीं	रू. 32,92,53,679/– +01.01.2018 की प्रभावी तिथि से	11.01.2018	27.06.2018 (सांकेतिक)	रू. 148.00 लाख	रू. 14.80 लाख	15–01–2020 मध्या. 11.00 बजे से अप. 11.30 बजे तक	रू. 2,00,000/–	दीपक शर्मा 8630543996
4.	आबू लेन, मेरठ	मैसर्स सर्वहित ट्रस्ट	मैसर्स ईएमएम वी इन्फो (इंडिया) प्रा. लि., द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी – श्री विजयपाल यादव पुत्र स्व. श्री राम चंद्र यादव	कॉमर्शियल यूनिट नंबर 21 पांचवां तल (पार्ट), ब्लॉक–ए, प्लॉट नंबर 21 का हिस्सा, आई.टी. स्क्वायर बिल्डिंग, सेक्टर नालेज पार्क–III, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) एरिया–1000.00 वर्ग फीट	ज्ञात नहीं				रू. 28.90 लाख	रू. 2.89 लाख	15–01–2020 अप. 12.00 बजे से अप. 12.30 बजे तक	रू. 50,000/–	दीपक शर्मा 8630543996

धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि 13–01–2020 अप. 5.00 बजे तक है। इच्छुक बोलीदाता अपनी धरोहर राशि डीडी द्वारा पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के नाम में जमा कर सकते हैं, अथवा आपर पंजाब नैशनल बैंक, मेरठ खाता नंबर 0729002100018602 **(IFSC Code PUNB0072900)** के नाम में एनईएफटी/आरटीजीएस धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि तक कर सकते हैं। कोआपरेटिव बैंकों का ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त नीलामी पंजाब नैशनल बैंक, सास्त्रा विभाग, सर्किल कार्यालय, प्रभात नगर, एलआईसी बिल्डिंग मेरठ में आयोजित की जाएगी। नीलामी के अतिरिक्त नियमों एवं विनियमों के लिए कृपया ये वेबसाइट्स देखें अथवा नोडल अधिकारी श्री एस के गोयल (मोबाइल 8171557292) से ऊपर दिए पते पर सम्पर्क करें। बैंक का बिना कोई कारण बताए नीलामी प्रक्रिया निरस्त/निलम्बित करने का अधिकार सुरक्षित है।

सफल बोलीदाता को बोली/बिक्री राशि की 25 प्रतिशत राशि (जिसमें जमा की गई धरोहर राशि शामिल है) तत्काल अर्थात उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्यदिवस तक उपरिवर्णित खाते में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा बिक्री संचालित कर रहे प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करनी होगी। बोली राशि की शेष 25 प्रतिशत राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहने पर, जमा की जा चुकी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्रतिभूति की दोबारा बिक्री जाएगी। सफल बोलीदाता को बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी। बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहने पर, पहले जमा की जा चुकी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति अथवा अनुवर्ती बिक्री राशि के किसी भी अंश के संबंध में चूककर्ता क्रेता के सभी दावे अमान्य होंगे। यदि नीलामी की तिथि को अवकाश घोषित होता है, तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी।

कर्जदारों/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे मांग सूचना के अनुसार सम्पूर्ण राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित) नीलामी की तिथि से पहले जमा कर दें। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी तथा बकाया राशि, यदि कोई, कर्जदार से ब्याज और खर्चों सहित वूसल की जाएगी। नोट : अधिक जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबरों पर सम्पर्क करें : 8171960181, 9599811911

दिनांक : 09–12–2019 | स्थान : मेरठ | प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	23.5 डि.से.	23.5 डि.से.	22.3 डि.से.	23.4 डि.से.
न्यूनतम	7.7 डि.से.	7.7 डि.से.	7.7 डि.से.	7.7 डि.से.

ट्रेन से मृतकों को उनके गांव ले जाने की बात पर

शव गृह के बाहर परिजनों का हंगामा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

शव गृह के बाहर सोमवार दोपहर को उस वक्त परिजनों और रिश्तेदारों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जब एक सरकारी अधिकारी ने उन्हें बताया कि चाहे तो पीड़ित परिजन शव को ट्रेन के माध्यम से अपने गांव ले जा सकते हैं। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने किया जिसके बाद दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन शव गृह से बाहर निकले और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार सभी के शव को एंबुलेंस की माध्यम से ही उनके गांव तक पहुंचाएगी। उसके बाद परिजन शांत हुए। इमरान हुसैन ने बातचीत के दौरान बताया कि सोमवार को दो मजदूरों के शव उनके गांव मुरादाबाद सरकारी खर्चे से भेजा गया।

बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले जाकिर हुसैन ने कहा कि बिहार सरकार ने मजदूरों के शव को घर ले जाने के लिए रिश्तेदारों के वास्ते प्रबंध किए हैं, लेकिन प्रक्रिया को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। इस अग्निकांड में अपने भाई को खो दिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन ने रविवार को कहा था कि दिल्ली सरकार शवों को घर ले जाने के लिए उन्हें एंबुलेंस उपलब्ध कराएंगे। मृतकों के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की इस मुद्दे पर अस्पताल अधिकारियों से तीखी नोंकझोंक भी हुई। वहीं, बिहार के बेगूसराय निवासी मोहम्मद शमशेर ने कहा कि ट्रेन से जाने को लेकर खुश नहीं हैं। ट्रेन समस्तीपुर में रूकेगी ओर हमारा गांव बरजीना वहां से 70 किमी दूर है। मृतक मो. वाजिद (17) के परिजनों ने बताया कि वाजिद के परिवार में मां-पिता है। घर की आर्थिक स्थित ठीक न होने ही वजह से वह चार माह पूर्व ही काम की तलाश में दिल्ली आया था।

दोनों बेटे घर आने वाले थे, पहुंची मौत की खबर

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

रानी झांसी रोड स्थित कारखाना में जान गंवाने वाले मजदूरों में कई ऐसे थे, जो एक ही परिवार के सदस्य थे। कई मजदूर ऐसे भी थे, जो एक ही गांव के रहने वाले थे। मजदूरों के परिवार और रिश्तेदारों का सोमवार को सुबह होते ही लोक नायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल के शव गृह के बाहर जुटने लगे थे। नम आंखें बता रही थी कि परिजन कितने बेबस और व्याकुल हैं।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले दो सगे भाई इमरान और इकराम भी शामिल हैं। इस परिवार के दो अन्य सदस्य समीर और अशफाक की हादसे में मौत हो गई है। इन सभी की मौत दम घुटने से हुई थी। इसी प्रकार से गांव निरयार, जिला सहरसा, बिहार के चार मजदूर गयासुद्दीन (19), मोहम्मद फैजल (22), मोहम्मद रशीद (16) और मोहम्मद संजार (18) की मौत कारखाना में हो गई थी। इनकी भी मौत दम घुटने से हुई थी। इन सभी के परिजन सोमवार को एलएनजेपी अस्पताल शव लेने पहुंचे थे।

शव गृह के बाहर बातचीत के दौरान मुरादाबाद निवासी जमील अहमद ने बताया कि इस हादसे में उनके दो बेटे इमरान और इकराम की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि उनका बेटा इमरान रविवार सुबह गांव आने वाला था। देर रात को बात हुई थी। सब ठीक-ठाक बताया था। उसने कहा था कि काफी दिन

हो गए हैं। वह गांव नहीं गया है। इस रविवार को कारखाना में काम बंद रहेगा। अच्छा मौका है माता-पिता से वह मुलाकात कर लेगा। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद दूर नहीं होने की वजह से वह रविवार को आता था और शाम को दिल्ली के लिए लौट जाता था।

बिहार के ही गांव हरिपुर, जिला समस्तीपुर के रहने वाले गुड्डू, मोहम्मद सदरे और मोहम्मद साजिद की मौत हो गई थी। ये सभी एक ही गांव के रहने वाले थे और पिछले कुछ महीने से कारखाना में काम कर रहे थे। इसी प्रकार मोहम्मद गुलाब, सननाउल्ला, दुलारे और अब्बास गांव बुधनगड़ा, जिलस सीतामढ़ी, बिहार के रहने वाले थे। इस हादसे में अब्बास और इनूल अपास में रिश्तेदार थे। बुजुर्ग इनूल अब्बास के ससूर थे। इन सभी का दम घुटने से मौत हो गई थी। मोहम्मद फैजल के रिश्तेदार ने बताया कि बिहार के एक-दो गांव नहीं, बल्कि दर्जनों गांवों में मातम फैला हुआ है। वहीं, रिश्तेदार इमजियाज ने कहा कि उनकी मोहम्मद फैजल से रात को घटना से पहले बात हुई थी। उसने कहा था कि रविवार को मिलने आएगा। पर सुबह हुई तो मौत की सूचना मिली।

ऐसा ही एक अनाथ मुरादाबाद के रहने वाले अली अहमद (12) अपने पिता इकरान अहमद को खोया था। बेबस अली अपनी नानी के साथ पिता को देखने आए था। उसने बताया कि उसके पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। वहीं, बिहार के समस्तीपुर निवासी मोहम्मद साजिद (25) भी इस अग्निकांड में भेट चढ़ गए। पिरवार में पत्नी और तीन बच्चे है। वे गांव में रहते हैं। उनके रिश्तेदार बाजिद अली ने बताया कि अभी जल्द ही गांव से लौटा था और बीती छह महीने से इस कारखाना में काम कर रहे थे। यह परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उनके ही गांव के रहने वाले मोहम्मद वाजिद (17) हादसे का शिकार हो गए। उसके परिवार में माता-पिता है। चार महीने पहले ही गांव से लौटा था। घर की आर्थिक स्थित खराब होने की वजह से कम उम्र में ही रोजगार की तलाश में दिल्ली चला आया था। नौकरी मिलने पर परिजन खुश थे, लेकिन कहां पता था कि जो बेटा दिल्ली कमाने गया है, दूसरों की लापरवाही की वजह से मौत के मुंह में चला जाएगा।

अग्निकांड ने खोली निगम और पुलिस की पोल

200 गज के चार मंजिला कारखाने में 40 कमरे, कैसे न होता हादसा

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

दिल्ली के अनाज मंडी कारखाना हादसा ने एक बार फिर दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस की पोल खोल कर रख दी है। दो सौ गज के इस इमारत में एक नहीं बल्कि कई अलग-अलग तरह के कारखाने नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था। रिहायशी इलाका होने के कारण किसी भी कारखाने का लाइसेंस नहीं था। घटना के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या लक्ष्मीनगर के ललिता पार्क मल्टी स्टोरी इमारत हादसे की तरह इस घटना में भी निगम और पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरेगी? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति के निर्देश पर निगम का सर्वे और पुलिस का गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे कारखाने पर कार्रवाई नहीं होने का नतीजा ही है कि रानी झांसी मार्ग में एक ही रात में 43 लोगों की जानें चली गई।

रविवार तड़के रानी झांसी रोड फिल्मिस्तान के पास हुए अग्निकांड में करीब 200 गज की जमीन पर चार मंजिला इमारत में अलग-अलग तल पर महिलाओं के बैग, प्लास्टिक दाना और अन्य सामान बनाने के कारखाने चल रहे थे। यह पूरा इलाका रिहायशी है और नियमों के मुताबिक किसी भी रिहायशी इलाके में कारखाने नहीं चलाई जा सकती। यदि रिहायशी इलाके में कोई कारखाने चलाई जाती है तो उसे बंद करने या सील करने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। यह क्षेत्र उत्तरी निगम के तहत आता है। इस इमारत में चल रहे कारखाने को लेकर उत्तरी निगम पर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है।

सवाल यह है कि इस इलाके में पिछले 10 सालों से यह कारखाने चल रहे थे लेकिन निगम के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। घटना के बाद अब निगम की स्थाई समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश का कहना है कि बिना लाइसेंस के कारखाने चलने के बाद इतने लोगों की असमय मौत से वे बेहद दुखी हैं। घरेलू कारखाने का लाइसेंस देने की जिम्मेदारी में निगम के जिन लापरवाह अधिकारियों को दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इसी तरह की घटना का पुनरावृत्ति न हो लिहाजा दिल्ली सरकार को औद्योगिक इलाके को विकसित करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता हो। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस इमारत में प्लास्टिक दाना बनाने का भी कारखाने चल रहे थे जबकि दिल्ली में प्लास्टिक के कारखानों पर प्रतिबंध है। बताया जा रहा था कि यहां रिहायशी इलाके में कारखाने चलाने के लिए एक भी मानदंड का पालन नहीं किया जा रहा था। इस चार मंजिला इमारत के हर तल पर करीब 8-10 कमरे हैं और हर कमरे में अलग-अलग तरह की फैक्टरियां चल रही थीं।

निगम अधिकारियों के बाद इस हादसे में दिल्ली पुलिस की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। पुलिस के हर डिविजन अधिकारी अवैध निर्माण के साथ अवैध कारखाना चलाने की रिपोर्ट विभाग को भेजती है। निगम में विपक्ष के नेता रहे पार्षद राकेश कुमार का कहना है कि अब सवाल उठाया जा रहा है कि सालों से यहां अवैध कारखाने चल रहे थे। पुलिस अधिकारी किराएदारों का सर्वेक्षण करती है तो क्या अवैध कारखाना उनकी नजर में नहीं आया।

लक्ष्मीनगर हादसे से भी नहीं खुली आंख

2010 में लक्ष्मीनगर हादसे में 70 लोगों की जान गई थी। इस मामले में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश लोकेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में बनी जांच आयोग ने निगम की पोल खोल दी थी। आयोग ने कहा था कि निगम का यह दायित्व है कि वह निर्माण होने वाले की वैधता देखे। इस घटना में निगम ने अपनी जिम्मेवारी का पूरी तरह निर्वहन नहीं किया जिसका परिणाम लक्ष्मीनगर हादसा सामने आया। तत्कालीन निगम आयुक्त केएस मेहरा ने मुख्य सर्तकता आयुक्त की रिपोर्ट के बाद निगम के पांच अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया था। इस मामले में एक सहायक अभियंता, एक कनिष्ठ अभियंता, दो लाइसेंसिग इंसपेक्टर और एक गृह कर इंसपेक्टर शामिल थे। इन पांचों को अवैध निर्माण के लिए दोषी पाया गया था।

संपत्ति के मालिक, प्रबंधक 14 दिन की हिरासत में

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली की अदालत ने उत्तर दिल्ली के भीड़भाड़ वाले अनाज मंडी इलाके के उस चार मंजिला इमारत के मालिक और प्रबंधक को सोमवार को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जिसमें रविवार की सुबह भीषण आग लग जाने के कारण 43 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। पुलिस ने रेहान और फुरकान की हिरासत की मांग की जिसे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने मंजूर कर लिया।

अदालत ने कहा कि घटना की विभीषिका को देखते हुए इसकी बहुआयामी जांच की जरूरत है और इसलिए आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजे जाने की जरूरत है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गैरइरादतन हत्या और आग के संदर्भ में लापरवाह रवैया अपनाने के लिए भादंसं की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था। मामला अपराध शाखा के पास भेज दिया

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने मंजूर की मांग

गया है। पुलिस ने अदालत से कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि कुछ अन्य आरोपी थे और उनकी भूमिका का पता लगाने के लिए दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। इमारत में प्राधिकरणों से मंजूरी के बगैर फैक्टरी चलती थी। पुलिस ने कहा कि भवन के तीन मालिक थे और उन्होंने अलग-अलग लोगों को भवन किराए पर दे रखा था जिनकी भूमिका की भी जांच की जाएगी।

पुलिस ने अदालत में कहा, 'यह संवेदनशील मामला है। ज्यादातर लोग दूरदराज के इलाकों से थे। अभी तक मृतकों के नाम और पते की भी पहचान नहीं हुई है। यह जटिल प्रक्रिया है। रेहान और फुरकान बचपन के दोस्त हैं और वे 2003 से एक साथ व्यवसाय कर रहे हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेना जरूरी है। अन्यथा न्याय नहीं हो पाएगा।'

रेहान और फुरकान के वकील ने रिमांड के आग्रह का विरोध किया और कहा कि पुलिस पहले ही सभी दस्तावेजों और संपत्ति के समझौता पत्रों को जब्त कर चुकी है। वकील ने अदालत से कहा, 'जरूरत पड़ने पर आरोपी दूसरे दस्तावेज भी मुहैया करा देंगे। पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं है।' पुलिस ने अदालत को यह भी सूचित किया कि मामले को अपराध शाखा को स्थानांतरित करने के लिए उन्हें कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली सरकार ने अग्निकांड की जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे और सात दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा।

साल 1997 में हुए उपहार अग्निकांड के बाद यह सबसे भीषण आग त्रासदी थी। मरने वाले अधिकतर लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर थे।

सभी शवों की हुई शिनाख्त, 21 का हुआ पोस्टमार्टम

हादसे में सभी मृतकों की शिनाख्त सोमवार देर शाम तक हो गई थी। रविवार को एलएनजेपी अस्पताल में 34 और लेडी हार्डिंग अस्पताल में नौ शव पहुंचे थे। सोमवार को दोनों अस्पतालों में मृतकों के पोस्टमार्टम किए गए। लेडी हार्डिंग अस्पताल में सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं, एलएनजेपी में 34 में केवल 12 शवों के पोस्टमार्टम हुए। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मृतकों के परिजन अभी तक दिल्ली नहीं आए हैं लेकिन उनके जानकारों ने उनके शवों की शिनाख्त कर ली गई है। एलएनजेपी में सुबह 10:30 से देर शाम तक पोस्टमार्टम किया गया। वहीं, लेडी हार्डिंग में सुबह से लेकर रात नौ बजे पोस्टमार्टम किया गया। मंगलवार को अन्य मृतकों के परिजनों के आने के बाद और पोस्टमार्टम किए जाएंगे।

एम्स में लगी आग की रिपोर्ट पर साधी चुप्पी

जिन डॉक्टरों के कमरे में लगी आग वे भी अनभिज्ञ

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भीषण आगजनी की घटना को पांच महीने होने को आए लेकिन अभी तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ दिन पहले तक जांच रिपोर्ट ही नहीं आई थी। लेकिन अब रिपोर्ट आ जाने के बाद भी एम्स प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। एम्स ने इसे सार्वजनिक नहीं किया। बाहरी लोगों की बात तो दूर एम्स के उन संकाय सदस्यों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई जिनके कमरे सहित तमाम कागजात व रिपोर्ट जल कर खाक हो गई थी। एक लाइन में जो बात संकाय सदस्यों को पता चलीं उनमें केवल इतना भर है कि कुछ सुदृढ़िकरण की जरूरत है।

देश में एक के बाद एक आगजमी की घटाएं रुक नहीं रहीं हैं। इसके लिए एहतियाती उपाय का न होना ही नहीं बल्कि घटना के बाद प्रशासन का लचर रवैया भी कम जिम्म्दार नहीं माना जा रहा है। देश के नामी संस्थान एम्स में 17 अगस्त को लगी भीषण आग की घटना को हुए करीब पांच महीने बाद तक उस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। संकाय सदस्यों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि संस्थान उस मामले में अभी तक चुप्पी साधे हुए है।

करीब 30 से 40 संकाय सदस्य इस घटना से सीधे व बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जिनके अहम दस्तावेज शोध के आंकड़े कंप्यूटर व चिकित्सा शोध से जुड़े जांच के नमूने खाक हो चुके हैं। एम्स के एक वरिष्ठ संकाय सदस्य ने बताया कि काफी दिन इंतजार के बाद अक्तूबर में पता चला कि अभी और जांच के नमूने लिए जाने हैं। जबकि तब तक प्रभावित हिस्से की साफ सफाई की जा चुकी थी। फिर नवंबर में

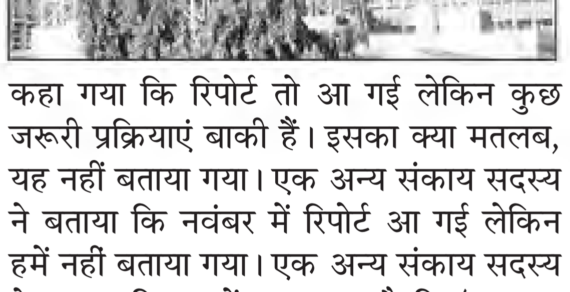

कहा गया कि रिपोर्ट तो आ गई लेकिन कुछ जरूरी प्रक्रियाएं बाकी हैं। इसका क्या मतलब, यह नहीं बताया गया। एक अन्य संकाय सदस्य ने बताया कि नवंबर में रिपोर्ट आ गई लेकिन हमें नहीं बताया गया। एक अन्य संकाय सदस्य ने बताया कि इसमें कहा गया है कि 'इट इज ग्रासली नार्मल बिल्डिंग एंड नीड सम रिएंफोर्समेंट'। एक और संकाय सदस्य ने बताया कि एक बैठक में निदेशक ने इस बारे में केवल इतना कहा कि कुछ सुदृढ़ीकरण की जरूरत है। पर आज तक नहीं बताया कि आग की वजह क्या थी, चूक कहां हुई, जिम्मेदार कौन है, उपाय क्या किया जाना है।

संकाय सदस्यों का कहना है कि इमारत में कोई खामी है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए क्योंकि आज भी इसमें कापी संकाय सदस्य व दूसरे कर्मचारी काम करते हैं। यह जानना उनका हक है कि इमारत सुरक्षित है या नहीं। संकाय सदस्यों में इस बात को लेकर गहरा रोष है कि आग लगने के बाद हर बार यही होता है कि जांच व जांच रिपोर्टों पर चुप्पी साध ली जाती है। जब संपदा विभाग व कानूनी मामलों के प्रकोष्ठ व दूसरे हिस्से जल कर खाक हुए थे तब भी कुछ कार्रवाई नहीं की गई। यही रवैया रहा तो कभी आग इतनी भायावह भी हो सकती है जिसकी कीमत मरीजों की जान से चुकानी पड़े। इस बारे में एम्स मीडिया प्रकोष्ठ का कहना है कि रिपोर्ट तो आ गई है लेकिन उसमें क्या है यह अभी पता नहीं है।

प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर नोएडा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 9 दिसंबर।

शहर में वायु प्रदूषण का आंकड़ा खतरे के लाल निशान पर पहुंच गया है। सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) का स्तर 375 दर्ज किया गया। एनसीआर में यह स्तर दूसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर गाजियाबाद रहा। जहां एक्यूआइ का स्तर 390 दर्ज हुआ। दोनों ही शहरों के वातावरण में जहरीली गैसों में भी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 12 व 13 दिसंबर को गरज के साथ बारिश की उम्मीद जताई है। इसके बाद ही प्रदूषण में राहत मिलने की उम्मीद है।

नोएडा में चार स्थानों पर लाइव वायु प्रदूषण आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को सेक्टर-1 में एक्यूआइ 375, सेक्टर-62 में 376 , सेक्टर-125 में 357 व सेक्टर-116 में 389 दर्ज किया गया। इसकी वजह शहर में बढ़ते वाहनों का आवागमन और उद्योगों से निकलने वाले धुएं को बताया जा रहा है। हालांकि शहर में कोयले से चलने वाली औद्योगिक इकाईयों पर रोक है।

नकली शराब बनाने वाले कारखाने का खुलासा, छह गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 9 दिसंबर।

बादलपुर कोतवाली पुलिस ने मिलावटी शराब बनाने वाली फैक्टरी का खुलासा किया है। अवैध शराब की फैक्टरी शहर के सेक्टर जू-1 में चल रही थी। पुलिस ने छह तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का सरगना पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में मिलावटी शराब और शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण व वाहन बरामद किए गए हैं। हरियाणा व अरुणाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों से शराब लाकर मिलावटी शराब बनाई जाती थी। शराब तस्करी में एंबुलेंस और दूध की गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था।

यह गैंग ऑन डिमांड आपूर्ति करता था। आबकारी विभाग के नकली बार कोड लगाकर उसे सरकारी ठेकों पर बेचते थे। एसपी देहात रणविजय सिंह ने बताया कि रविवार रात बादलपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ शराब तस्कर एंबुलेंस और दूध की आपूर्ति करने वाले वाहन से शराब लेकर जा रहे हैं। इस पर पुलिस अलर्ट हो गई और चेकिंग शुरू कर दी। देर रात गाजियाबाद की तरफ से जीटी रोड पर एक एंबुलेंस और मदर डेयरी लिखा एक टैंपो आता दिखाई दिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को रोककर तलाश ली,जिसमें अरुणाचल प्रदेश मार्का की 30 पेटी शराब बरामद हुई।

पुलिस ने मौके से छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया,जबकि एक फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रविंद्र, अमरजीत,आकाश,प्रवेश, शिवम व अनुज चौधरी के रूप में हुई है। एसपी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर जू-1 में एक मकान किराये पर ले रखा है,जहां पर मिलावटी शराब बनाई जाती है। आरोपी तस्करों के बताने पर पुलिस टीम ने उक्त मकान में छापेमारी की तो वहां से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। अवैध शराब की तस्करी करने वाला यह गिरोह अरुणाचल व हरियाणा से शराब लाकर उसकी तीव्रता बढ़ाने के लिए उसमें यूरिया मिलाते थे।

जीपीएस घड़ी बांधकर काम करेंगे सफाईकर्मी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 9 दिसंबर।

शहर में सफाई व्यवस्था में लगे कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए अब उन्हें जीपीएस युक्त घड़ी हाथ में पहनाई जाएगी। इस घड़ी के जरिए प्राधिकरण के नियंत्रण कक्ष से सीधे कर्मचारियों पर निगाह रखी जा सकेगी। 500 मीटर की त्रिज्या (रेडियस) के दायरे में यह लोकेशन दिखाएगा। पानी में छह मीटर अंदर तक यह जीपीएस काम कर सकेगा।

सीवर की सफाई के दौरान कर्मचारी इस घड़ी के जरिए जानकारी दे सकता है। घड़ी में एक एसओएस का बटन दिया गया है। जिसमें पांच आपात नंबर दर्ज किए जा सकेंगे। इसमें अग्निशमन, पुलिस, प्राधिकरण के अलावा कर्मी के घर और एक आपात नंबर सुरक्षित किए जा सकते हैं। आपातकाल के समय कर्मचारी के केवल एसओएस का बटन दबाना होगा, जिसके बाद कॉल स्वतः ही लग जाएगी।

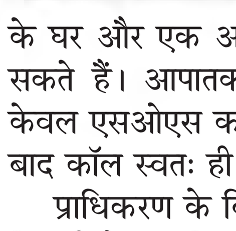

आठ करोड़ रुपए होंगे खर्च
आपातकाल में किया जा सकेगा फोन

प्राधिकरण के विशेषकार्याधिकारी अनिवाश त्रिपाठी के मुताबिक जीपीएस आधारित घड़ियों को लेकर कागजी कार्य पूरा कर लिया गया है। कर्मचारियों की लाइव ट्रेकिंग और सुरक्षा के लिए यह बेहतर उपकरण साबित होगा। घड़ी बनाने व तैयार करने का काम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री (आइटीआइ) करेगा। हालांकि प्राधिकरण व आईटीआई के बीच हुए समझौते में कुछ बिंदु अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। जिनको दूर करने के लिए प्राधिकरण का विधि विभाग लगा है। यह घड़ी करीब 2500 सफाई कर्मचारियों को दी जाएगी। इसी के जरिए कर्मियों की उपस्थिति भी दर्ज होगी।

घड़ियों की खरीद और रखरखाव पर पांच साल में करीब आठ करोड़ रुपए खर्च होंगे। वाटरप्रूफ इस घड़ी का फायदा गहरे सीवर की सफाई करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मी की वास्तविक मौजूदगी भी पता चलेगी। एक महीने में कर्मचारी की लोकेशन समेत पूरा ब्यौरे के अलावा घड़ी में लगे कैमरे से तुरंत फोटो खींचकर भेजी जा सकेगी।

एक कंपनी में कार्यरत युवक-युवती ने की कमरे में आत्महत्या

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 9 दिसंबर।

सेक्टर-63 स्थित वाजिदपुर गांव में रविवार रात एक ही कंपनी में काम करने वाले युवक और युवती ने एक ही कमरे में आत्महत्या कर ली। सोमवार सुबह जब युवक का एक साथी कमरे पर पहुंचा तो इसकी जानकारी हुई। मौके पर थाना फेज-3 पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच की। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। प्राथमिक जांच में आत्महत्या रविवार रात करीब साढ़े 11 बजे के बाद की बताई जा रही है। मौके से एक जला हुआ मोबाइल और दवाओं के खाली पैकेट मिले हैं।

मूल रूप से मेरठ निवासी 21 वर्षीय सुनील उपाध्याय सेक्टर-63 स्थित इएमडीएस कंपनी में काम करता था। कंपनी में मेडिकल बिलिंग का काम होता है। वह किराए पर कमरा लेकर वाजिदपुर गांव में अपने दोस्त अलीगढ़ निवासी कर्मवीर प्रताप सिंह के साथ रहता था। सुनील के साथ ही कंपनी में गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की रहने वाली साक्षी पांडे (23) काम करती थी। दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : द पोयट्री सोसाइटी (इंडिया) का वार्षिक व्याख्यान, कांफ्रेस रूम एक, सेंटर परिसर, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : जलवायु परिवर्तन पर चर्चा सेंटर कांफ्रेस रूम एक और तीन, सेंटर परिसर, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

www.readwhere.com

नागरिकता विधेयक के तहत आने वाले लोगों को 25 साल तक मताधिकार नहीं मिले : शिवसेना

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

शिवसेना ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर सरकार से कई बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा कि जिन लोगों को इस विधेयक के अमल में आने पर नागरिकता मिलने वाली है, उन्हें 25 साल तक मताधिकार नहीं दिया जाए।

'नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019' पर चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना सांसद विनायक राउत ने कहा कि उनकी पार्टी इस पक्ष में है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को यहां सम्मान दिया जाए, लेकिन इसमें श्रीलंका में पीड़ा झेलने वाले तमिलों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से कितने लोग भारत में आए और इस विधेयक के पारित होने के बाद कितने लोगों को नागरिकता दी जाएगी।

राउत ने कहा कि देश बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है और ऐसे में इन लोगों को नागरिकता देने से देश पर कितना बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर विषय पर कुछ राजनीति नहीं हो रही है तो जिन लोगों को नागरिकता दी जाएगी उन्हें 25 साल तक मताधिकार नहीं मिलना चाहिए। शिवसेना नेता ने यह भी पूछा कि जम्मू-कश्मीर से 370 हटने के बाद कितने कश्मीरी पंडितों को वहां बसाया गया है। द्रमुक नेता दयानिधि मारन ने आरोप लगाया कि इस सरकार का हर कदम एक समुदाय के खिलाफ है और इस समुदाय के बीच डर का माहौल है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिमी देशों के डर के चलते ईसाई समुदाय को इस विधेयक के दायरे में लाया गया है। मारन ने कहा कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नाकाम होने के बाद सरकार इस तरह के 'विभाजनकारी' कदम उठा रही है।

दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध आंशिक रूप से हटा

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध सोमवार को आंशिक रूप से हटाते हुए सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक इसे करने की अनुमति प्रदान कर दी।

न्यायालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें कहा गया था कि शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सांसद होने का स्वांग रचाकर संसद भवन में घुसने का प्रयास करने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

नई दिल्ली में एक व्यक्ति ने सांसद होने का स्वांग रचकर संसद भवन परिसर में घुसने का प्रयास किया। पुलिस ने बताया कि घटना सोमवार को संसद का सत्र चलने के दौरान हुई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति की पहचान वरुण माथुर के रूप में हुई है, जो जनकपुरी इलाके का निवासी है।

भवन के अंदर प्रवेश करने से पहले उसे रिसेप्शन के पास सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया। उसे दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिसर में उसके घुसने के कारणों का पता लगा रही है।

संसद में उठा अग्निकांड का मुद्दा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में रविवार को हुए भीषण अग्निकांड का मुद्दा सोमवार को संसद के दोनों सदनों में उठा। सदस्यों ने इस घटना पर पीड़ा व्यक्त करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कानून बनाने की मांग की।

लोकसभा में शून्यकाल में जद (एकी) के दिनेश चंद्र यादव और सुनील कुमार पिंटू व भाजपा के राजीव प्रताप रूडी और कांग्रेस के सुरेश ने यह मुद्दा उठाया। यादव ने कहा कि दिल्ली के अग्निकांड में जिन मजदूरों की मौत हुई है और उनमें से ज्यादातर बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि शवों को मृतकों के घर पहुंचाने का प्रबंध किया जाए, प्रत्येक मृतक के परिवार को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कानून बनाया जाए। रूडी ने कहा कि यह बहुत दर्दनाक हादसा था और इसके लिए विशेष जांच बैठाई जाए। पिंटू ने कहा कि मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। सुरेश ने कहा कि इस मामले पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। इस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस विषय पर गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को सदन में जवाब देंगे।

राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि इस हादसे में न केवल 43 लोगों की जान चली गई बल्कि 20 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। शून्यकाल में भाजपा और आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने इस अग्निकांड का मुद्दा उठाने की अनुमति मांगी थी।

भाजपा के विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली में उपहार सिनेमा अग्निकांड हुआ और इसके बाद ओखला, नरेला, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सहित अन्य जगहों पर भी भीषण आग लगी। लेकिन इनसे कोई सबक नहीं सीखा गया। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच और दस-दस लाख रुपए के मुआवजे से कुछ नहीं होगा। हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न होने पाएं।

गवली की सजा बरकरार

मुंबई, 9 दिसंबर (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की 2008 में हत्या करने के जुर्म में गैंगस्टर अरुण गवली की उम्रकैद की सजा सोमवार को बरकरार रखी। मकोका अदालत ने 2012 में गवली और 10 अन्य दोषियों को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने गवली और अन्य आरोपियों की दोषसिद्धि व सजा बरकरार रखी।

बजाज फाइनेंस लिमिटेड

BAJAJ FINSERV

कॉर्पोरेट कार्यालय : तीसरी मंजिल, बजाज फिनसर्व पंचशील टेक पार्क विमान नगर, पुणे, महाराष्ट्र, भारत-411014, महाराष्ट्र
शाखा कार्यालय : 8वीं, 10वीं, 11वीं एवं 13वीं मंजिल, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-110034 एवं तीसरी मंजिल, प्रिंसटन बिजिनेस पार्क, 16, अशोक मार्ग, निकट जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226001

कब्जा सूचना

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(4) के तहत। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8(1) (परिशिष्ट-IV)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत मैसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल) के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सूचना में निम्नलिखित उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को एक माँग सूचना निर्गत की थी। कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड की ओर से कथित नियमों के नियम 8(1) के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को तथा जनसामान्य को कथित सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और कथित सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि(यों) तथा उस पर भावी ब्याज हेतु बीएफएल के प्रथम प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम (लैन सं., शाखा का नाम)	प्रतिभूत आस्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	माँग सूचना की तिथि तथा राशि	कब्जा करने की तिथि
शाखा : नई दिल्ली/लखनऊ लैन : 456LAP03087044 तथा 456LAP07655313 कर्जदार/सह-कर्जदार : 1. जेनेसिस क्लब लिमिटेड (अपने हस्ताक्षरी प्राधिकरण परेश रस्तोगी के माध्यम से) 2. आर.सी. क्लब्स प्रा.लि. (अपने हस्ताक्षरी प्राधिकरण परेश रस्तोगी, पीयूष रस्तोगी तथा दीपक रस्तोगी के माध्यम से) 3. परेश रस्तोगी पुत्र (लक्ष्मी चन्द्र रस्तोगी) 4. पीयूष रस्तोगी पुत्र (लक्ष्मी चन्द्र रस्तोगी) 5. दीपक रस्तोगी पुत्र (लक्ष्मी चन्द्र रस्तोगी) 6. करन रस्तोगी पुत्र (पंकज रस्तोगी) 7. पंकज रस्तोगी पुत्र (जवाहर लाल रस्तोगी) 8. रोहतास प्रॉपर्टीज (अपने साझेदार परेश रस्तोगी के माध्यम से)	निम्नलिखित पर स्थित, से निर्मित तथा वर्णन वाली गैर-कृषि सम्पत्तियों का सम्पूर्ण भाग : "यूनिट सं. 109 से 118 क्षेत्रफल 10381 प्रथम तल, रोहतास टेक्नोस्क्वेयर, प्लॉट सं. 40, पॉकेट-1, सेक्टर-नॉलेज पार्क 1, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.-201310." तथा "फ्लैट सं. सी 101, प्रथम तल एवं फ्लैट सं. सी701, 7वाँ तल, सी ब्लॉक प्रेसीडेंशियल टॉवर टी/सीजी 4/4 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010"	माँग सूचना की तिथि : 07.08.2019 रु. 2,85,80,867/- (रुपये दो करोड़ पिचासी लाख अस्सी हजार आठ सौ सड़सठ मात्र)	04 दिसम्बर, 2019

तिथि : 10.12.2019
स्थान : नई दिल्ली

कृते मैसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड
(विनय सोबती), अधिकृत प्राधिकारी

कॉर्पोरेशन बैंक

(एक उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालय : दिल्ली उत्तरी, दूसरी मंजिल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005, दूरभाष सं. 011-28754615, 28754642
ई-मेल आईडी : DLIREC@CORPBANK.CO.IN वेबसाइट : WWW.CORPBANK.COM

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत चल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास नीचे वर्णित बंधक/प्रभारित अचल सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा कॉर्पोरेशन बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री निम्नलिखित कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से कॉर्पोरेशन बैंक के निम्नलिखित बकायों की वसूली हेतु निम्नलिखित तिथियों पर "जहाँ है वहाँ है", "जो है जैसे है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि भी नीचे वर्णित है :

बैंक का नाम तथा पता	एआरएमबी शाखा, दूरभाष सं. 011-28752985, 28752995, 28752993	
कर्जदार तथा जमानती/यों के नाम	कर्जदार : मैसर्स जीवन सार एजुकेशनल सोसाइटी, एच-7, कस्तूरबा अपार्टमेंट्स, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 जमानती : 1. श्री हरित शर्मा, एजी-20, निर्वाण कंट्री, गुरुग्राम, हरियाणा, 2. सुश्री कोमल सत्ती, बी-67, दूसरी मंजिल, सिल्वर क्रेस्ट, सुशान्त लोक-3, सेक्टर-57, गुरुग्राम 3. श्री अनिल अरोड़ा, 203, मैरीगोल्ड अपार्टमेंट, अमरावती एन्कलेव, चण्डी मन्दिर, पंचकुला, हरियाणा-134107 4. श्री दीपक दुआ, कनाडा, 5.श्री राजविन्दर सिंह, एच-7, एचआईजी फ्लैट्स, कस्तूरबा अपार्टमेंड्स, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, 6. श्री अनिता अरोड़ा, 203, मैरीगोल्ड अपार्टमेंट, अमरावती एन्कलेब, चण्डी मन्दिर, पंचकुला, हरियाणा-134107 7. श्री सुधीर कान्त गुप्ता, मकान नं. 751, 8वाँ क्रॉस रोड दूसरा ब्लॉक, आरटी नगर, बंगलुरू-560032, 8. श्री रवीश बगला, एम-21, कस्तूरबा अपार्टमेंट, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, 9. श्री पी.के. उप्पल, 770, सेक्टर-17ए, गुरुग्राम, हरियाणा 10. श्री कुलभूषण, जी-3/84, सेक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली-110085 11. सुश्री आरती धींगरा, ई-82, निर्वाण कंट्री, सेक्टर-50, गुरुग्राम, हरियाणा	बकाया राशि-रु. 37,47,85,188.50 + इस पर ब्याज एवं अन्य प्रभार

वाहन सं. 01 : टाटा स्टार स्कूल बस, पंजीकरण सं. RJ-40PA-0059, इंजन नं. E483CDCB564295.
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 10.01.2020 को 11.45 बजे पूर्वाह्न से 1.15 बजे अपराह्न तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार सहित।
आरक्षित मूल्य रु. 5,85,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 58,500/-
विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया https://corpbank.com/sites/default/files /corpbank-page-files/tender/jee-van_saar_educational_society_2.pdf

वाहन सं. 02 : टाटा स्टार स्कूल बस, पंजीकरण सं. RJ-02-PA-2811, इंजन सं. 497TC41EYY827412
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 10.01.2020 को 11.45 बजे पूर्वाह्न से 1.15 बजे अपराह्न तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार सहित।
आरक्षित मूल्य रु. 4,55,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 45,500/-
विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया https://corpbank.com/sites/default/files /corpbank-page-files/tender/jee-van_saar_educational_society_2.pdf

वाहन सं. 03 : अशोक लेलैण्ड बस, पंजीकरण सं. RJ-40-PA-0226, इंजन नं. DAEZ201080
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 10.01.2020 को 11.45 बजे पूर्वाह्न से 1.15 बजे अपराह्न तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार सहित।
आरक्षित मूल्य रु. 6,83,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 68,300/-
विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया https://corpbank.com/sites/default/files /corpbank-page-files/tender/jee-van_saar_educational_society_2.pdf

वाहन सं. 04 : अशोक लेलैण्ड बस, पंजीकरण सं. RJ-40PA-0354, इंजन नं. DAEZ201453
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 10.01.2020 को 11.45 बजे पूर्वाह्न से 1.15 बजे अपराह्न तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार सहित।
आरक्षित मूल्य रु. 7,50,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 75,000/-
विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया https://corpbank.com/sites/default/files /corpbank-page-files/tender/jee-van_saar_educational_society_2.pdf

तिथि : 09.12.2019
स्थान : नई दिल्ली

अधिकृत प्राधिकारी
कॉर्पोरेशन बैंक

सिंडिकेट बैंक

POSSESSION NOTICE
(For Immovable Property) Rule-8(1)

जैसा कि प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद-13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणियों / गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। ऋणियों / गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्तियों में किसी प्रकार का लेन-देन सिंडिकेट बैंक, संबंधित शाखाओं को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम एवं ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	माग नोटिस की तिथि	कब्जा लेने की तिथि	बकाया राशि
1.	**ऋणी:** एस एस फॉर्म एण्ड नर्सरी। **शाखा:** पिलखुआ।	मकान जिसकी मुंसीपिल नं0. 641, मौ0. राम नगर, गुलावठी, तहसील और जिला बुलन्दशहर जिसकी माप 199.57 स्क्वेयर यार्ड मालिक श्री सतोश कुमार पुत्र टीका राम और संतोष कुमारी शर्मा पत्नि श्री सतोश कुमार। **जिसकी सीमाऐं- उत्तर** में 13 फिट चौड़ा रास्ता, **दक्षिण** में प्रॉपर्टी बिलोंग मंजू वर्मा, **पूर्व** में 11 फिट रास्ता गली और **पश्चिम** में प्रॉपर्टी बिलोंग श्री रविन्द्र कुमार और श्री मुकेश गर्ग।	21.09.2019	04.12.2019	रू0. 41,36,943.73 + ब्याज एवं अन्य व्यय
1.	**ऋणी:** धर्मबीर सिंह पुत्र भगवत सिंह। जमानती: कपिल सैनी पुत्र महेन्द्र सिंह। **शाखा:** एस एस वी हापुड़।	एक प्लॉट जिसकी माप 54 स्क्वेयर यार्ड गांव छामरी, मौहल्ला हरद्वारी नगर, हापुड़ मालिक धर्मबीर सिंह। **जिसकी सीमाऐं- उत्तर** में विमला देवी की भूमि भुजा 22, **दक्षिण** में रास्ता 8 इंच भुजा 22, **पूर्व** में विमला देवी की भूमि भुजा 22 और **पश्चिम** में अल्ला मेहर की भूमि भुजा 22.	12.09.2019	05.12.2019	रू0. 4,27,887.91 + ब्याज एवं अन्य व्यय

दिनांक: 04-12-2019
क्षेत्रीय कार्यालय: हापुड़।
प्राधिकृत अधिकारी

(This is public announcement for information purpose only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. Not for publication or distribution directly or indirectly outside India)

DC INFOTECH AND COMMUNICATION LIMITED

Corporate Identification Number: U74999MH2019PLC319622

Our Company was originally formed as a Partnership Firm under the Indian Partnership Act, 1932 in the name and style of *"DC Infotech"* pursuant to partnership deed dated April 01, 1998 at Mumbai, Maharashtra. Further the Partnership Firm was converted into Public Limited Company *"DC Infotech and Communication Limited"* on January 15, 2019 pursuant to Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013 vide certificate of incorporation issued by Registrar of Companies, Central Registration Centre. For further details, please refer the chapter titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 117 of the Prospectus.

Registered Office: Unit No. 2, Aristocrate, Ground Floor, Lajya Compound, Mogra Road, Andheri (East), Mumbai - 400069, Maharashtra, India;
Tel No: 022-28329000 | **Website:** www.dcinfotech.com | **E-Mail:** cs@dcinfotech.com | **Contact Person:** Nikita Shukla, Company Secretary and Compliance Officer.

OUR PROMOTERS: CHETANKUMAR TIMBADIA AND DEVENDRA SAYANI

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 24,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00/- EACH ("EQUITY SHARES") OF DC INFOTECH AND COMMUNICATION LIMITED ("THE COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 45.00 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), (INCLUDING A PREMUIM OF ₹ 35.00 PER EQUITY SHARE), AGGREGATING ₹ 1,080.00 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 1,26,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00/- FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 45.00 EACH AGGREGATING ₹ 56.70 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 22,74,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 45 PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 1,023.30 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 40.00 % AND 37.90 % RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

THE ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS 2018, (THE "SEBI ICDR REGULATIONS") AS AMENDED FROM TIME TO TIME.

FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 45.00 PER EQUITY SHARE

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10.00/- EACH AND THE ISSUE PRICE OF ₹ 45.00 WHICH IS 4.5 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

THE APPLICATION MUST BE MINIMUM OF 3,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 3,000 EQUITY SHARES THEREAFTER

In terms of Regulation 256 of SEBI ICDR Regulation and SEBI Circular No. CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015, dated November 10, 2015 and SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018, and as modified through its SEBI circular SEBI/HO/CFD/ DIL2/CIR/P/2019/50 dated April 3, 2019, SEBI circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/76 dated June 28, 2019, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/85 dated July 26, 2019 and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 (together, the "UPI Circular"). Retail Individual Investors ("RIIs") applying in public issue through designated intermediaries (other than SCSBs) shall use Unified Payment Interface ("UPI") as a payment mechanism. Investors other than Retail Individual Investors can use Application Supported By Blocked Amount ("ASBA") facility for making application or may use Unified Payment Interface ("UPI") as a payment mechanism. For further details, please refer the chapter titled "Issue Procedure" beginning on page 224 of the Prospectus. In case of delay, in any in refund, our company shall pay interest on the application money at the rate of 15% per annum for the period of delay.

ISSUE PROGRAMME
ISSUE OPENS ON: DECEMBER 12, 2019
ISSUE CLOSES ON: DECEMBER 18, 2019

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!	*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For details, check section on ASBA below.	Mandatory in public issue. No cheque / demand draft will be accepted

UPI — Unified Payments Interface: Now mandatory in ASBA for Retail Investors applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. Retail Investors also have the options to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account.

*ASBA has to be availed by all investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors

LISTING : The Equity shares are proposed to be listed on EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited (**"NSE EMERGE"**) in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations 2018, as amended from time to time. Our company has received an In-Principle approval dated October 01, 2019 from National Stock Exchange of India Limited for using its name in the Offer Document and for listing our shares on the NSE EMERGE. For purpose of this issue our designated stock exchange will be National Stock Exchange of India Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI") : Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Offer Document was not filed with SEBI. In terms of the SEBI ICDR Regulations, SEBI shall not issue any observations on the Offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire "SEBI Disclaimer Clause" on page 207 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF EMERGE PLATFORM OF NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE EMERGE") (DESIGNATED STOCK EXCHANGE) : It is to be distinctly understood that the permission given by the NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the "Disclaimer Clause of SME platform of National Stock Exchange of India Limited" on page 208 of the Prospectus.

RISK IN RELATION TO THE FIRST ISSUE : This being the first Public Issue of our Company, there has been no formal market for the securities of our Company. The face value of the shares is ₹ 10.00/- per Equity Shares and the Issue price is ₹45.00 per Equity Share, is 4.5 times of the face value. The Issue Price (as determined by our Company in consultation with the Lead Manager as stated in the chapter titled on "Basis for Issue Price" beginning on page 73 of the Prospectus) should not be taken to be indicative of the market price of the Equity Shares after such Equity Shares are listed. No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the equity shares of our Company or regarding the price at which the Equity Shares will be traded after listing.

GENERAL RISK : Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares offered in the Issue have neither been recommended nor approved by Securities and Exchange Board of India nor does Securities and Exchange Board of India guarantee the accuracy or adequacy of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Prospectus.

CREDIT RATING: This being the issue of equity shares, no credit rating is required.

DEBENTURE TRUSTEES: As this is an issue of Equity Shares, the appointment of Trustees is not required.

IPO GRADING: Since this issue is made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading Agency

INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

CONTENTS OF MAIN OBJECTS AS PER MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY : For information on the main objects of the Company, please see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 117 of the Prospectus and clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of the Company is a material document which is available for inspection in relation to the Issue. For further details, please see *"Material Contracts and Documents for Inspection"* on page 270 of the Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS : Liability of the members of the company is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE : Authorised share capital is ₹ 600.00 lakhs divided into 60,00,000 equity shares of face value of ₹ 10.00 /- each. Issued, Subscribed and Paid up Share Capital prior to the issue is ₹ 360.00 lakhs divided into 36,00,000 fully paid equity shares of ₹ 10.00/- each. Proposed post issue paid up share capital ₹ 600.00 lakhs divided into 60,00,000 equity shares of ₹ 10.00/- each. For details of the share capital and capital structure of the company, please refer to chapter titled "Capital Structure" on page no. 56 of the Prospectus.

NAME OF THE SIGNATORIES TO MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND THE NUMBER OF SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Chetankumar Timbadia, Devendra Sayani, Jayeshkumar Sayani, Yash Sayani, Devansh Sayani, Dhairya Timbadia and Dharmik Timbadia are the original subscribers to the Memorandum of Association who subscribed 14,40,000, 12,60,000, 1,80,000,1,80,000,1,80,000,1,80,000,1,80,000 equity shares each respectively of ₹ 10.00/- each aggregating to 36,00,000 equity shares.

COMPANY'S ABSOLUTE RESPONSIBILITY : The Issuer, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for and confirms that the Prospectus contains all information with regard to our Company and the Issue, which is material in the context of the Issue, that the information contained in the Prospectus is true and correct in all material aspects and is not misleading in any material respect, that the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the omission of which makes the Prospectus as a whole or any of such information or the expression of any such opinions or intentions misleading in any material respect.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED ***(Formerly known as Fedex Securities Limited)*** 305, Enterprise Centre, Nehru Road, Vile Parle (East), Mumbai 400099, Maharashtra, India **Tel. No.:** +91 81049 85249 **Fax No.:** 022 2618 6966 **Investor Grievance Email:** mb@fedsec.in **Website:** www.fedsec.in **SEBI Registration No.:** INM000010163 **Contact Person:** Rinkesh Saraiya	SATELLITE **SATELLITE CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED** Unit No. 49, Building No. 13 A-B, 2nd Floor Samhita Commercial Co-op Society Ltd, Off Andheri Kurla Road, MTNL Lane, Sakinaka, Mumbai-400072, Maharashtra, India. **Tel No.:** +91 22 28520461/462 **E-mail:** service@satellitecorporate.com **Website:** www.satellitecorporate.com **Contact Person:** Michael Monteiro **SEBI Registration Number:** INR00003639 **Investor Grievance E-mail:** sme.ipo@satellitecorporate.com	**NIKITA SHUKLA** **DC INFOTECH AND COMMUNICATION LIMITED** Unit No.2, Aristocrate, Ground Floor, Lajya Compound, Mogra Road, Andheri (East), Mumbai-400069, Maharashtra, India **Tel. No:** 022-28329000 **Email:** cs@dcinfotech.com **Website:** www.dcinfotech.com **Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Lead Manager or the Registrar to the Issue, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.**

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of Stock Exchange at www.nseindia.com, the website of our Company at www.dcinfotech.com and also on website of Lead Manager at www.fedsec.in.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS : Application forms can be obtained from the Registered office of DC Infotech and Communication Limited and the Lead Manager to the Issue – Fedex Securities Private Limited. Application forms shall be available at selective location of Registered Brokers, Bankers to the Issue, RTA and Depository Participants. Application Forms can be obtained from the website of Stock Exchange and at the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of National Stock Exchange of India Limited & SEBI.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA) : Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed by all the investors. The investors are required to fill the application form and submit the same to the relevant SCSBs at the specific locations or registered brokers at the broker centers or RTA or DP's. The SCSB's will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. The ASBA application forms can also be downloaded from the website of National Stock Exchange of India Limited. ASBA Application forms can be obtained from Designated Branches of SCSBs, the list of banks that are available on website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.nseindia.com . For more details on the ASBA process, please refer to the details given in application forms and Prospectus and also please refer to the chapter titled *"Issue Procedure"* on page 224 of the Prospectus.

APPLICATION SUPPORTED WITH UNIFIED PAYMENTS INTERFACE : Investors are advised to carefully refer SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 01, 2018 and as modified through its SEBI circular SEBI/HO/CFD/ DIL2/CIR/P/2019/50 dated April 3, 2019, SEBI circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/76 dated June 28, 2019, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/85 dated July 26, 2019 and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 for the procedure to be followed for applying through UPI. Retail Individual Investor applying through designated intermediary (other than SCSBs) have to apply through UPI Mechanism. Retail Individual Investor whose bank is not live on UPI as on date of this circular, may use the other alternate channels available to them viz. Submission of application form with SCSBs/ using the facility linked online trading, demat and bank account list.

Sponsor Banker/ Banker to the Issue and Refund Banker to the Issue: ICICI Bank Limited

Investor should read the Prospectus carefully, including the *"Risk Factors"* beginning on page 22 of the Prospectus

NOTICE TO INVESTORS

This notice is with reference to the Prospectus dated November 28, 2019, under the head "Comparison with industry peers" on page 75, the "Details of total income" should be read as "₹ in crores" instead of "₹ in lakhs"

For **DC Infotech and Communication Limited**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Chetankumar Timbadia
Managing Director

Date: December 09, 2019
Place: Mumbai, Maharashtra

DC Infotech and Communication Limited is proposing, subject to market conditions, an Initial Public Issue of its equity shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.fedsec.in, website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of Issuer Company at www.dcinfotech.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled *"Risk Factors"* beginning on page no. 22 of the Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and will not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of "U.S. persons" (as defined in the Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

Raka

जनसत्ता

10 दिसंबर, 2019

कचरे का पहाड़

देश में कचरा निपटान किस कदर गंभीर समस्या बनता जा रहा है, इसका पता इस सरकारी तथ्य से चलता है कि कुल कचरे के सिर्फ सत्तावन फीसद हिस्सा का ही निपटान हो पा रहा है, बाकी तियालीस फीसद कचरे के निपटान का कोई बंदोबस्त हमारे पास नहीं है। जाहिर है, कचरे की यह मात्रा कोई कम नहीं है और इसी वजह से हमारे महानगर, शहर, यहां तक कि गांव-कस्बे भी कूढ़े के ढेरों से अटते जा रहे हैं और लोग इसी गंदगी में रहने के लिए अभिशप्त हैं। हाल में आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने कचरा निस्तारण के संबंध में जो राज्यवार ब्योरा जारी किया है, वह स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत को बताने के लिए काफी है। संसद में पिछले हफ्ते पेश रिपोर्ट में बताया गया कि देश में रोजाना करीब डेढ़ करोड़ टन कचरा निकलता है, जिसमें से करीब सत्तावन फीसद कचरा ही ऐसा होता है जिसे प्रसंस्कृत कर उपयोग में लाया जा सके। लेकिन बाकी कचरा सिरदर्द बनता जा रहा है। आज तमाम शहरों में कचरे के जो पहाड़ देखने को मिलने रहे हैं, वे इसी कचरे की देन हैं। सवाल है कि इस कचरे से कैसे निजात मिले।

स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भारत को साफ-सुथरा बनाने के मकसद की गई थी। तब देश को यूरोप के शहरों जैसा बनाने की बातें और दावे किए जा रहे थे। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान का हश्र भी वही हुआ जो दूसरी सरकारी योजनाओं और इस तरह के प्रयासों होता आया है। इसमें सरकार और जनता दोनों की लापरवाही है। शहरों को साफ-सुथरा बनाने के लिए न तो सरकार के पास पर्याप्त साधन और तकनीक हैं और न ही ऐसे कामों को स्थायी रूप से करने की इच्छाशक्ति। अभियान चला तो दबाव में कुछ दिनों तक सबने सक्रियता दिखाई, लेकिन उसके बाद सब कुछ पुराने ढर्रे पर आ गया। इसके लिए जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है। अपने इलाकों को साफ-सुथरा रखन के लिए आमजन से जिस तरह की भागीदारी की अपेक्षा की जाती है, उसका भी घोर अभाव देखने को मिलता है। इसलिए शहरों में जगह-जगह कचरा फेंकने की प्रवृत्ति सामान्य-सी बात है।

हालांकि देश के कई शहरों में नगर निगमों ने घर-घर से कचरा उठाने की दिशा में काम शुरू किया और इस दिशा में एक सीमा तक कायमायबी भी मिली, लेकिन इन निगमों के सामने बुनियादी समस्या इस एकत्रित किए गए कचरे को ठिकाने लगाने की है। जमा कचरे को कहां फेंका जाए, इसका इलाज ज्यादातर स्थानीय निकायों के पास नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि शहरों के बाहर कूड़े के पहाड़ खड़े होते जा रहे हैं। दूसरे शहरों की बात तो दूर, राजधानी दिल्ली में तीन दशक से भी ज्यादा समय से कचरे के तीन बड़े पहाड़ खड़े हैं और इक्कीसवीं सदी के साधन-संपन्न युग में भी इनका कोई उपचार नहीं किया जा सका है। कचरा प्रबंधन का काम सरकार और जन-भागीदारी दोनों का है। अपष्टि प्रबंधन को लेकर हालांकि कई बार विदेशी मॉडलों की बात हुई है, लेकिन ऐसी योजनाएं भारत में परवान चढ़ जाएं, यह मौजूदा हालात में संभव नहीं लगता। ऐसा भी नहीं है कि कचरा प्रबंधन असंभव काम हो। पिछले दो साल में मध्यप्रदेश के शहर इंदौर ने कचरा प्रबंधन की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल करके यह साबित किया है कि शहर को साफ-सुथरा रखना और कचरे का निस्तारण कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे और मामलों में हम विदेशों से तकनीकी और ज्ञान लेते हैं, कचरा प्रबंधन की दिशा में भी यह पहल की जा सकती है।

असुरक्षित स्त्री

करीब सात साल पहले दिल्ली में चलती बस में एक युवती से बलात्कार और बर्बर हत्या के बाद देश भर में व्यापक आक्रोश फैला था। दिल्ली से लेकर अलग-अलग राज्यों में लोग सड़कों पर उतर गए और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार से कानूनों को सख्त बनाने से लेकर हर संभव उपाय करने की मांग की गई। तब जस्टिस जेएस वर्मा समिति ने इस मसले पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। उसके बाद बलात्कार और यौन हिंसा से संबंधित कानूनों में सख्त प्रावधान किए गए। समाज से लेकर सरकार के स्तर पर जिस तरह की संवेदनशीलता देखी गई थी, तब लगा था कि लोगों के सोचने-समझने और व्यवहार में तब्दीली आएगी और शासन-तंत्र भी अपने कामकाज के तौर-तरीके में बदलाव लाएगा और आने वाले वक्त में महिलाओं का जीवन सहज होगा। लेकिन इतने सालों के बाद भी सच यही है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कोई कमी नहीं आई। सवाल है कि हर मोर्चे पर खुशहाली लाने के दावों के बीच महिलाएं आज भी खुद को सुरक्षित महसूस क्यों नहीं पाती?

हालत यह है कि बीते कुछ सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की प्रकृति में ज्यादा जघन्यता देखी गई है। पिछले दिनों हैदराबाद में एक पशु-चिकित्सक से बलात्कार और उसे जला कर मार डालने की घटना के बाद जब पुलिस ने आरोपियों को कथित मुठभेड़ में मार डाला, तब भी कहा गया कि ऐसी सख्ती से बाकी अपराधियों के हौसले कमजोर होंगे। लेकिन हैदराबाद की घटना के बाद ऐसी ही कम से कम आधा दर्जन घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हाल ही में उन्नाव में एक युवती को बलात्कार के बाद जला दिया गया। इसके अलावा, त्रिपुरा के अगरतला में एक लड़की से सामूहिक बलात्कार के बाद जिंदा जला दिया गया, वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में घर में अकेली युवती को बलात्कार में नाकाम रहने पर युवक ने आग लगा दी। इस तरह की घटनाएं आखिर क्या संकेत देती हैं? तमाम दावों और कोशिशों के बावजूद महिलाओं के साथ घटित ऐसे अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं और उसका स्वरूप पहले से भी विकृत क्यों होता जा रहा है?

गौरतलब है कि दिल्ली में 'निर्भया' मामले के बाद यूपीए सरकार के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से 'निर्भया कोष' गठित किया गया था। लेकिन पिछले हफ्ते सरकार ने संसद को बताया कि अब तक इस कोष की करीब इक्यानबे फीसद राशि का इस्तेमाल ही नहीं किया जा सका। कई राज्यों ने तो इस कोष का पैसा बिल्कुल ही खर्च नहीं किया। सवाल है कि जब सरकारें खुद महिलाओं को सुरक्षित माहौल मुहैया कराना अपनी जिम्मेदारी या सरोकार नहीं मानती है, तो फिर किससे उम्मीद की जाएगी। महिलाओं के लिए न केवल हर जगह असुरक्षा के हालात बने हुए हैं, बल्कि यौन हिंसा के अपराधों के बाद पुलिस का रवैया बेहद लापरवाही भरा होता है। कई स्थितियों में तो पुलिस पीड़ितों के खिलाफ ही नजर आती है। जब आम लोगों के बीच कड़ी प्रतिक्रिया उभरती है तब पुलिस आनन-फानन में ऐसी कार्रवाई करती है जिस पर कई बार गंभीर सवाल उठते हैं। जाहिर है, जो महकमा महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगा सकता है, उसे भी अपनी ड्यूटी के प्रति जिम्मेदार बना पाना संभव नहीं हो सका है। फिर वैसी सामाजिक विकास नीतियों पर गौर करना सरकारों को कभी जरूरी नहीं लगा, जो समाज में चारों तरफ फैली पितृसत्तात्मक मानसिकता और कुंठाओं से आजाद पीढ़ी तैयार कर सके। इस तरह के दीर्घकालिक हल की ओर ठोस पहलकदमी किए बिना किसी दबाव के तहत सख्ती बरतने का असर तात्कालिक ही होगा।

कल्पमेधा

स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई रास्ता नहीं।

– विवेकानंद

महिला सुरक्षा का संकट

ज्योति सिडाना

आश्चर्य तो तब होता है जब पुरुष समाज यह कहता है कि लड़कियों को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए या उन्हें आधुनिक शैली के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उन्हें मोबाइल नहीं देना चाहिए। उनसे पूछिए जरा कि घर के अंदर भी लड़कियां कहां सुरक्षित हैं? न पिता से, न भाई से, न दादा से, न मामा से, किसी के साथ भी तो सुरक्षित नहीं है। क्या परंपरागत परिधान पहनने वाली महिलाओं या लड़कियों का बलात्कार नहीं हुआ, क्या मोबाइल का प्रयोग नहीं करने वाली लड़कियों के साथ हिंसा नहीं होती?

देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं ने महिला सुरक्षा के सवाल की उपेक्षा को एक बार फिर उग्र आंदोलन का रूप दे दिया है। ऐसा लगता है कि अब इस तरह की घटनाएं हमें विचलित नहीं करतीं, अपितु ये सामान्य-सी घटना लगने लगती हैं। कभी चार महीने की बच्ची के साथ तो कभी सत्तर साल की बुजुर्ग के साथ इन घटनाओं की पुनरावृत्ति हमारे सभ्य समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। हैदराबाद में एक महिला चिकित्सक के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना ने देश को हिला कर रख दिया। पुलिस ने समय पर शिकायत दर्ज नहीं की, महिला को न्याय दिलाने के लिए लोग सोशल मीडिया पर अभियान छिड़ा, नेताओं-मंत्रियों ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे, हमारी संवेदनाएं पीड़िता के परिवार के साथ हैं, नागरिक समाज देश के विभिन्न हिस्सों में कैंडल मार्च करता है, और फिर इस मामले के आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। लेकिन सवाल है इससे क्या पीड़िता को न्याय मिला? क्या ऐसा करने से बलात्कार की घटनाओं को रोका जा सकता है?

किसी भी देश में पुलिस मुठभेड़ को वैधता प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर जनता की चेतना में मुठभेड़ की वैधता को स्थापित होने का मौका मिल रहा है तो यह समग्र देश के लिए और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कहा जाता है कि न्याय की देवी की आंखों पर काली पट्टी इसलिए बंधी है, ताकि सबके साथ समान न्याय हो सके, किसी के भी साथ लैंगिक, जाति, वर्ग, भाषा, राजनीति या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न हो सके। फिर यह भेदभाव क्यों? न्याय की देवी की आंखों पर काली पट्टी संभवतः शक्तिशाली लोगों ने ही बांधी है, ताकि न्याय की समूची प्रक्रिया अन्याय को देख न सके। निर्भया, कठुआ और उन्नाव कांड क्या कम दर्दनाक थे कि संभल (उत्तर प्रदेश) में एक किशोरी को उसके पडोसी ने बलात्कार के बाद जिंदा जला दिया। राजधानी दिल्ली में चाय की दुकान चलाने वाली पचपन साल की महिला से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई, रांची में कानून की छात्रा का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया गया और राजस्थान में एक महिला को पति ने पहले तलाक दिया और उसके बाद ससुर समेत सभी रिश्तेदारों ने उसके साथ मुंह काला किया, यह कहते हुए कि अब वह उनके परिवार की बहू नहीं है। सुना था मनुष्य पहले एक जानवर था, लेकिन इस तरह की वीभत्स घटनाएं बता रही हैं कि मनुष्य आज भी एक जानवर ही है।

एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और स्वीडन जैसे विकसित देश भी बलात्कार की घटनाओं से अछूते नहीं हैं। दुनिया भर में छत्तीस फीसद महिलाएं यौन हिंसा की शिकार होती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार 2010 के बाद से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में दस फीसद की वृद्धि हुई है। देश में 2012 में बलात्कार के करीब पच्चीस हजार मामले आए थे, 2017 में यह आंकड़ा उनतालीस हजार पहुंच गया। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। ये आंकड़े तो सिर्फ वे हैं जो पुलिस मे दर्ज हुए हैं। बलात्कार के ज्यादातर मामले तो दर्ज ही नहीं हो पाते। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर पंद्रह मिनट में एक लड़की या महिला बलात्कार का शिकार हो जाती है। हाल में एक तमिल फिल्म निर्देशक ने यह कह डाला कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, उनके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं, वे ऐसी स्थिति बनाती हैं कि घटना घटे। अगर वे सही तरह से व्यवहार करें तो सब ठीक रहेगा। उनका कहना है कि पहले महिलाओं पर बंदिशें थीं जो मोबाइल के आने के बाद खत्म हो गई। उन्होंने महिलाओं पर लगने वाली बंदिशों को सही ठहराया। जिस देश में ऐसी सोच रखने वाले लोग हों उस देश में संभवतः ऐसी घटनाएं चौंकाती नहीं हैं। खेत से लेकर घर, बाजार, दफ्तर, क्लब, स्कूल, कालेज, सड़क, बस, ट्रेन, कैब और शौचालय शायद ही कोई जगह ऐसी बची हो, जहां महिला सुरक्षित अनुभव करती हों। यह हमारे समाज की भयावह तस्वीर है।

अब तक की ज्यादातर घटनाओं से यही तथ्य सामने आते हैं कि कानून की लचर व्यवस्था और पुलिस प्रणाली इस तरह के मामलों में संवेदनहीनता का परिचय देती रही है। पीड़िता के परिवारीजनों को एक थाने से दूसरे थाने तक चक्कर लगवाना, लड़कियों को ही दोषी ठहराना, ज्यादातर मामलों में पुलिस द्वारा एफआइआर दर्ज न करना पुलिस के अमानवीय व्यवहार का ही परिचायक है। फिर जो मामले थानों और अदालतों तक पहुंचते भी हैं, वे कानूनी पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं। निर्भया का मामला इसका जीता-जागता उदाहरण है। क्या इसे तात्कालिक न्याय कहा जा सकता है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जघन्य अपराधों को सरकार और कानून के रखवाले इतने हलके में कैसे ले सकते हैं, यह गंभीर सवाल है।

आश्चर्य तो तब होता है जब पुरुष समाज यह कहता है कि लड़कियों को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए या उन्हें आधुनिक शैली के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उन्हें मोबाइल नहीं देना चाहिए। उनसे पूछिए जरा कि घर के अंदर भी लड़कियां कहां सुरक्षित हैं? न पिता से, न भाई से, न दादा से, न मामा से, किसी के साथ भी तो सुरक्षित नहीं है। क्या परंपरागत परिधान पहनने वाली महिलाओं या लड़कियों का बलात्कार नहीं हुआ, क्या मोबाइल का प्रयोग नहीं करने वाली लड़कियों के साथ हिंसा नहीं होती? इस तरह के कथन या विचार पुरुष समाज की विकृत मानसिकता के द्योतक हैं। संविधान में पुरुष और महिला को समानता का दर्जा दिया गया है, समान अधिकार दिए गए हैं, यहां तक कि यह भी लिखा है कि कानून की नजर में सब समान हैं। इसलिए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर क्यों बलात्कार के मामले, घरेलू हिंसा के मामले सालों लंबित रहते हैं और आरोपी खुले घूमते रहते हैं। यही वह वजह है कि अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं होता क्योंकि वे जानते हैं कि कानून केवल कागजी हैं। ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जहां तेजाब फेंकने, दहेज हत्या या बलात्कार के मामले में पीड़िता के परिवारजनों को अदालतों के चक्कर लगाते-लगाते सालों बीत गए, पर इंसाफ नहीं मिला।

इस तरह की घटनाएं इस बात की ओर संकेत करती हैं कि अब लोगों को संवैधानिक नैतिकता के प्रति शिक्षित करने और प्रतिबद्ध बनाने के लिए एक बड़े और सघन अभियान की जरूरत है। शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से आमजन को शिक्षित और जागरूक करने की जरूरत है। हमें यह खोजना पड़ेगा कि ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण लोगों में आक्रामकता और हिंसा बढ़ रही है? इस तरह के अपराधों को अंजाम देने वाले लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं इनके बचाव में राज्य और समुदाय की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। उदाहरण के लिए आसाराम और चिन्मयानंद जैसे लोग जिन्हें बचाने के लिए उनके चेले-चपाटे आ खड़े होते हैं यह जानते हुए कि वे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के जघन्य अपराध में लिप्त हैं। ऐसे मामलों में जब-तब राजनीतिक संरक्षण की बातें भी सामने आती रही हैं।

इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि हर जाति, धर्म, समुदाय, राज्य में महिलाएं पीड़ित और शोषित ही रहती हैं। अब जबकि परिवार के पुरुष सदस्यों पर भी विश्वास डगमगा गया है तो महिलाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे अपने स्तर पर कोई प्रयास करें और खामोश न रहें, क्योंकि अब अगर महिलाएं खामोश रहीं तो उन्नाव, कठुआ, हैदराबाद, टोंक, दिल्ली जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना संभव नहीं होगा।

सेहत की सवारी

कुंदन कुमार

स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित समस्याओं में लगातार बढ़ोतरी ने हमारा जीना दूभर कर दिया है। देश-दुनिया के लोग खुद को स्वस्थ रखने के लिए अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। हम अपने शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाए रखने के लिए सुबह-शाम जिम में पसीना बहाते हैं और फिर कार में बैठ कर दफ्तर जाते हैं। अगर हम इन आदतों को बदल लें तो मुफ्त में अपने शरीर को निरोग बना सकते हैं और अपने पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाए रख सकते हैं। लेकिन इसके जो उपाय हैं, उन पर गौर करना बहुत सारे लोगों को जरूरी नहीं लगता है।

दरअसल, भारत में लोग साइकिल की सवारी को गरीबों एवं पिछड़ों की सवारी मानते हैं, जबकि दुनिया के अन्य देशों में यह समृद्ध और समझदार लोगों की सवारी माना जाता है। एक परिचित सज्जन से बात कर रहा था तो बातचीत के मुख्य विषय के बीच में उन्होंने कहा कि साइकिल की सवारी हमारी उम्र को दस साल तक बढ़ा देती है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने इस पर कोई शोध किया है या नहीं, लेकिन मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि साइकिल की सवारी सबको निरोग या स्वस्थ बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि साइकिल इक्कीसवीं सदी का सबसे अच्छा और सस्ता वाहन है। साइकिल की घंटी की टन्न-टन्न, टन्न-टन्न की मधुर ध्वनि मन को शांति और काफी राहत देती है।

दुनिया मेरे आगे

यह सब जानते हैं कि दिल्ली समेत भारत के अन्य शहरों की आबोहवा किस कदर जहरीली हो चुकी है। स्वच्छ जल और साफ भोजन के बाद अब स्वच्छ वायु भी मयस्सर होना मुश्किल हो चुका है। शहरों की सड़कों पर सांय-सांय की तेज रफ्तार से चलती गाड़ियां एक साथ ध्वनि और वायु प्रदूषण फैला रही हैं। कार और अन्य वाहनों के साइलेंसर से निकलने वाला अनदेखा धुंआ चुपचाप वायु को विषैला बना रहा है। यह हमारे स्वास्थ्य को बहुत हद तक प्रभावित करता है।

वहीं साइकिल एक ऐसा सस्ता और टिकाऊ वाहन है, जिसे चलाने से न तो हवा में जहर फैलता है और न ही उसके हार्न की तेज आवाज से किसी राहगीर के कान का परदा फटने का डर रहता है। लेकिन शहरों में जिंदगी की आपाधापी और उपभोक्तावाद की संस्कृति ने शहरों की सड़कों पर से साइकिल को गायब कर दिया है। यहां की अधिकतर आबादी अब साइकिल की सवारी से मुंह फेरने लगी है। वहीं गांव में मेरे एक रिश्तेदार को शादी में तोहफे में मिला काफी पहले का साइकिल आज भी आकर्षण का केंद्र बना रहता है। चालीस साल बीत जाने पर भी वह साइकिल एकदम दुरुस्त दिखती है। जब उन्हें शादी में वह साइकिल मिली थी, तब भी किसी के पास साइकिल नहीं होने की वजह से आसपास के लोग देखने आए थे और आज उसका आकर्षण उसके सजे-संवरे होने की वजह से बना हुआ है।

एक बार मेरे वे रिश्तेदार किसी धार्मिक आयोजन में शिरकत करने बगल के गांव में जा रहे थे। इनको साइकिल से आते देख कर इनके पड़ोस में रहने वाले लड़के ने इनसे साइकिल पर बैठाने का आग्रह किया। फिर उसके जिद पकड़ लेने के बाद उसे साइकिल पर बिठा कर चल पड़े। आधी रात को वह कार्यक्रम बीच में ही छोड़ कर वे साइकिल से चुपके से अपने ससुराल निकल पड़े। चूंकि कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात थी। गांव की सड़कों पर गहरे अंधेरे का साम्राज्य व्याप्त था। इसी बीच वे धीरे-धीरे किसी तरह अंदाजे से साइकिल चलाते हुए चले जा रहे थे कि कब वे सड़क से किनारे उतर गए, उन्हें पता नहीं चला। अचानक वे समतल मुंडेर वाले कुएं में साइकिल सहित गिर पड़े। गनीमत यही थी कि पास में कुछ घर थे और उनकी बचाओ-बचाओ की आवाज किसी तरह पहुंच गई। गांव के और लोग जमा हुए और किसी तरह उन्हें साइकिल सहित बाहर निकाला। वह पूरा प्रसंग वे आज भी गांव के चौपाल पर या किसी के घर आने वाले मेहमानों को चटखारे लेकर खुद सुनाते हैं।

खैर, इस रोचक प्रसंग के अलावा, हकीकत यह है कि साइकिल एक ऐसा वाहन है जो न कोई और ईंधन खाता है और न तेल पीता है। आमतौर पर साइकिल किसी सड़क जाम में भी नहीं फंसता। एक मजाक के तौर पर देखें तो ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर बाइक और दूसरे वाहनों के चालकों को भारी रकम जुर्माने के तौर पर चुकानी पड़ती हैं। लेकिन शायद ही कभी किसी साइकिल वाले का चालान कटते किसी ने देखा होगा। हालांकि मैं साइकिल की सवारी करते हुए भी यातायात नियमों का पालन करने की वकालत करता हूं। अगर लोग ज्यादा से ज्यादा साइकिल का प्रयोग करें तो सड़कों पर जानलेवा दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। नीदरलैंड, स्पेन और न्यूजीलैंड के लोग साइकिल की सवारी को शाही सवारी समझते हैं और वह कम दूरियों के सफर को साइकिल से तय करते हैं। अगर हम अपने नजरिए को बदल कर छोटी दूरी का सफर साइकिल से तय करें तो यह हमारे स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण की सेहत के लिए भी लाभदायक होगा।

मजदूरों की जान

रविवार दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करने वालों और उनके परिवार वालों के लिए त्रासद दिन बन गया। रिहायशी इलाके में चल रही एक फैक्ट्री में आग लगने से अंदर सो रहे उनसठ में से लगभग तैंतालीस लोगों को सरकार, प्रशासन और अन्य भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही ने मौत की नींद सुला दिया। लेकिन जिस देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, जहां सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार के दलदल में बुरी तरह धंसा हो, वहां भविष्य में भी ऐसी लापरवाही से होने वाले हादसों पर शायद ही लगाम लगे, क्योंकि यहां पैसे के गोरखधंधे के लिए अवैध और असुरक्षित निर्माणों पर कोई काबू नहीं है।

यहां सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो लोग करोड़ों की बहुमंजिला इमारत बनाने और इन इमारतों से कमाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, वे महज कुछ लाख रुपए आग से बचाव के साधनों पर क्यों नहीं खर्च करते? अब इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद फिर से सरकार, प्रशासन और अन्य लोग कुंभकर्णी नींद से जागेंगे। इस घटना की जांच के आदेश देकर और कुछ मुआवजे का मरहम लगा कर अगले किसी ऐसे दिल दहलाने वाले हादसे के इंतजार में लंबी तान के सो जाएंगे। लेकिन ऐसे हादसे क्यों होते रहते हैं? इनके लिए कौन-सी लापरवाहियां जिम्मेदार हैं? आखिर क्यों नहीं ऐसे हादसों से सबक लेते हुए कुछ फैक्टरी, कारखानों या अन्य संस्थान अपने यहां आग, भूकम्प या अन्य हादसों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करते हैं?

या फिर यह समझा जाए कि ऐसी लापरवाही बरतने वालों को मजदूरों और कामगारों की जान की परवाह नहीं होती है? ऐसे लोगों से एक सवाल है कि क्या मजदूर और कामगार इंसान नहीं? मजदूरों के बिना कोई भी उद्योग तरक्की की राहों मे नहीं जा सकता है और देश के विकास में मजदूरों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इनके वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इनके हक में श्रम सुधारों की बहुत जरूरत है। अभी भी हमारे देश में बहुत से स्थानों पर इनका शोषण होता है। लेकिन इसके उलट श्रम सुधारों की मौजूदा दिशा मजदूर विरोधी है। सरकारों के प्रयास भी तभी सार्थक होंगे, जब इसके लिए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपाय भी किए जाएं।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

कठघरे में व्यवस्था

दस दिसंबर को सभी देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1945 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र के मंच पर मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा-पत्र स्वीकार किया गया था। उसमें व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा और सुरक्षा देना प्रमुख है। लेकिन हाल में पुलिस पर हैदराबाद मुठभेड़ को लेकर लोगों ने मानवाधिकार के हनन का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसकी जांच के आदेश भी दिए हैं।

मानवाधिकार दिवस मानाने से हमारा तात्पर्य लोगों को अधिक से अधिक उनके अधिकारों के बारे में बताना होता है। हैदराबाद में जो कुछ हुआ, वह सब कानून के मुताबिक न होकर सिर्फ भावनाओं को लेकर किया गया फैसला है। स्वाभाविक ही मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ लोगों ने पुलिस के कदम को सही ठहराया और उसे 'डिवाइन जस्टिस' या 'दैवी न्याय' कहा। सवाल है कि संविधान और नियम-कायदों से चलने वाले किसी सभ्य समाज में यह सजा देने का तरीका क्या सही है?

मेरा साफ मानना है कि नहीं। यह बेमानी दलील दी जाती है कि अगर आपकी बहन या बेटी के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? दिक्कत पुलिस के काम करने के तौर-तरीके और न्यायपालिका की मंद गति में छिपी है। इसके लिए किसी व्यक्ति के निजी आग्रहों को दलील नहीं बनाया जा सकता। व्यवस्था में ऐसा सुधार किया जाना चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा इस पर कायम हो। कानूनों के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधियों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों को भी कठघरे में खड़ा किया जाए।

● *संदीप कुमार, प्रयागराज*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

लोकतंत्र के हक में

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन सच यह है कि आज केवल सत्ता को चलाने वाली पार्टी का ही बोलबाला दिख रहा है। विपक्ष को इतना दबा दिया गया है कि वह किसी भी नीति पर सवाल खड़ा नहीं कर पा रहा है। समाज, राजनीति, बुद्धिजीवियों की दुनिया- किसी ओर से भी सरकार से हिसाब नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि उलटे भक्ति का माहौल देखा जा रहा है, जो देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सवाल है कि क्या संविधान में लिखे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं रह गया है? भारत को धीरे-धीरे चीन के रास्ते पर नहीं बढ़ना चाहिए, जहां अभिव्यक्ति पर अनेक तरह की सीमाएं लगाई गई हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम भी तानाशाही व्यवस्था की चपेट में आ सकते हैं, जहां बोलने को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी।

फिलहाल हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हम अपना नेता खुद चुनते हैं। महलों की औलादें हमारी तकदीर नहीं लिखतीं। हम बोल सकते हैं। हमारे हाथ नारों के साथ लहरा सकते हैं। हमारा दिल बेखौफ होकर धड़क सकता है। हमारे होंठ हिल सकते हैं। हमारा सिर 'इनकार' में भी हिल सकता है। हम सरकार की बुराइयां दिखा सकते हैं। हम सरकार बना और गिरा सकतें हैं। देश यहां के लोगों से चलता है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।

लेकिन यह सरकार अपनी मर्जी से सरकारी संस्थाओं को निजी क्षेत्र में धकेल रही है, जनता के पैसों को अरबपतियों में बांट रही हैं। क्या इसका हिसाब लेने वाला कोई नहीं है? लोकतांत्रिक देश में होने के नाते इन सवालों का जवाब पूरा देश जानना चाहता है।

● *आयुष द्विवेदी, हंसराज कॉलेज, दिल्ली विवि*

दुख की आग

दिल्ली के अनाज मंडी अग्निकांड के बाद एक खौफनाक मंजर है, जहां कुछ सिसकियों को छोड़ कर सब कुछ खामोश है। व्यवस्था के दरकने का इससे तकलीफदेह नमूना नहीं हो सकता। चार मंजिला मकान के अंदर बगैर सुरक्षा इंतजामों के खामोशी से मशीनें धड़धड़ाती रहीं और किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई। मौत की फैक्ट्रियां एक दिन में नहीं बनतीं। लेकिन वही मौत जिंदगी को जरा भी मोहलत नहीं देती। बुरा हो उस सियासत का, जो जली लाशों पर हाथ सेंकने से बाज नहीं आती।

हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों का दर्द बयान करने को शायद शब्द न मिले। जबकि अग्निशमन के अधिकारी राजेश शुक्ला को कई जानें नहीं बचा पाने का गम खाए जा रहा है। बेशक उनकी बहादुरी और दिलेरी की चर्चा हो, मगर ग्यारह लोगों को बचा लेने की खुशी उनके चेहरे से गायब है। मर्माहत परिजनों के गम के आगे हर खुशी कुर्बान है।

● *एमके मिश्रा, रातू*

www.readwhere.com

जरा हट के

जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पामेंगटन पार्क में 'विंटर लाइट्स' प्रदर्शनी के दौरान पेड़ों और गेंदों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया।

बोल

अगर आप मुझ पर महाभियोग लगाने जा रहे हैं तो अभी करें, जल्दी, जिससे सीनेट इसकी निष्पक्ष सुनवाई कर सके और देश वापस अपने काम में लग सके।
-डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति

विवाद

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा हैं और हमारे सामने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
-नैन्सी पेलोसी, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर

सम-सामयिक

अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत और नागरिकता पर बहस

जनसत्ता संवाद

नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के साथ ही विपक्ष ने इसकी मंशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। धर्म के आधार पर नागरिकता के प्रश्न पर बहस छिड़ गई है। विधेयक पर विचार करने के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति में इस बारे में आम सहमति नहीं बन पाई और विपक्षी दलों ने नागरिकता को धर्म से जोड़ने का विरोध किया। यह तर्क भी दिया गया कि यह विधेयक असम समझौते का भी उल्लंघन है, जिसके तहत 1971 के बाद भारत आने वाले लोगों को नागरिकता नहीं दी जा सकती। लेकिन संयुक्त संसदीय समिति में सत्ता पक्ष के सदस्यों का बहुमत होने के कारण उसकी रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया।

अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत

नागरिकता के मुख्यतः दो सिद्धांत विश्व भर में हैं। पहला ज्यूस सैंग्यूनिस, जिसके मुताबिक नागरिकता नस्ल या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता दी जाती है। माता-पिता की नागरिकता के आधार पर नागरिकता देना इसी का रूप है। दूसरा ज्यूस सोलि, जमीन के आधार पर। यह एंग्लो-अमेरिकन सोच है। नागरिकता के इस सिद्धांत को मानने वाले देश अपनी भूमि पर पैदा होने वाले हर बच्चे को नागरिकता प्रदान करते हैं? एक भारतीय अमेरिका जाकर अमेरिकी नागरिक हो सकता है बशर्ते वह प्रक्रिया पूरी करे। लेकिन एक अमेरिकी दंपति की भारत में पैदा हुई संतान भारतीय नागरिक नहीं होगी। भारत पहले ज्यूस सोलि के आधार पर नागरिकता देता था, लेकिन अब यहां ज्यूस सैंग्यूनिस भी है। नागरिकता कानून 1955 के तहत भारत में जन्म लेने वाले बच्चों को भारतीय नागरिकता दी जाती थी।

नेहरू-लियाकत समझौता

वर्ष 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ। इसमें दोनों देशों ने अपने यहां अल्पसंख्यकों के संरक्षण का संकल्प लिया। भाजपा का तर्क है कि भारत में तो इसका गंभीरता से पालन हुआ, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू, सिख व अन्य अल्पसंख्यकों पर हुए जोर-जुल्म से दुनिया अवगत है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी यही हाल है।

संविधान में क्या है

संविधान सभा में नागरिकता संबंधी प्रावधानों पर चर्चा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाषण का जिक्र आ रहा है। यह है, 'आधुनिक दुनिया में राष्ट्रीयता के बारे में दो विचार हैं, एक व्यापक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर आधारित है और दूसरा संकीर्ण राष्ट्रीयता है। दक्षिण अफ्रीका में हम वहां पैदा हुए भारतीयों के लिए दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीयता का दावा करते हैं। संकीर्ण दृष्टिकोण रखना हमारे लिए सही नहीं है।' इस पर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद का जवाब है, 'हम दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए उस देश की राष्ट्रीयता का दावा न केवल जन्म से, बल्कि वहां बसने के कारण करते हैं।'

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15(1) में नागरिकता और धर्म को लेकर विवेचना दी गई है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण करने का अधिकार है। एक जैसी परिस्थितियों में एक सा कानून। अनुच्छेद 15(1) भी धर्म के आधार पर भेदभाव करने की इजाजत राज्य को नहीं देता।

क्या हैं तर्क और वितर्क

नागरिकता संशोधन विधेयक को विपक्षी दलों ने अल्पसंख्यक विरोधी ठहराया है। इसमें मुसलमानों का जिक्र न होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जबकि, सरकार का कहना है कि जिन देशों से गैर-मुसलिम आबादी का पलायन भारत में हो रहा है, वहां मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक प्रताड़ना नहीं होती है। विपक्ष ने संविधान की प्रस्तावना और नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों का हवाला देते हुए नागरिकता संशोधन विधेयक को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। सरकार का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 11 और 14 में वर्णित समानता के अधिकार की अवहेलना नहीं हो रही।

मथन

पूर्वोत्तर को समझाने की चुनौती

जनसत्ता संवाद

नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर सरकार के सामने पूर्वोत्तर को समझाने की चुनौती है। इसको लेकर असम और पूर्वोत्तर के करीब सभी राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। विरोध करने वाले संगठनों एवं राजनीतिक दलों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें भरोसे में नहीं लिया।

असम के प्रभावी छात्र संगठन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (नेसो) के सदस्यों ने सोमवार से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आसू के महासचिव लुरिन ज्योति गोगोई का कहना है कि केंद्र सरकार असम और पूर्वोत्तर के साथ अन्याय करती रही है। असम पहले से अवैध नागरिकों का बोझ उठाते आ रहा है। अब हम बोझ और नहीं उठाएंगे। जब तक सरकार इस विधेयक को वापस नहीं ले लेती आसू और नेसो इसके खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेगा। आसू ने अपने साथ मेघालय, नगालैंड और मिजोरम के राजनीतिक दलों को भी ले लिया है। इस विधेयक के विरोध में उतरे संगठनों का आरोप है कि भाजपा इस विधेयक के जरिए अपने हिंदू वोट बैंक को सुनिश्चित करना चाहती है। इन संगठनों का कहना है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से भले ही आगे कोई आए या ना आए, असली बात यह है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी में बाहर हुए हिंदुओं को नागरिकता देने के लिए यह विधेयक लाया गया है। एनआरसी में 19 लाख से अधिक नाम कटे हैं और इसमें 12 लाख नाम बंगाली हिंदुओं के हैं।

असम के आरटीआइ कार्यकर्ता अखिल गोगोई कहते हैं कि मौजूदा सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के नागरिकों को यहां लाकर बसाने के लिए यह बिल लेकर आई है। यह विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं। वे संविधान के अनुच्छेद 14 की याद दिलाते हैं कि धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकती। उनका कहना है कि बांग्लादेश से हजारों की संख्या में आए लोगों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है।

> *आसू* समेत विधेयक के विरोध में उतरे संगठनों का आरोप है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से भले ही आगे कोई आए या ना आए, असली बात यह है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी में बाहर हुए हिंदुओं को नागरिकता देने के लिए यह विधेयक लाया गया है। एनआरसी में 19 लाख से अधिक नाम कटे हैं और इसमें 12 लाख नाम बंगाली हिंदुओं के हैं।

असम की भाजपा सरकार के साथ गठबंधन में शामिल असम गण परिषद (एजीपी) के प्रवक्ता मनोज सैकिया कहते हैं कि हमारा विरोध है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने हमसे बात नहीं की। हमने केंद्र सरकार से साफ कहा है कि असम समझौते के आधार पर ही शरणार्थी या घुसपैठिया समस्या का समाधान निकाला जाए।

मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता और उपमुख्यमंत्री प्रेस्टन टायनसोंग, मिजोरम के गृह मंत्री लालचम्लियाना समेत विभिन्न नेता केंद्र सरकार पर हमले कर रहे हैं। सेंटर फॉर इक्वालिटी के निदेशक हर्ष मंदर का कहना है कि विधेयक से भारत का संवैधानिक विचार ही बदल जाएगा। पाकिस्तान मुसलिम देश बना। लेकिन भारत में सभी धर्मों, जातियों को बराबरी का अधिकार दिया गया। दूसरी ओर, भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता कहते हैं कि जिन लोगों का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें सहज सरल तरीके से नागरिकता देना ही इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य है। इसे सांप्रदायिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए।

पूर्वोत्तर के सामाजिक कार्यकर्ताओं की तर्ज पर हर्ष मंदर का तर्क है कि असम में एनआरसी की प्रक्रिया के दौरान अवैध प्रवासियों में हिंदुओं की संख्या पाई गई। अब जो विधेयक लाया जा रहा है उससे शरणार्थी और अवैध प्रवासियों की स्थिति में बदलाव हो जाएगा। अब मुसलमानों के अलावा किसी भी अन्य धर्म के लोगों को शरणार्थी माना जाएगा और नागरिकता दी जाएगी। पूर्वोत्तर में एनआरसी अब भाजपा के लिए राजनीतिक आत्महत्या साबित होने लगा है। केंद्र सरकार इस स्थिति से बाहर आने की कोशिश में है।

विश्व परिक्रमा

जलवायु सम्मेलन से पहले सड़कों पर उतरे लाखों लोग

रविवार, 1 दिसंबर : संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले वैश्विक ताप वृद्धि के खिलाफ नए सिरे से कदम उठाने और विश्व नेताओं पर दबाव बनाने के लिए यूरोप और एशिया में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। जर्मनी के 500 से अधिक शहरों में छह लाख 30 हजार लोगों ने प्रदर्शन किया।

न्यू आर्लियंस में गोलीबारी से 11 घायल

सोमवार, 2 दिसंबर : अमेरिका में न्यू आर्लीन्स के मुख्य पर्यटन केंद्र फ्रेंच क्वार्टर में रविवार तड़के हुई गोलीबारी में 11 लोग घायल हो गए। घायलों में से दो की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक गोलीबार रविवार तड़के तीन बजे हुई।

चीन ने अमेरिका पर लगाए प्रतिबंध

मंगलवार, 3 दिसंबर : हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अमेरिका द्वारा कानून बनाए जाने की जवाबी कार्रवाई में चीन ने अमेरिकी युद्धपोत को हांगकांग भेजने संबंधी आवेदन को रद्द कर दिया। साथ ही कई अमेरिकी गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का एलान किया है।

व्लादिमीर पुतिन

पुतिन ने विवादास्पद कानून पर किए हस्ताक्षर

बुधवार, 4 दिसंबर : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक विवादित कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत स्वतंत्र पत्रकारों और ब्लॉगरों को 'विदेशी एजंट' घोषित किया जा सकता है। आलोचकों ने इस कदम को मीडिया की आजादी का उल्लंघन बताया है। रूसी सरकार की वेबसाइट के अनुसार, यह नया कानून तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।

629 पाक लड़कियों को चीनी नागरिकों को बेचा

गुरुवार, 5 दिसंबर : पाकिस्तान की 629 लड़कियों व महिलाओं को दुल्हन के रूप में चीन के पुरुषों को बेचा गया जो उन्हें चीन ले गए। मानव तस्करों के नेटवर्कों का भंडाफोड़ करने का संकल्प लेने वाले पाकिस्तानी जांचकर्ताओं ने यह सूची तैयार की है। यह सूची 2018 से मानव तस्करी के जाल में फंसी महिलाओं की सबसे सटीक संख्या उपलब्ध कराती है।

मुशर्रफ के खिलाफ 17 को सुनाई जाएगी सजा

शुक्रवार, 6 दिसंबर : पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह मामले में 17 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। एक विशेष अदालत ने गुरुवार को इसकी घोषणा की।

ईरान सरकार ने की एक हजार से अधिक हत्याएं

शनिवार, 7 दिसंबर : अमेरिका ने गुरुवार को कहा कि पिछले महीने ईरान में शुरु हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई में ईरान सरकार ने संभवतः 1000 से ज्यादा नागरिकों की हत्या की है। विदेश मंत्रालय के विशेष प्रतिनिधि ब्रायन हुक ने यह जानकारी संवाददाताओं के साथ साझा की।

जानें-समझें

नागरिकता संशोधन विधेयक

कितनी है हकीकत और कैसे-कैसे हैं सवाल

दीपक रस्तोगी

नागरिकता (संशोधन) विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। इसके जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकेगी। पूर्वोत्तर में चल रहे विरोध के कारण इस विधेयक का संशोधित मसविदा रखा गया। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम, मेघालय को पूर्ण रूप से और असम एवं त्रिपुरा के कुछ हिस्सों को इस विधेयक से बाहर रखा है। मणिपुर के सरकार ने विशेष प्रावधानों का ऐलान किया है।

क्या है संशोधन विधेयक

इस विधेयक में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख) से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है। मौजूदा कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है। इस विधेयक में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए यह समयावधि 11 से घटाकर छह साल कर दी गई है। इसके लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में कुछ संशोधन किए जाएंगे, ताकि लोगों को नागरिकता देने के लिए उनकी कानूनी मदद की जा सके। मौजूदा कानून के तहत भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती है और उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने के प्रावधान है।

क्या है नागरिकता अधिनियम, 1955

नागरिकता अधिनियम, 1955 भारतीय नागरिकता से जुड़ा एक विस्तृत कानून है। इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कैसे दी जा सकती है और भारतीय नागरिक होने के जरूरी शर्तें क्या हैं? नागरिकता अधिनियम में अब तक पांच बार (1986, 1992, 2003, 2005 और 2015) संशोधन किया जा चुका है। भारतीय नागरिकता तीन आधार पर खत्म हो सकती है- अगर कोई स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ दे, अगर कोई किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ले, अगर सरकार किसी की नागरिकता छीन ले।

किसका क्या है कहना

फाइल फोटो

नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी

मजहब किसी की राष्ट्रीयता नहीं तय कर सकता है। हमारा देश सबके लिए है। यह विधेयक संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। यह भारत को इसराइल बनाने जैसा है। विशेष धर्म के लोगों के लिए खास मुल्क।
-शशि थरूर, कांग्रेस सांसद

राष्ट्रीय नागरिक पंजी और नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बंगाल में कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। वे किसी वैध नागरिक को यूं ही देश से बाहर नहीं फेंक सकते या उसे शरणार्थी नहीं बना सकते।
-ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

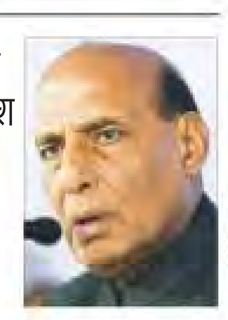

हमारे तीन पड़ोसी देश दरअसल इस्लामिक देश हैं। इसलिए वहां गैर-मुस्लिम ही धार्मिक अत्याचारों का शिकार होते हैं। इस कारण वे भारत में शरण लेने के लिए विवश हो जाते हैं। छह अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता दिया जाना सर्व धर्म समभाव की भावना से प्रेरित है।
-राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री, ट्विटर पर

अवैध प्रवासी और उनके लिए प्रावधान

नागरिकता कानून, 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। अवैध प्रवासियों को या तो जेल में रखा जा सकता है या फिर विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत वापस उनके देश भेजा जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने साल 2015 और 2016 में उपरोक्त 1946 और 1920 के कानूनों में संशोधन करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को छूट दे दी है। यह छूट उपरोक्त धार्मिक समूह के उनलोगों को प्राप्त है जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत पहुंचे हैं।

भारत आने वाले शरणार्थी

धार्मिक आधार पर भारत के पड़ोसी तीन देशों- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से लोग पलायन कर यहां आते रहे हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने पाकिस्तान सरकार के आंकड़े छापे हैं कि वहां करीब पांच हजार हिंदू परिवार हर साल भागकर भारत पहुंचते हैं। आमतौर पर ये शरणार्थी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में शरण लेते हैं। वर्ष 2018 में भारत सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए 12,732 मुसलमानों और सिखों को नागरिकता दी। इससे पहले 2017 में 4712 को शरण दी गई। 2016 में 2298 हिंदू और सिख शरणार्थियों को शरण मिली। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 83,438 बांग्लादेशी नागरिक शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। इनके अलावा एक लाख से ज्यादा श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी भारत में रह रहे हैं। मोटे तौर पर माना जा रहा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से करीब दो लाख हिंदू और सिख शरणार्थी भारत में रह रहे हैं। केंद्र की मौजूदा सरकार ने पिछले साल मई में इन शरणार्थियों के लिए लॉन्ग टर्म वीजा (एलटीवी) जारी करने सहित कई कदम उठाए।

पूर्वोत्तर के राज्यों का मामला

नागरिकता संशोधन विधेयक के मसविदे में कहा गया है, असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में इस अनुच्छेद के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन इलाकों संविधान की छठी अनुसूची और 'द इंटर लाइन परमिट' (आइएलपी) के प्रावधान लागू हैं। इन प्रावधानों को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित किया गया था। आइएलपी प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम में लागू। नगालैंड का दीमापुर शहर आइएलपी में नहीं है। आइएलपी के तहत अन्य राज्यों के लोगों को यहां के इलाकों में जाने के लिए विशेष परमिट की जरूरत होगी।

व्यक्तित्व

ओजल : बंद आंखों से स्केटिंग कर बनाया विश्व रेकॉर्ड

जनसत्ता संवाद

खेलने-कूदने की उम्र में आज छोटे-छोटे बच्चे ऐसी करामात दिखाने लगे हैं कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लें। इन करामातों की वजह से ये बच्चे अपना नाम वर्ल्ड रेकॉर्ड में दर्ज करवा रहे हैं। यहां बात हो रही है 14 साल की ओजल नलावडे की। कर्नाटक के हुबली की ओजल नलावडे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में दर्ज हुआ है। यह सम्मान उन्हें स्केटिंग के लिए मिला है। ओजल दूसरों की तरह खुली आंखों से नहीं बल्कि आंखों पर पट्टी बांधकर स्केटिंग करती हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर सबसे तेज स्केटिंग करने की वजह से बीते गुरुवार को ओजल नलावडे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में शामिल हुआ है। ओजल हुबली के जेडीएस स्कूल के कक्षा सातवीं की छात्रा है और उसने आंखों पर पट्टी बांध कर 51.25 सेकेंड में स्केटिंग करते हुए 400 मीटर की दूरी तय की है। इस कार्यक्रम का आयोजन चेतना कॉलेज के पास किया गया था जहां लोग सुबह 5:30 बजे से ही एकत्रित थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स के अधिकारियों ने 14 वर्षीय ओजल नलावडे को 400 मीटर श्रेणी में दुनिया में सबसे तेज ब्लाइंड फोल्डेड (आंखों पर पट्टी बांध कर) स्केटर घोषित किया है। गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड्स के अधिकारियों ने उसे रेकॉर्ड हासिल करने के लिए तीन मौके और 60 सेकंड का समय दिया गया था। उसके द्वारा तीसरी बार में यह रेकॉर्ड बनाया गया है। ओजल ने अपनी इस जीत का श्रेय अपने माता-पिता, कोच और परिवार को दिया। जीतने के बाद उसने कहा कि वह भविष्य में और भी अच्छी स्केटिंग करने की कोशिश करेगी।

आंखों पर पट्टी बांध कर स्केटिंग करना कोई आसान बात नहीं है। ओजल ने यहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। वह हर रोज सुबह-सुबह आंखों पर पट्टी बांधकर उसी सड़क पर घंटों स्केटिंग का अभ्यास करती जहां उसने रेकॉर्ड बनाया है। उसके कोच अक्षय सूर्यवंशी ने बताया कि आंखों पर पट्टी बांध कर तेजी से स्केटिंग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसने अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के बदौलत यह कर दिखाया है। रेकॉर्ड बनाने के लिए वह हर रोज सुबह में अभ्यास करती थी।

ओजल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में दर्ज होने की खुशी उसके माता-पिता बयान नहीं कर पा रहे। ओजल की मां का नाम दीपा और पिता का नाम सुनील नलावडे है। उसके पिता ने कहा, 'उसे 400 मीटर की दूरी तय करने के लिए 60 सेकंड और उससे कम की समय सीमा दी थी। यह सिर्फ स्केटिंग नहीं है बल्कि यह ब्लाइंड स्केटिंग है जिसमें लड़की को अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर स्केट करना है। इसलिए हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण था कि वह सड़क को देखे बिना दूरी को माप सकती है या नहीं। ओजल दो साल की उम्र से स्केटिंग का प्रशिक्षण ले रही हैं।

वीकेंड और स्कूल की छुट्टियों के दौरान ओजल को स्केटिंग करना बहुत अच्छा लगता है इसलिए ओजल के पिता ने उसे स्केटिंग का एडवांस कोर्स करवाया है ताकि वह अच्छे से स्केटिंग सीख सके।

ओजल का नाम एशिया बुक ऑफ रेकॉर्डस और इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड में दर्ज है।

www.readwhere.com

कर्नाटक में बहुमत की बंदूक दिखाने वाले को जनता का करारा जवाब : प्रधानमंत्री

बरही (झारखंड), 9 दिसंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनार्टक उपचुनावों में भाजपा को मिली जीत का सोमवार को जिक्र करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कर्नाटक में उसने जिसे मुख्यमंत्री बनाया, उन्हें सुबह-शाम बहुमत की बंदूक दिखाती रही थी, और वह जनता के बीच रोते थे, लेकिन आज जनता ने उन्हें करार जवाब दिया है। प्रधानमंत्री झारखंड विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बरही में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।

कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में 12 सीटों पर भाजपा की जीत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'कर्नाटक में कांग्रेस ने जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, उन्हें सुबह शाम बंदूक दिखाई जाती थी...बहुमत की बंदूक...और दिल्ली के लिए एक करोड़ ...दिल्ली के लिए दो करोड़...की बात होती थी...और वह बिचारे मुख्यमंत्री जनता जनार्दन के बीच जाकर रोते थे ...आंसू बहाते थे।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'कर्नाटक में चुनाव के दौरान वहां की जनता ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए अपना मत दिया था। जनता ने कांग्रेस और उसके साथियों की पिछली सरकार के दौरान लापरवाही, भ्रष्टाचार और बेईमानी देखी थी। इसी कारण उन्होंने भाजपा को पसंद किया लेकिन कांग्रेस और उनके साथियों ने मिलकर इस जनमत को धोखा दे दिया। जनता की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया।' उन्होंने आरोप लगाया, 'कांग्रेस और जद (सेकु) पर्दे के पीछे सांठगांठ करके रातों-रात कुर्सी पर बैठ गए। जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार बनाई और फिर एक साल तक सरकार में बने रहने की जतन में लगी रही...जनता की भलाई उनके एजंडे में थी ही नहीं।' मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री की स्थिति ऐसी बना दी थी, जैसा कि अपहरण करने वाला भी नहीं करता। कांग्रेस के उन कारनामों का जवाब आज जनता जनार्दन ने कमल का बटन दबा कर दे दिया है।

प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा, 'अब कर्नाटक में जोड़-तोड़ वाली सरकार नहीं है। मैं कर्नाटक की जनता को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उसने अपनी मोहर लगाकर फिर मजबूत सरकार को नई ताकत दे दी है।' उन्होंने कहा कि कर्नाटक में आज जो हुआ वह जनमत और लोकतंत्र की जीत है। महाराष्ट्र में हाल में अपने गठबंधन सहयोगी शिवसेना से धोखा खाने वाली भाजपा के दर्द को बयान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक परिणाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि उठापटक की राजनीति करने वाले नेताओं के लिए यह कड़ा संदेश है।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, 'कांग्रेस कभी भी गठबंधन के भरोसे पर खरी नहीं उतरी है। वह अपने मतलब के लिए गठबंधन और जनादेश का उपयोग करती आई है। अपने हितों के लिए वह सहयोगियों का उपयोग कठपुतली की तरह करती है।' राज्य में तीसरे चरण में रांची समेत 17 सीटों के लिए 12 दिसंबर को मतदान होगा।

झारखंड में पांच चरणों में कुल 81 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। जिसमें पहले चरण के लिए 13 सीटों पर मतदान 30 नवंबर को हुआ दूसरे चरण में सात दिसंबर को राज्य की बीस विधानसभा सीटों पर 64.84 फीसद मतदान रिकार्ड किया गया था। राज्य में तीसरे चरण के लिए 12 दिसंबर को, चौथे चरण के लिए 16 दिसंबर को और पांचवें व अंतिम चरण के लिए 20 दिसंबर को मतदान होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पांचों चरण की मतगणना एक साथ 23 दिसंबर को की जाएगी।

खुदरा विक्रेताओं की प्याज भंडारण सीमा पांच से घटाकर दो टन हुई

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

सरकार ने प्याज के बढ़ते दाम पर अंकुश लगाने और जमाखोरी रोकने के लिए खुदरा विक्रेताओं के लिए प्याज की अधिकतम भंडारण (स्टॉक) सीमा को सोमवार को पांच टन से घटाकर दो टन कर दिया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकारों को खुदरा विक्रेताओं की जमाखोरी रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि प्याज की खुदरा कीमतों में तेजी को देखते हुए उसने खुदरा व्यापारियों के लिए प्याज की अधिकतम भंडारण सीमा को पांच टन से कम करके दो टन कर दिया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पिछले हफ्ते मंत्रालय ने खुदरा विक्रेताओं के लिए अधिकतम सीमा को 10 टन से घटाकर पांच टन और थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा को 50 टन से घटाकर 25 टन कर दिया था। भारी बारिश के बाद खरीफ फसल के उत्पादन में गिरावट आने से प्याज की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इससे खुदरा बाजार में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं।

आजादी के बाद जन्मे लोग भी स्वाधीनता सेनानी

पेज 1 का बाकी

स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाएं होंगी और उनके लिए अलग से कोई रियायत संहिता न होने की वजह से लेखा परीक्षा करने के लिए दी गई सूचना से उनकी संख्या का पता नहीं लगाया जा सका। इसमें कहा गया है कि 1947 के बाद पैदा हुए 1302 पुरुष यात्रियों और 1898 महिला यात्रियों को स्वतंत्रता सेनानियों की रियायत के अंतर्गत मुफ्त यात्रा की अनुमति दी गई। इसमें से 1096 पुरुष और 580 महिला यात्रियों की आयु वरिष्ठ नागरिक श्रेणी से भी कम थी।

ढाई साल बाद सुनारियां जेल में हुई राम रहीम-हनीप्रीत की मुलाकात

पेज 1 का बाकी

ने राम रहीम को दोषी करार दिया था। अदालत के फैसले के बाद हिंसा भड़की तो पंचकूला पुलिस ने हनीप्रीत के विरुद्ध देशद्रोह का मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। बीती सात नवंबर को जमानत मिलने के बाद हनीप्रीत जेल में बंद राम रहीम से मुलाकात का प्रयास कर रही थी। हालांकि सुनारियां जेल प्रशासन ने इस मुलाकात के लिए सुरक्षा की दृष्टि से इनकार कर दिया था लेकिन गृहमंत्री और जेल मंत्री के हस्तक्षेप के बाद हनीप्रीत की राह सामान्य हो गई।

करीब 28 महीने बाद हनीप्रीत सोमवार को सुनारिया जेल पहुंची। दोपहर दो से तीन बजे उनकी मुलाकात राम रहीम के साथ हुई। हनीप्रीत के साथ राम रहीम के वकील संदीप कामरा, राजेंद्र सिंह सरां और हरीश छाबड़ा भी थे। राम रहीम के जेल जाने के बाद डेरा सच्चा सौदा का प्रबंधन संभाल रही चेयरपर्सन शोभा इंसा भी उनके साथ थी। बाबा व हनीप्रीत के बीच करीब 20 मिनट तक आमने-सामने बैठकर टेलीफोन पर बातचीत हुई।

बताया जा रहा है कि इस दौरान हनीप्रीत भावुक हो गई, जिस पर बाबा ने उन्हें समझाया। वह राम रहीम के लिए कपड़े लेकर आई थी। जेल प्रशासन को सोमवार सुबह हनीप्रीत के आने की सूचना मिली थी।

जेल प्रबंधन ने किया था मुलाकात से इनकार : हनीप्रीत ने सुनारिया जेल प्रशासन को चिट्ठी भेजकर राम रहीम से मुलाकात की अनुमति मांगी थी। दूसरी तरफ राम रहीम ने भी जेल प्रशासन को मुलाकात के लिए जिन लोगों के नाम दिए थे उनमें हनीप्रीत का नाम भी शामिल था।

हनीप्रीत के आवेदन के बाद सुनारियां जेल प्रशासन ने सिरसा पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पूछा था कि हनीप्रीत की राम रहीम से मुलाकात को लेकर सिरसा पुलिस को कोई आपत्ति तो नहीं है। सिरसा के कार्यवाहक एसपी विजय प्रताप सिंह ने रविवार को सुनारिया जेल अधीक्षक को बंद लिफाफे में अपना जवाब भेजा था। सूत्र के मुताबिक केस की जांच और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने का अंदेशा जताते हुए जेल में इस मुलाकात पर सिरसा पुलिस ने आपत्ति जताई थी।

गृहमंत्री और जेल मंत्री की सहमति के बाद हुई मुलाकात : हनीप्रीत व राम रहीम की मुलाकात को लेकर कई दिनों से अटकलें चल रही थी लेकिन दूसरी बार सत्ता में आने पर मनोहर के मंत्री अनिल विज को जब गृहमंत्रालय का जिम्मा मिला तो इस बात के संकेत मिल रहे थे कि अब यह मुलाकात संभव हो सकती है।

क्योंकि अनिल विज पहले ही डेरा प्रकरण के मृतकों के आश्रितों के लिए नौकरी की मांग भी कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार मामला जेल मंत्री व गृह मंत्री तक जा पहुंचा। जेल मंत्री की संतुति व गृहमंत्री की हामी के बाद ही हन्नीप्रीत की बाबा से मुलाकात हो पाई है।

चुनाव ड्यूटी पर आए जवान ने कंपनी कमांडर को गोली मार आत्महत्या की

रांची 9 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव ड्यूटी पर आए छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की एक बटालियन के जवान ने आपसी विवाद के बाद अपने कंपनी कमांडर को सोमवार तड़के गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद उसने अपने हथियार से खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

कंपनी कमांडर की पहचान मेला राम और आत्महत्या करने वाले जवान की पहचान विक्रम राजबाड़ी के रूप में की गई है। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनीश गुप्ता ने बताया कि यह घटना सुबह लगभग 6:30 बजे खेल गांव परिसर में हुई, जहां इन जवानों को द्वितीय चरण के मतदान के बाद ठहराया गया था।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार कंपनी कमांडर और जवान में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में जवान ने अपने हथियार से कंपनी कमांडर को गोली मार दी जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद जवान ने अपने हथियार से स्वयं को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोलीबारी की इस घटना में दो अन्य जवानों को छर्रे लगे हैं और उन्हें घायल स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है जिसके बाद इसके वास्तविक कारणों की जानकारी हो सकेगी।

न्यायालय को प्रशासन ने बताया, मुबीन की नजरबंदी का आदेश स्थायी रूप से वापस लिया गया

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि प्रवासी भारतीय कारोबारी मुबीन शाह की नजरबंदी का आदेश स्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। मुबीन को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को वापस लेने के बाद लोक सुरक्षा कानून के तहत नजरबंद किया गया था।

न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बीआर गवई के पीठ ने मुबीन की पत्नी आसिफा मुबीन को अपने पति शाह की नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। इससे पहले, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शाह की नजरबंदी का आदेश स्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। शाह की पत्नी आसिफा मुबीन के वकील ने कहा कि वह अपनी याचिका वापस लेना चाहेंगे क्योंकि अब यह निरर्थक हो गई है। पीठ ने आसिफा मुबीन को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इससे पहले छह दिसंबर को शाह को नजरबंदी से अस्थायी रूप से रिहा करने की अनुमति दी थी। मलेशिया में कारोबार करने वाले मुबीन को आगरा सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था। प्रशासन ने इस आदेश के एक दिन बाद ही सात दिसंबर को जम्मू कश्मीर लोक सुरक्षा कानून के तहत मुबीन शाह की नजरबंदी का पूरा आदेश वापस ले लिया था।

शिवसेना का हिंदू-मुसलिम में अदृश्य विभाजन का आरोप

पेज 1 का बाकी

सवाल किया, 'यह सच है कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है, लेकिन अवैध शरणार्थियों में से केवल हिंदुओं को स्वीकार करके देश में एक गृह युद्ध नहीं छिड़ जाएगा?' उसने कहा, 'अगर कोई नागरिकता (संशोधन) विधेयक की आड़ में वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करता है तो यह देश के हित में नहीं है।'

छात्रावास शुल्क वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जेएनयू छात्रों पर लाठीचार्ज

पेज 1 का बाकी

स्टेशनों पर सोमवार को यात्रियों का प्रवेश और निकास बंद कर दिया। दिल्ली यातायात पुलिस के मुताबिक विद्यार्थियों के प्रदर्शन और लंबे मार्च के कारण बाबा गंगनाथ मार्ग पर यातायात की आवाजाही रही। जेएनयू छात्र छात्रावास की फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने प्रशासन की बार-बार चेतावनियों के बावजूद आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं का बहिष्कार करने का भी आह्वान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जेएनयू में सामान्य कामकाज बहाल करने व प्रदर्शनरत विद्यार्थियों और प्रशासन के बीच मध्यस्थता करने के तरीकों को तलाशने के लिए तीन सदस्यीय समिति भी गठित की है। समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

दरअसल

महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, चिंताजनक और शर्मनाक : नायडू

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

उपराष्ट्रपति वेकैंया नायडू ने महिलाओं व लड़कियों के खिलाफ हालिया अत्याचारों को 'चिंताजनक' और 'शर्मनाक' बताते हुए सोमवार को कहा कि समस्या से निपटने के लिए सिर्फ विधेयक ले आना काफी नहीं है, सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है।

नायडू ने कहा कि लड़कियां जब बाहर जाती हैं तो आमतौर पर उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा जाता है लेकिन वक्त आ गया है कि लड़कों को चेताया जाए। फिक्की की ओर से यहां आयोजित सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाल में सामाजिक भेदभाव या लैंगिंग भेदभाव या लड़कियों के खिलाफ अत्याचारों की घटनाएं सच में चिंताजनक हैं। हमें मामले को प्रभावी तरीके से निपटना होगा, कानून लाना काफी नहीं है। उन्होंने कहा, 'मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे देश में, हमारी व्यवस्था में कमजोरी है कि जब भी कुछ होता है लोग कहते हैं विधेयक लाओ।' नायडू ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक कौशल की जरूरत है।

तीन देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान

पेज 1 का बाकी

देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह विधेयक कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता। अगर इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होता तो मुझे विधेयक लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।' उन्होंने कहा कि नेहरू-लियाकत समझौता काल्पनिक था और विफल हो गया और इसलिए विधेयक लाना पड़ा। शाह ने कहा कि देश में एनआरसी आकर रहेगा और जब एनआरसी आएगा तब देश में एक भी घुसपैठिया बच नहीं पाएगा। किसी भी रोहिंग्या को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए देश में किसी धर्म के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है।

यह सरकार सभी को सम्मान और सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं, संविधान ही सरकार का धर्म है। विधेयक पारित होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल समेत भाजपा और उसके सहयोगी दलों के विभिन्न सदस्यों ने गृह मंत्री अमित शाह के पास जाकर उन्हें बधाई दी।

इससे पहले अमित शाह ने जवाब में कहा कि साल 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 23 फीसद थी। साल 2011 में 23 फीसद से कम होकर 3.7 फीसद हो गई। बांग्लादेश में 1947 में अल्पसंख्यकों की आबादी 22 फीसद थी जो 2011 में कम होकर 7.8 फीसद हो गई। भारत में 1951 में 84 फीसद हिंदू थे जो 2011 में कम होकर 79 फीसद रह गए, वहीं मुसलमान 1951 में 9.8 फीसद थे जो 2011 में 14.8 फीसद हो गए। उन्होंने कहा कि इसलिए यह कहना गलत है कि भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। धर्म के आधार पर भेदभाव न हो रहा है और न आगे होगा।

शाह ने कहा कि यह विधेयक किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव वाला नहीं है और तीन देशों के अंदर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए है जो घुसपैठिए नहीं, शरणार्थी हैं। उन्होंने यह भी कहा, 'मैं दोहराना चाहता हूं कि देश में किसी शरणार्थी नीति की जरूरत नहीं है। भारत में शरणार्थियों के संरक्षण के लिए पर्याप्त कानून हैं।' उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र नीति की बात की लेकिन कांग्रेस ने उसे रोका नहीं। उसने धर्म के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार किया था, यह ऐतिहासिक सत्य है।

गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के दलों ने विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सिक्किम को भी संरक्षण प्राप्त है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले, विधेयक रखते हुए शाह ने कहा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसे राष्ट्र हैं जहां राज्य का धर्म इस्लाम है। आजादी के बाद बंटवारे के कारण लोगों का एक दूसरे के यहां आना जाना हुआ। हमारे यहां तो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की गई लेकिन अन्य जगह ऐसा नहीं हुआ। हिंदुओं, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। इस विधेयक के माध्यम से इन तीन देशों से आए छह धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही गई है।

विधेयक के उद्देश्यों व कारणों में कहा गया है कि ऐसे अवैध प्रवासियों को जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, उन्हें अपनी नागरिकता संबंधी विषयों के लिए विशेष शासन व्यवस्था की जरूरत है। विधेयक में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं वंचित करने की बात कही गई है।

सिद्धरमैया और गुंडू राव ने दिए इस्तीफे

पेज 1 का बाकी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कांग्रेस विधायक दल के नेता (सीएलपी) पद से और दिनेश गुंडू राव ने पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।

राज्य में पांच दिसंबर को 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव के नतीजे सोमवार घोषित किए गए, जिसमें कांग्रेस केवल दो सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। इसे विपक्षी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे एक पत्र में सिद्धरमैया ने उपचुनावों में संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाने के लिए खेद व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, 'मुझे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सीएलपी के नेता के रूप में पद छोड़ने की आवश्यकता लगती है।' सिद्धरमैया ने पत्रकारों से कहा, 'सीएलपी नेता के रूप में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने की जरूरत है। पार्टी के हित में, मैंने सीएलपी नेता के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है।'

उधर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव ने भी उपचुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

कर्नाटक उपचुनाव में भाजपा ने जीती 12 सीटें

पेज 1 का बाकी

तीन निर्वाचन क्षेत्रों- के आर पेटे, महालक्ष्मी लेआउट और होंसुर में जीत हासिल की थी। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव में भाजपा ने 15 में से 12 सीटों पर, कांग्रेस ने दो और निर्दलीय ने एक सीट पर जीत दर्ज की। होसकोटे से निर्दलीय उम्मीदवार शरथ बच्चेगौड़ा ने जीत हासिल की। जीत हासिल करने वाले भाजपा के 12 उम्मीदवारों में अरबैल शिवराम हेब्बार (येल्लापुर), नारायण गौड़ा (केआर पेटे), बीसी पाटिल (हीरेकेरूर), श्रीमंत पाटिल (कगवाड), महेश कुमथल्ली (अथानी), के सुधाकर (चिकबल्लापुर), के गोपालैया (महालक्ष्मी ले आउट), आनंद सिंह (विजयनगर), रमेश जारकिहोली (गोकक), अरुण कुमार गुद्दूर (राणेबेन्नूर), एसटी सोमशेखर (यशवंतपुर) और बेराठी बसवराज (केआर पुरम) हैं।

राज्य की 225 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए भाजपा को 15 सीटों में कम से कम छह सीटों पर जीत की जरूरत थी। दो सीटें - मास्की और आरके नगर अभी भी रिक्त हैं।

विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद विधानसभा में इस समय 208 सदस्य हैं जिनमें भाजपा के पास 105 (एक निर्दलीय सहित), कांग्रेस के 66 और जद (एस) के 34 विधायक हैं। बसपा का भी एक विधायक है। इसके अलावा एक मनोनीत विधायक और विधानसभा अध्यक्ष हैं।

कांग्रेस और जद (एस) के 17 विधायकों की बगावत के बाद कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली सरकार जुलाई में गिर गई थी और इसके बाद भाजपा सत्ता में आई थी। बागी विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के कारण ये उपचुनाव कराया गया है।

बक्सर जेल को मिला फांसी के 10 फंदे तैयार करने का आदेश

पेज 1 का बाकी

तक 10 फांसी के फंदे तैयार करने के निर्देश मिले। हमें नहीं पता कि ये कहां इस्तेमाल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद हमला मामले में अफजल गुरु को मौत की सजा देने के लिए इस जेल में तैयार किए गए फांसी के फंदे का इस्तेमाल किया गया था। 2016-17 में हमें पटियाला जेल से आदेश मिले थे, हालांकि हम यह नहीं जानते कि किस उद्देश्य के लिए वे फंदे तैयार कराए गए थे। अरोड़ा ने कहा कि बक्सर जेल में लंबे समय से फांसी के फंदे बनाए जाते हैं। एक फांसी का फंदा 7200 कच्चे धागों से बनता है। उसे तैयार करने में दो से तीन दिन लगते हैं जिस पर पांच-छह कैदी काम करते हैं। इसकी लट तैयार करने में मोटर चालित मशीन का भी उपयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछली बार जब यहां से फांसी के फंदे की आपूर्ति की गई थी, तो एक की कीमत 1725 रुपए रही थी। इस बार 10 फांसी के फंदे तैयार करने के जो निर्देश मिले हैं, उसमें पीतल के बुश, जोकि गर्दन में फंसते हैं, की कीमत में हुए इजाफे के कारण फांसी के फंदे की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।

मीडिया के एक वर्ग द्वारा यह कयास लगाया जा रहा है कि 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली में चलती बस में एक युवती से बलात्कार के चार दोषियों को इस महीने के अंत में फांसी दी जा सकती है। संयोग से निर्भया मामले के दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर बिहार के औरंगाबाद जिले का निवासी है। हैदराबाद में एक महिला के बलात्कार और उसकी हत्या के चार आरोपियों की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद निर्भया मामले के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग ने और जोर पकड़ लिया है।

याचिकाओं पर आज से होगी सुनवाई

पेज 1 का बाकी

सूर्य कांत भी शामिल हैं। पीठ ने 14 नवंबर को याचिकाओं पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार करते हुए कहा था कि इससे मामलों में देरी हो सकती है और न्यायालय सभी पक्षों को सुनने के बाद एक ही बार में सभी मुद्दे सुलझाएगा। न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाले एक पीठ ने सोमवार को सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन को मामले पर तैयारी के साथ आने को कहा था। पीठ ने पक्षकारों से दस्तावेजों का साझा संकलन तैयार करने को कहा था जिससे इस मामले में सुनवाई आसान हो जाए।

मेहता ने कहा कि प्रतिवेदन के लिए हालांकि साझा संकलन तैयार है लेकिन सुनवाई के दौरान कोई नई सामग्री आती है तब इसे आगे के चरणों में दायर किया जाएगा। इससे पहले शीर्ष अदालत ने केंद्र से दो नई याचिकाओं पर जवाब देने को कहा था जिनमें अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द किए जाने संबंधित मुद्दे उठाए गए थे।

अदालत ने पूर्व में अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली नई रिट

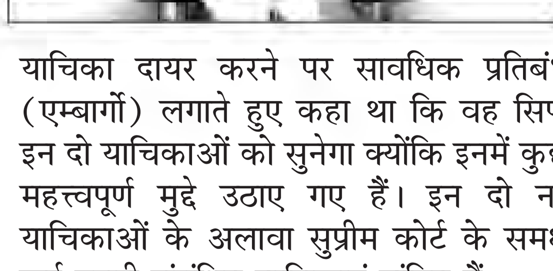

याचिका दायर करने पर सावधिक प्रतिबंध (एम्बार्गो) लगाते हुए कहा था कि वह सिर्फ इन दो याचिकाओं को सुनेगा क्योंकि इनमें कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। इन दो नई याचिकाओं के अलावा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई दूसरी संबंधित याचिकाएं लंबित हैं।

केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित करने की घोषणा की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से याचिका लोकसभा सांसद मोहम्मद अकबर लोन और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी ने दायर की है। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त)मसूदी ने 2015 में कहा था कि अनुच्छेद 370 संविधान का एक स्थायी प्रावधान है।

नई दिल्ली

www.readwhere.com

सरकार ने रोजगार में कमी के विपक्षी दावे को खारिज किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 दियंबर।

श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने रोजगार कम होने के विपक्ष के दावे को खारिज करते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा कि इसका कोई कारण नजर नहीं आता है जिससे रोजगार घटने की बात स्पष्ट होती हो।

सदन में प्रश्नकाल के दौरान गुमान सिंह दामोर, शशि थरूर और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में गंगवार ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कई कदम उठाए हैं और इनका सकारात्मक परिणाम भी दिख रहा है। उन्होंने कहा कि इसका कोई कारण नहीं है कि यह कहा जाए कि रोजगार कम हो रहा है।

गंगवार ने यह भी कहा कि मुद्रा योजना के तहत ऋण के रूप में 21 करोड़ खातों में 10 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन लाभार्थियों में 60 फीसद महिलाएं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और राज्यों में रोजगार एक्सचेंज भी पूरह तरह सही ढंग से काम करें, इसको लेकर भी प्रयास किया जा रहा है।

इससे पहले, एक अन्य पूरक प्रश्न में कांग्रेस ने मनीष तिवारी ने कहा कि देश में बेरोजगारी का आंकड़ा 45 वर्षों के सबसे उच्चतम स्तर पर है।

सदन में प्रश्नकाल के दौरान गुमान सिंह दामोर, शशि थरूर और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में गंगवार ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कई कदम उठाए हैं और इनका सकारात्मक परिणाम भी दिख रहा है।

गंगवार ने यह भी कहा कि मुद्रा योजना के तहत ऋण के रूप में 21 करोड़ खातों में 10 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन लाभार्थियों में 60 फीसद महिलाएं हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और राज्यों में रोजगार एक्सचेंज भी पूरह तरह सही ढंग से काम करें, इसको लेकर भी प्रयास किया जा रहा है।

इसके उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत स्टार्टअप के मामले में दुनिया के शीर्ष पांच देशों में शामिल है।

मंत्रियों और सदस्यों की अनुपस्थिति पर सभापति ने जताई नाराजगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन पटल पर दस्तावेज रखे जाने के समय संबद्ध मंत्रियों और प्रश्नकाल में सवाल पूछने वाले सदस्यों के अनुपस्थित रहने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सदस्यों को कम से कम उनसे नाम पर सूचीबद्ध सवाल पूछने या दस्तावेज पटल पर पेश करने के समय सदन में उपस्थित रहना अपेक्षित है।

सभापति ने सोमवार को उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि प्रश्न पूछने वाले चार सदस्य अनुपस्थित थे। शीतकालीन सत्र के दौरान उच्च सदन में यह चौथा दिन है जबकि प्रश्नकाल में सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए हों। इनमें भाजपा की कांता कर्दम, विजय पाल सिंह तोमर, 'आप' के संजय सिंह और अन्नाद्रमुक के आर वैद्यलिंगम शामिल हैं। नायडू ने कहा कि अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। उन्होंने दस्तावेज पटल पर रखने के लिए जब मंत्रियों के नाम पुकारे तब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह को उनके मंत्रालय की ओर से दस्तावेज पटल पर रखना था।

रोग निदान पर एनयूजे ने किया कार्यशाला का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 9 दिसंबर।

राजस्थान के रावतभाटा कोटा परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु वैज्ञानिक डॉ एमएल परिहार ने कहा कि 135 तरह की वैकल्पिक चिकित्साएं दुनिया भर में प्रचलित हैं और इनमें से सबसे ज्यादा एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति प्रचलित है, जो आज दुनिया की तीसरी सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली चिकित्सा पद्धति बन चुकी है। डॉक्टर परिहार आज हरिद्वार में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (एनयूजे) द्वारा आयोजित 'आधुनिक मानव जीवन एवं रोगों के निदान' विषय पर आधारित एक कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि मानव शरीर के मर्म बिंदुओं पर प्रेशर दिया जाता है तो उनसे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी पर कुछ वैज्ञानिक ने शोध किया है। उन्होंने लोगों से आवाहन किया कि वे ऋषि-मुनियों द्वारा प्रदत्त भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को अपनाएं क्योंकि वे वैज्ञानिक तथ्यों पर पूर्ण उतरते हैं। चाहे वह हस्त मुद्रा हो या आंख देखकर रोग को पहचानने की कला जिसे आज आइरिस थेरेपी कहा जाता है। डॉ. परिहार ने कहा कि शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होना पानी की कमी को दर्शाता है। दर्द को पर्याप्त मात्रा में यानी 4 से 6 लीटर पानी विविध तरीके से पी कर दूर किया जा सकता है।

इंडलवाज एसट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड Edelweiss
सीआईएन : U67100MH2007PLC174759
पंजीकृत कार्यालय : ईंडेलवीज हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई 400098.

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6)]
आरपीएस क्लोदिंग एण्ड लिनेन प्रा.लि. की अचल प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री हेतु सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (इसके बाद इसे ''सरफाएशी अधिनियम'' कहा जायेगा) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल प्रतिभूति आस्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी।

कि भारतीय स्टेट बैंक (इसके पश्चात इसे ''एसाइनर बैंक'' कहा जायेगा) ने एसाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 19 मार्च, 2014 के माध्यम से ईएआरसी ट्रस्ट एससी-30 (इसके पश्चात इसे ''ईएआरसी'' कहा जायेगा) के न्यासी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत ईडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में निहित प्रतिभूतियों सहित आरपीएस क्लोदिंग एण्ड लिनेन प्राइवेट लिमिटेड (इसके पश्चात इसे ''कर्जदार'' कहा जायेगा) के ऋणों को आवंटित किया था। कथित एसाइनमेंट के अनुसार ईएआरसी एसाइनर बैंक के स्थान पर आ गयी और इसलिए इसने प्रतिभूत लेनदार के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग किया। प्रतिभूत लेनदार के रूप में अपनी क्षमता में ईएआरसी ने निम्नलिखित प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा कर लिया था-सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(4) तथा क्रमशः इसके तहत नियमों के अनुसार 27 सितम्बर, 2016 को लॉट I तथा 20 दिसम्बर, 2018 को लॉट II एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि एसाइन बैंक के पक्ष में बंधक निम्नलिखित अचल प्रतिभूत आस्तियों को, जिसका भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के रूप में ईएआरसी के अधिकृत प्राधिकारी (एओ) ने कर लिया था, की बिक्री भावी ब्याज तथा उस पर अन्य व्ययों/लागतों सहित तथा ईएआरसी द्वारा प्राप्त किये गये किसी धन को घटाकर ईएआरसी के 23 मार्च, 2015 तक बकाया रु. 70,68,13,058/- (**रुपये सत्तर करोड़ अड़सठ लाख तेरह हजार अट्ठावन मात्र**) की वसूली हेतु 27 दिसम्बर, 2019 को ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में दी गयी है :

नीलामी/बिक्री हेतु प्रतिभूत आस्तियों का विवरण

लॉट	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि	संविदा बढ़ोत्तरी
लॉट I	1,35,00,000	13,50,000	1,00,000
लॉट II	4,00,00,000	40,00,000	5,00,000

नीलामी हेतु रखी प्रतिभूत अचल आस्तियों का विवरण

लॉट I – सम्पत्ति सं. 27, गुजरात को-ऑपरेटिव होम बिल्डिंग सोसाइटी (प्रा.) लिमिटेड, कॉलोनी गुजरात विहार, दिल्ली-110092 पर स्थित द्वितीय तल पर आवासीय फ्लैट (प्लॉट का क्षेत्रफल-294 वर्ग गज/245.78 वर्ग मी) सीमाएँ : उत्तर या इसकी ओर : 80 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण या इसकी ओर : सम्पत्ति सं. 52, पूर्व या इसकी ओर : सम्पत्ति सं. 26 तथा पश्चिम या इसकी ओर : सम्पत्ति सं. 28.

लॉट II – प्लॉट सं. 680, पेस सिटी II, सेक्टर 37, गुरुग्राम (प्लॉट का क्षेत्रफल-1000 वर्ग मीटर) सीमाएँ : उत्तर या इसकी ओर : प्लॉट सं. 681, दक्षिण या इसकी ओर : प्लॉट सं. 679, पूर्व या इसकी ओर : अन्य का प्लॉट तथा पश्चिम या इसकी ओर : 40 फीट चौड़ी सड़क।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया ईएआरसी की वेबसाइट **https://www.edelweis-sarc.in** में प्रावधानित लिंक देखें।

मोबाइल नं. : 8828219649/9819099457
तिथि : 10.12.2019 ह./-
स्थान : मुम्बई ईंडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

भाजपा के अरुण सिंह ने ली राज्यसभा की सदस्यता की शपथ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अरुण सिंह ने सोमवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। उत्तर प्रदेश से उच्च सदन के लिए निर्वाचित सिंह ने हिंदी में शपथ ली।

शपथ लेने के बाद उन्होंने सभापति एम वेंकैया नायडू और अन्य सदस्यों का अभिवादन किया।

समाजवादी पार्टी की सदस्य तजीम फातिमा के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट पर हुए उपचुनाव में अरुण सिंह निर्वाचित हुए हैं। तजीम फातिमा अब रामपुर की विधायक हैं।

COURT NOTICE
In the court of Sh. Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBLD03-052308-2017
NEXT DATE : 16-01-2020
DAVINDER BHATIA
V/S
ADITYA JAIN
NOTICE TO : Aditya Jain C/o M/s Jain Anil Sons Enterprises 84/b, First Floor, Chppi Tank, Near St. Thomas School Meerut (uttar Pardesh)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused person can't be served in the ordinary Way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 16-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
Dated , this day of 02-12-2019 JMIC LUDHIANA

भारत-आस्ट्रेलिया ने रणनीतिक संबंधों की समीक्षा की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

भारत और आस्ट्रेलिया ने रक्षा एवं विदेश सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान अपने रणनीतिक संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य की सोमवार को विस्तृत समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने मौजूदा क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा की और रक्षा उद्योग एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के तरीके तलाशे।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई रक्षा सचिव अजय कुमार और विदेश सचिव विजय गोखले ने की, जबकि ऑस्ट्रेलियाई पक्ष का नेतृत्व रक्षा सचिव ग्रेग मोरिआर्टी और विदेश सचिव फ्रांसेस एडमसन ने किया।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'द्विपक्षीय रक्षा संबंधों, रक्षा उद्योग एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ ही मौजूदा क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।' दोनों पक्षों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्रीय शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए करीब से काम करने का संकल्प लिया।

चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तेजी से सैन्य एवं आर्थिक प्रभाव को बढ़ा रहा है, जिससे क्षेत्र एवं उससे परे कई देशों की चिंता बढ़ गई है। दोनों पक्षों ने अपने समुद्री सहयोग की भी समीक्षा की और क्षेत्र में समान हितों के बचाव के लिए इसका दायरा और बढ़ाने पर सहमति जताई।

भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 'क्वाड' व्यवस्था के तहत सामरिक दृष्टि से अहम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में करीब से काम कर रहे हैं। नवंबर 2017 में, चार देशों ने हिंद-प्रशांत के अहम समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए नई रणनीति विकसित करने की खातिर इस गठबंधन को आकार दिया था।

रास में उठा तटीय क्षेत्रों के तीन प्रक्षेपण केंद्रों को खतरे का मुद्दा

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

राज्यसभा में बीजद के एक सदस्य ने जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के कारण समुद के जलस्तर में वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए सोमवार को कहा कि इससे तटीय क्षेत्रों में स्थित तीन प्रक्षेपास्त्र एवं उपग्रह प्रक्षेपण स्थलों को खतरा हो सकता है और समय रहते इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

बीजद के सस्मित पात्रा ने शून्यकाल के दौरान उच्च सदन में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि समुद्री जल स्तर में वृद्धि से खतरे के बारे में आगाह करते हुए अध्ययन सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक अध्ययन में दावा किया गया है कि समुद्र के जल स्तर में 6.1 मिमी सालाना की दर से वृद्धि हो रही है जिससे तटीय शहरों को खतरा है। पात्रा ने कहा कि तटीय क्षेत्रों में स्थित तीन प्रक्षेपास्त्र एवं उपग्रह प्रक्षेपण स्थल हैं। ओड़ीशा के बालासोर में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था। यहां एकीकृत परीक्षण रेंज मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और केरल के तिरुवनंतपुरम के थुंबा में 'थुंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन' है। पात्रा ने कहा कि तीनों ही देश के महत्वपूर्ण प्रक्षेपण केंद्र हैं और तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि तीनों ही स्थान अत्यंत संवेदनशील हैं तथा किसी भी आपात स्थिति में इन्हें रातों-रात नहीं हटाया जा सकता। पात्रा ने मांग की कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि की वजह से इन केंद्रों पर आसन्न खतरे के बारे में समय रहते सोचा जाना चाहिए। विभिन्न दलों के सदस्यों ने पात्रा के इस मुद्दे से स्वयं को संबद्ध किया।

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
अशोक विहार शाखा, सी-2/21, फेज-II, अशोक विहार, दिल्ली-110052

नियम 8(1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।**

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **बैंक ऑफ इंडिया,** के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खाते का नाम (कर्जदार)	माँग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख / बकाया राशि (रू. में)	अचल सम्पत्तियों का विवरण
मैसर्स विनायक एंटरप्राइजेज इसके प्रोपराइटर श्री विनय कुमार गोयल द्वारा और गारंटर श्रीमती सलोचना गोयल और श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	17-09-2019 / 05-12-2019 / Rs. 76,41,443.65 और भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अश जोकि रिहायशी सह व्यवसायिक सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. 313/74 का उत्तरी हिस्सा, प्लॉट नं. 5 पर निर्मित, खसरा नं 263 और 264 में से, खेवत नं. 1, जोकि गॉव चौकरी मुबारकबाद, जिसे अब आनंद नगर कहते है इंदरलोक, नई दिल्ली-110035 में स्थित, क्षेत्रफल 89.50 वर्ग मी. यह सम्पत्ति सलोचना गोयल पत्नी श्री राजेन्द्र गोयल के नाम पर है। चौहदी उत्तर में – सम्पत्ति 313/74/6, दक्षिण में – सम्पत्ति नं. 313/74/5-बी, पूरब में – प्रवेश / रोड, पश्चिम में – खुला नाला
श्री विनय कुमार गोयल और गारंटर श्रीमती सलोचना गोयल	17-09-2019 / 05-12-2019 / रु. 27,14,007.97 और भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	

दिनांक : 05-12-2019, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

कार्यालय वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर. सी. सं. 222/2017 **बिक्री उद्घोषणा**

कार्पोरेशन बैंक बनाम मैसर्स गार्डेनिया इण्डिया लि.

बिक्री की उद्घोषणा अन्तर्गत आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52(2) बैंक और वित्तीय संस्थान की ऋण वसूली अधिनियम 1993

सीडी#1 मैसर्स गार्डेनिया इंडिया लि., इसके निदेशक द्वारा, आर-19, तृतीय तल, मेन शकरपुर मार्केट, लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 और: प्लॉट नं. 9, सैक्टर-75, नोएडा-201301

सीडी#2 श्री मनोज कुमार रॉय पुत्र श्री नरेंद्र प्रसाद रॉय, निवासी : ए-504, वेधमान अपार्टमेंट, एम.वी. एक्सटेंशन, फेज-I, दिल्ली-110091, और: फ्लैट नं. 604, टॉवर-4, कॉमन वेल्थ गेम्स विलेज, नई दिल्ली -110090, और: ए-218 मंगल अपार्टमेंट, वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली-110096, और: प्लॉट नं. जीएच एसपीएल 2, गाजियाबाद, यू.पी.- 201010

सीडी#3 श्री संजीव कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, निवासी : सी-164, मनु अपार्टमेंट, मयूर विहार, दिल्ली-110091, और: बी-43, प्रथम तल, कॉमन कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, और : आर-19, तृतीय तल, मेन शकरपुर मार्केट, लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग, दिल्ली -110092, और: जी -3, प्लॉट नं. 170, सैक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, यू.पी.- 201001

सीडी#4 सुश्री पूनम कुमारी पत्नी श्री संजीव कुमार, निवासी : सी-164, मनु अपार्टमेंट, मयूर विहार, दिल्ली-110091, और: जी-3, प्लॉट नं. 170, सैक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, यू.पी-201001

सीडी#5 सुश्री कुमारी अनुपमा पत्नी श्री मनोज कुमार रॉय, निवासी : ए-504, वेधमान अपार्टमेंट, एम.वी. एक्सटेंशन फेज-I, दिल्ली -110091, और: ए-218, मंगल अपार्टमेंट, वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली-110096,

सीडी#6 मैसर्स फुटैक शेल्टर्स प्रा. लि., इसके निदेशक द्वारा 17, गफ्फार मार्केट, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005 और : ए-19, तृतीय तल, मणि शकरपुर मार्केट, लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग, दिल्ली -110092

जबकि वसूली प्रमाणपत्र सं. 222/2017 के अनुसार माननीय पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली के** द्वारा प्रतिवादी से वाद के शुरुआत से **रु. 33,90,53,115/- (रु. तैंतीस करोड़ नब्बे लाख तिरेप्पन हजार एक सौ पंद्रह केवल)**, प्रतिवादी संयुक्त रुप/व्यक्तिगत रुप से और **रु. 33,89,03,115/- (रु. तैंतीस करोड़ उनासी लाख तीन हजार एक सौ पंद्रह केवल) साथ में ओ.ए. की फाईलिंग की तिथि अर्थात दिनांक 25.05.2015 से 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदायगी की तिथि तक एवं खर्च लागत** भी प्रमाणपत्र देनदार से वसूली किया जाएगा।

2 और जहाँ पर अधोहस्ताक्षी ने इस प्रमाणपत्र से संतुष्ट हो कर निम्नलिखितानुसार अनुसूची में सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

3. सूचित किया जाता है कि स्थगन के किसी आदेश के आभाव में उक्त सम्पत्ति ई-नीलामी के द्वारा वेबसाईट : **website https://bankauctions.in** पर **"ऑन लाईन ईलैक्ट्रॉनिक बिडींग" के माध्यम से दिनांक 08.01.2020 को अपराह्न 03.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक (अपराह्न 04.00 बजे के बाद 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है) किया जायेगा।**

4. उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री निम्नलिखितानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावों को जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

5. सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। नीलामी समाप्त होने से पूर्व बिक्री समाप्त कर दी जाएगी यदि बिक्री कर रहे अधिकारी के समक्ष प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी को भुगतान किए जा चुके हैं।

6. बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नहीं करेगा।

7 आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी।

7.1 बिक्री उद्घोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अधोहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रुटि, गलत बयान अथवा उद्घोषणा में चूक के होने पर अधोहस्ताक्षरी की जवाबदेही नहीं होगी।

7.2 सम्पत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि निम्नानुसार है।

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि(ईएमडी)
1.	फ्लैट नं. पी-1201, ग्रुप हाउसिंग रिहायशी कॉम्पलैक्स अर्थात् गार्डेनिया ग्लैमर, प्लॉट नं. जीएच(एसपीएल)-2 पर निर्मित, सैक्टर-3, वसुंधरा, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित	रु. 39,00,000/-	रु. 3,90,000/-
2.	फ्लैट नं. पी-1202, ग्रुप हाउसिंग रिहायशी कॉम्पलैक्स अर्थात् गार्डेनिया ग्लैमर, प्लॉट नं. जीएच(एसपीएल)-2 पर निर्मित, सैक्टर-3, वसुंधरा, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित	रु. 39,00,000/-	रु. 3,90,000/-

7.3 इच्छुक बोलीदाताओं जिन्होंने अपनी बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) के साथ में दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, पहचान साक्ष्य और पता साक्ष्य इत्यादि दस्तावेजों और कंपनी के प्रतिनिधित्व/अटॉर्नी की पुष्टि करने वाले अन्य दस्तावेज व्यक्तिगत के मामले में, एक घोषणा अगर बोली उसकी ओर से है या उसकी / उसके प्रमुख की ओर से भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। **वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में दिनांक 06.01.2020 को सांय 4.00 बजे से पहले जमा कराया होगा वे ही दिनांक 08.01.2020 को अपराह्न 03.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक** आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। बोली यदि ई-नीलामी समाप्ति हेतु निर्धारित समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो उस दशा में ई-नीलामी बंद होने का समय 5 मिनट स्वतः बढ़ जायेगा।

7.4. **बोलीदाता अपना बोली रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ाएंगे।**

7.5. असफल बोलीदाता अपनी धरोहर राशि ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया बंद होने के तत्काल बाद सीधे वसूली अधिकारी-II, डी आर टी-II, दिल्ली से प्राप्त कर सकते हैं।

7.6. सफलतम/उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत राशि **वसूली अधिकारी-II, डी आर टी-II,** दिल्ली, **खाता आर सी न. 222/2017 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के द्वारा तैयार करना होगा** और धरोहर राशि को समायोजित करने के पश्चात बंद होने से अगले कार्यदिवस अर्थात 04.00 बजे तक के भीतर वसूली अधिकारी-II, डी आर टी-II, दिल्ली के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए, ऐसा ना करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

7.7. सफलतम / उच्चतम बोलीदाता सम्पत्ति बिक्री मूल्य का बकाया 75 प्रतिशत राशि **वसूली अधिकारी-II, डी आर टी-II, दिल्ली, खाता आर सी न. 222/2017 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के द्वारा** सम्पत्ति की बिक्री की तिथि (उस दिन को छोड़कर) से 15वें दिन या उससे पहले **वसूली अधिकारी-II, डी आर टी-II, दिल्ली** के समक्ष जमा करेगा और यदि 15वें दिन रविवार या अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर (15 दिन के पश्चात) ऐसा किया जाएगा। एवं 2 प्रतिशत रु. 1000/- तक और उसके बाद शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली के पक्ष में जमा करवाना होगा (75 प्रतिशत शेष जमा राशि के मामले में यदि पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है तो उपरोक्तानुसार में वसूली अधिकारी तक पहुँच जाना चाहिए)

7.8. उपरोक्त समयावधि में भुगतान ना करने पर, उक्त सम्पत्ति की पुनः बिक्री नई उद्घोषणा जारी करके की जाएगी। उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के द्वारा जमा राशि को अधोहस्ताक्षरकर्ता यदि उचित समझता है तो विक्रय के खर्चे समायोजित किये जाने के पश्चात सरकारी खाते में जब्त कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में या राशि के किसी भाग के सम्बंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेंगे।

8. सम्पत्ति को "जहाँ है जैसा है आधार" पर बेचा जाएगा

9. यदि कोई बोली या सभी बोलियाँ अस्वीकार्य पाई जाती है तो वसूली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

सम्पत्तियों की अनुसूची

	अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण, जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति डिफाल्टर या जो किसी अन्य व्यक्ति के सह-स्वामित्व में है।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
1.	फ्लैट नं. पी-1201, ग्रुप हाउसिंग रिहायशी कॉम्पलैक्स अर्थात् गार्डेनिया ग्लैमर, प्लॉट नं. जीएच(एसपीएल)-2 पर निर्मित, सैक्टर-3, वसुंधरा, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
2.	फ्लैट नं. पी-1202, ग्रुप हाउसिंग रिहायशी कॉम्पलैक्स अर्थात् गार्डेनिया ग्लैमर, प्लॉट नं. जीएच(एसपीएल)-2 पर निर्मित, सैक्टर-3, वसुंधरा, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित			

मेरे समक्ष दिनांक 16.11.2019 को मोहर किया गया हस्ता/- (अविनाश चन्दा), वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा, स्टार हाउस, तृतीय तल, एच-2, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 फोन: 011-23755605 - 5606

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

1. आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक/प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है, जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी वहाँ है"** के आधार पर **उधारकर्ता/गारंटीकर्ताः मैसर्स ए.एफ. गारमेंट्स, श्री अशरफ अहमद, श्री खालिद अनवर** से बैंक ऑफ इंडिया की बकाया राशि **रुपए 204.03 लाख + अप्रभारित ब्याज (यूसीआई) दिनांक 28.03.2016 से तथा अन्य प्रभार** की वसूली हेतु **दिनांक 22.01.2020** को बिक्री की जाएगी।
संपत्ति का विवरणः- श्री खालिद अनवर के स्वामित्व वाली प्लॉट नं. 1303 पर निर्मित संपत्ति, खसरा नं. 64, गाँव जाफराबाद, गली नंबर 41 और 38 की आबादी मे, जाफराबाद, इलाका शाहदरा, दिल्ली -110053 (क्षेत्रफल 106 वर्ग गज)।
आरक्षित मूल्य **117.21 लाख** रुपए और धरोहर राशि **11.73 लाख** रुपए होगी।
कब्जा तिथिः 10.06.2019 (वास्तविक) **निरीक्षण तिथि और समयः** 16.01.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
विक्रय के विस्तृत नियमों और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
दिनांकः 10.12.2019
स्थानः नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
श्री नीरज रस्तोगी
मोबाइल - 9871286176

नियम और शर्तें

1) नीलामी बिक्री/बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया" **https://www.bankeauctions.com** वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) ईएमडी राशि के साथ दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि **20.01.2020 या उससे पहले शाम 5 बजे तक।**
3) नीलामी की तिथि और समय – **22.01.2020 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक** असीमित 5 मिनट प्रत्येक ऑटो-एक्सटेंशन के साथ।
4) नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी। उपरोक्त संपत्ति के लिए वृद्धिशील मूल्य के गुणकों में बोलीदाता अपने प्रस्तावों में सुधार करेंगे।
5) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है और **मैसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (श्री विनोद चौहान-+919813887931)** से उनकी यूजर आई डी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
6) इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी की बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उपरोक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि के बारे में स्वयं अपनी पूछताछ करनी होगी। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के एन्कम्ब्रेन्स के साथ बेचा जा रहा है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह से किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
7) ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण प्राधिकृत अधिकारी/बैंक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार है। प्राधिकृत अधिकारी और/या बैंक इस सार्वजनिक सूचना में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाब देह नहीं होंगे।
8) उपर्युक्त सम्पत्ति ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी। इच्छुक बोलीकर्ताओं को संपत्ति के क्रय के लिए ई-नीलामी के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरणों को ईएमडी के साथ एक लिफाफे में सुपर-लिपिबद्ध "सरफेसी एक्ट 2002 के तहत संपत्ति की खरीद के लिए नीलामी के लिए ईएमडी राशि", उपरोक्त संपत्ति के लिए तालिका में उल्लिखित खाते के नाम के साथ **20.01.2020 को या उससे पहले शाम 5 बजे तक** जमा करना होगाः-
ए) ईएमडी राशि एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से यूटीआर नंबर के साथ रसीद के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।
बी) पैनकार्ड, पहचान पत्र तथा पते के प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी हालांकि, सफल बोलीदाता को बोली राशि की शेष 25% राशि का भुगतान करते समय मूल दस्तावेजों को बैंक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
सी) बोलीदाता का नाम, संपर्क नंबर, वैकल्पिक नंबर, पता, ई-मेल आईडी और बोलीदाता(ओं) की फोटोग्राफ(स) इत्यादि।
डी) ईएमडी के ऑनलाइन वापसी के लिए बोलीदाताओं के खाते का विवरण।
9) उच्चतम/सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी राशि समायोजित कर दी जाएगी, अन्यों को बिक्री समाप्त होने के 5 दिनों के भीतर ईएमडी राशि वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि बोलीदाता बोली जमा करने/ईएमडी राशि जमा करने के बाद ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है और यदि वह एकमात्र बोलीदाता है, तो उसकी बोली को उपरोक्त आरक्षित मूल्य पर माना जाएगा, और उसे सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।
10) उच्चतम/सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि को मिलाकर बोली/खरीद राशि का 25% बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
11) बोली/खरीद राशि की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पहले (बैंकिंग कार्यदिवस के दौरान) या पूरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार लिखित में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी/बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12) सम्पूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं लेगा।
13) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली अथवा किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और अपने विवेकानुसार बिक्री की किसी भी शर्त को बदलने, संशोधित करने या छूट देने का अधिकार रखता है।
14) **यह प्रकाशन अग्रिम में उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों/बन्धककर्ताओं को 30 दिनों का नोटिस भी है।**

www.readwhere.com

मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में एक पायदान का सुधार

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मुताबिक 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत ने एक स्थान की छलांग लगाई है और 189 देशों के बीच इसकी रैंकिंग 129 हो गई है।

यूएनडीपी की भारत में स्थानीय प्रतिनिधि शोको नोडा ने कहा कि भारत में 2005-06 से 2015-16 के बीच 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत की रैंकिंग 130 थी। तीन दशकों से तेज विकास से यह प्रगति हुई है जिसके कारण गरीबी में कमी आई है। साथ ही जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में बढ़ोतरी के कारण भी रैंकिंग सुधरी है।

मानव विकास सूचकांक के मुताबिक किसी अन्य क्षेत्र में इतनी तेजी से मानव विकास प्रगति नहीं हुई है। सर्वाधिक प्रगति दक्षिण एशिया में हुई है जहां 1990-2018 के दौरान 46 फीसद की बढ़ोतरी हुई जबकि पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 43 फीसद की वृद्धि हुई।

पेट्रोल 75 रुपए लीटर हुआ, डीजल के दाम भी बढ़े

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

पेट्रोल की कीमत सोमवार को 75 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई। एक साल से अधिक समय में यह पहला मौका है जब पेट्रोल का दाम 75 रुपए लीटर पर पहुंचा है। तेल कंपनियों ने उत्पादन की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए ईंधन के दाम बढ़ाए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की दैनिक मूल्य अधिसूचना के अनुसार सोमवार को पेट्रोल के दाम 5 पैसे और डीजल के 10 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। इस वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 75 रुपए और डीजल 66.04 रुपए लीटर पर पहुंच गया। ईंधन के दाम में नौ नवंबर के बाद से एक दिन छोड़कर लगातार वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर पिछले महीने पेट्रोल 2.30 रुपए लीटर महंगा हुआ है। हालांकि, डीजल 65-66 रुपए प्रति लीटर के दायरे में रहा।

सऊदी अरब के तटों पर स्थित बड़े तेल संयंत्र पर सितंबर के मध्य में हमले के बाद ईंधन के दाम में तेजी आई थी। उस समय केवल दो सप्ताह में पेट्रोल 2.5 रुपए लीटर चढ़ा था। उसके बाद कीमतों में नरमी आई और दिल्ली में यह 74.61 रुपए लीटर से घटकर 72.60 रुपए लीटर पर आ गया। नौ नवंबर के बाद से पेट्रोल के दाम चढ़ रहे हैं। इसका एक कारण डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर भी रहा है।

सूचकांक 42 अंक मजबूत, बैंक और वाहन कंपनियों के शेयरों में रही तेजी

मुंबई, 9 दिसंबर (भाषा)।

बैंक और वाहन कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बंबई शेयर बाजार का सूचकांक सोमवार को 42 अंक से अधिक बढ़कर 40,487.43 अंक पर बंद हुआ। कारोबार सीमित दायरे में रहा। तीस शेयरों वाला सूचकांक गिरावट के साथ खुला और दोपहर के कारोबार में स्थिर रहा। अंत में यह 42.28 अंक के लाभ के साथ 40,487.43 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सूचकांक 40,645.63 से 40,336.56 के दायरे में घटता-बढ़ता रहा। पचास शेयरों वाला एनएसई का निफ्टी 16 अंक की बढ़त के साथ 11,937.50 अंक पर बंद हुआ।

सूचकांक के शेयरों में एचडीएफसी सर्वाधिक लाभ में रहा। इसमें 2.06 फीसद की तेजी रही। उसके बाद एक्सिस बैंक, मारुति, रिलायंस, पावरग्रिड और टाटा स्टील का स्थान रहा। दूसरी तरफ टीसीएस, एचसीएल टेक, एलएंडटी, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, एसबीआइ और आइटीसी में 2.93 फीसद तक की गिरावट रही।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) घरेलू बाजार में जोखिम से बच सकते हैं। इसका कारण अमेरिका में रोजगार के मजबूत आंकड़े, व्यापार वार्ता में प्रगति और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की यथास्थिति बनाए रखने की उम्मीद से वैश्विक बाजार में तेजी आने की उम्मीद है। खंडवार सूचकांकों में बीएसई एनर्जी में सर्वाधिक 1.06 फीसद की तेजी आई। तेल व गैस 1.01 फीसद, वाहन 0.75 फीसद और धातु (0.65 फीसद तेजी में रहे। दूसरी तरफ आइटी सूचकांक सर्वाधिक 1.02 फीसद नीचे आया। उसके बाद रीयल्टी (1.02 फीसद), प्रौद्योगिकी (0.92 फीसद) और पूंजीगत सामान (0.78 फीसद) का स्थान रहा।

हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां जनवरी से हो जाएंगी महंगी

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

दिग्गज दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने जनवरी से अपनी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों के दाम 2,000 रुपए तक बढ़ाने की सोमवार को घोषणा की।

हीरो मोटोकॉर्प ने एक बयान में कहा कि हर तरह के दोपहिया वाहनों की कीमतों में बढञोतरी की जाएगी। यह वृद्धि मॉडल और बाजार के आधार पर अलग-अलग होगी। हालांकि, कंपनी ने गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने की वजह नहीं बताई है। हीरो मोटोकॉर्प वर्तमान में 39,900 रुपए से लेकर 1.05 लाख रुपए तक की गाड़ियों की बिक्री करती है।

पिछले हफ्ते देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने जनवरी से वाहनों के दाम बढ़ाने की घोषणा की थी। उसने लागत के प्रभाव को कम करने के लिए यह कदम उठाया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा मोटर्स और मर्सिडीज बेंज ने भी इसी तरह का कदम उठाया है।

कार निर्माता कंपनी हुंदै मोटर इंडिया और होंडा कार्स इंडिया ने कहा कि वे जनवरी में वाहनों के दाम नहीं बढ़ाएंगे लेकिन बीएस-6 मानक वाले मॉडल पेश होने के बाद उनके उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी होगी।

देश के रीयल एस्टेट क्षेत्र के सौ अमीरों की सूची में लोढ़ा शीर्ष पर

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

देश के रीयल एस्टेट क्षेत्र के सबसे अमीर उद्यमियों की सूची में लोढ़ा डेवलपर्स के एमपी लोढ़ा और उनके परिवार का नाम सबसे ऊपर है। उनकी कुल संपत्ति 31,960 करोड़ रुपए अ ंकी गई है। डीएलएफ के राजीव सिंह दूसरे और एम्बैसी ग्रुप के जितेंद्र विरवानी तीसरे स्थान पर हैं।

हुरुन रिपोर्ट और ग्रोही इंडिया ने सोमवार को 'ग्रोही हुरुन इंडिया रीयल एस्टेट रिच लिस्ट 2019' रिपोर्ट में रीयल एस्टेट क्षेत्र के सौ सबसे अमीर उद्यमियों की जानकारी है। सूची के मुताबिक 31,960 करोड़ की संपत्ति के साथ मंगल प्रभात लोढ़ा और मैक्रोटेक डेवलपर्स का परिवार (पुराना नाम लोढ़ा डेवलपर्स) सूची में पहले स्थान पर है। लगातार दूसरे साल लोढ़ा परिवार इस सूची में शीर्ष पर है। एमपी लोढ़ा अभी भाजपा की मुंबई इकाई के प्रमुख हैं। लोढ़ा परिवार की संपत्ति 2019 में 18 फीसद बढ़ी है। डीएलएफ के राजीव सिंह 25,080 करोड़ की संपदा के साथ दूसरे स्थान पर हैं। 2019 में उनकी संपत्ति 42 फीसद बढ़ी। पिछले साल वह तीसरे स्थान पर थे। बंगलुरु की एम्बैसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स के जितेंद्र विरवानी 24,750 करोड़ की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

यह सूची इन उद्यमियों की 30 सितंबर, 2019 तक की संपत्ति आकलन के आधार पर बनाई गई है। हीरानंदानी कम्युनिटीज ग्रुप के निरंजन हीरानंदानी 17,030 करोड़ की संपत्ति के साथ चौथे, के रहेजा के चंद्रू रहेजा व परिवार 15,480 करोड़ के साथ पांचवें, ओबरॉय रीयल्टी के विकास ओबरॉय 13,910 करोड़ की संपत्ति के साथ छठे, बागमाने डेवलपर्स के राजा बागमाने 9,960 करोड़ की संपत्ति के साथ सातवें, हाउस आफ हीरानंदानी, सिंगापुर के सुरेंद्र हीरानंदानी 9,720 करोड़ की संपत्ति के साथ आठवें, मुंबई के रनवाल डेवलपर्स के सुभाष रनवाल और परिवार 7,100 करोड़ की संपत्ति के साथ नौवें और पीरामल रीयल्टी के अजय पीरामल व परिवार 6,560 करोड़ की संपत्ति के साथ दसवें स्थान पर हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रीयल एस्टेट क्षेत्र के दस सबसे अमीर उद्यमियों में छह मुंबई के जबकि सौ अमीरों में 37 मुंबई के हैं। इस सूची में दिल्ली और बंगलुरु के 19-19 उद्यमियों के नाम हैं। रीयल एस्टेट क्षेत्र के सबसे अमीर भारतीयों में 75 फीसद इन्हीं तीन शहरों से हैं। सूची में शामिल 59 फीसद व्यक्तिगत लोग पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं। सूची में आठ महिलाएं भी हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज की स्मिता वी कृष्णा सूची में शामिल सबसे अमीर महिला हैं। उनकी कुल संपत्ति 3,560 करोड़ रुपए है। सूची में शामिल लोगों की औसत आयु 56 साल है।

निवेश बढ़ाने के लिए की गई कॉरपोरेट कर में कटौती : सुब्रमण्यम

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा है कि कॉरपोरेट कर में हाल में की गई कटौती का मकसद निवेश को प्रोत्साहन देना है।

उन्होंने सोमवार को उद्योग मंडल फिक्की के सम्मेलन में कहा कि आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में निजी निवेश सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। हम जो भी कदम उठा रहे हैं, चाहे कॉरपोरेट कर की दर में कटौती हो या वेतन व औद्योगिक संबंध पर संहिता, इनका मकसद निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर छह साल के निचले स्तर 4.5 फीसद पर आ गई। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह सात फीसद के उच्च स्तर पर थी।

केंद्र सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के लिए सितंबर में कॉरपोरेट कर की दर को 30 से घटाकर 22 फीसद कर दिया था। इसके अलावा देश-विदेश से निवेश हासिल करने के लिए नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कर की दर को घटाकर 15 फीसद किया गया।

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking
क्षेत्रीय कार्यालय : मकान सं. 56, बुद्ध विहार भाग-ए, तारा मंडल, गोरखपुर-273016

कब्जा नोटिस [धारा 13(4)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा-54) के नियम 3 के साथ धारा 13(12) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के सामने उल्लिखित तिथि को बैंक द्वारा मांग सूचना जारी की गई थी तथा जिसके आगे यह कहा गया कि सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर बकाया चुकता कर दें।

क्र. सं.	ऋणी / बंधककर्ता जमानतकर्ता का नाम	बंधित सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि (रू0)	मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि
1.	ऋणीः- दिनेश सिंह प्रोप्रा. मेसर्स चाहत इण्टरप्राइजेज, ग्राम- बैदौली बाबू पोस्ट- बदौली बांसगांव जिला - गोरखपुर पिन 273403	सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्सों को मिलाकर भूमि व भवन कुल 0.137 हेक्टेयर आराजी सं 289 मौजा - बैदौली बाबू टप्पा - महसिन, परगना - उनवाल, तहसील - बांसगांव, जिला- गोरखपुर, पंजीकृत उप-जिला गोरखपुर एवं जिला गोरखपुर **चौहद्दीः उत्तरः** चक नाली, **दक्षिणः** सम्भू सिंह का खेत **पूर्वः** परमात्मा का खेत, **पश्चिमः** कैलाश का खेत	रू. 22,21,599.00 दि. 31.03.2017 से प्रभावी + उस पर ब्याज	13.06.2017 02.12.2019
2.	ऋणी- 1. श्री उमा शंकर पुत्र स्वर्गीय श्री रामनाथ, निवासी मौर्या आटा चक्की करीमनगर राप्तीनगर फेस-4, गोरखपुर। 2. श्रीमती इंदू पत्नी श्री उमा शंकर, निवासी मौर्या आटा चक्की करीमनगर राप्तीनगर फेस-4, गोरखपुर।	सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्सों को मिलाकर भूमि व भवन प्लॉट सं. सी 362 क्षेत्रफल 286 वर्ग मी. जीडीए कॉलोनी राप्तीनगर फेस - 4, तहसील सदर, जिला गोरखपुर, पंजीकृत उप-जिला गोरखपुर एवं जिला गोरखपुर. **चौहद्दीः उत्तरः** प्लॉट सं. सी 363, **दक्षिणः** सड़क, **पूर्वः** प्लॉट सं. 391, **पश्चिमः** सड़क	रू. 7,27,195.00 दि. 31.10.2017 से प्रभावी + उस पर ब्याज	09.11.2017 03.12.2019

ऋणी द्वारा राशि चुकता न करने पर एतद्द्वारा ऋणी और आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के नियम 8 व 9 के साथ पठित प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसमें उपरोक्त लिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया गया है।

उधारकर्ता को विशिष्ट रूप से व आम जनता को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा करने में सचेत रहें और इन सम्पत्तियों के बारे में किसी प्रकार का सौदा उपरोक्त लिखी राशि और ब्याज के लिए केनरा बैंक के प्रभारों के अधीन होगा।

ऋणी / जमानतदार अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान के अनुसार ध्यान दिलाते हैं कि दिए गए समय के अन्तर्गत भुगतान करके बन्धक आस्तियों को मुक्त करा लें।

दिनांकः 10.12.2019 स्थानः गोरखपुर प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
(GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
ERSTWHILE VIJAYA BANK - NOW BANK OF BARODA
143, मोहना रोड, बल्लभगढ़ शाखा, फरीदाबाद, जिला-121004
फोन नं.: 0129-2213957, 2241290

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के एक्ट नं. 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा, मोहना रोड, बल्लभगढ़ के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 7 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि के अतिरिक्त नीचे वर्णित खाताओं के समक्ष उल्लिखित ब्याज तथा अन्य खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा, मोहना रोड, बल्लभगढ़ के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋणधारक का नाम एवं खाता	अचल सम्पत्ति का विवरण	कब्जा सूचना की तिथि को बकाया राशि	मांग सूचना तिथि
ऋणधारक (कों) 1. मै. कैलाश एण्टर प्राईजेज, एच.नं. 20, गली नं. 1, रघुबीर कॉलोनी, बल्लभगढ़ 2. श्री राजीव कुमार, पुत्र श्री वेद प्रकाश मित्तल, एच.नं. 8, गली नं. 1, रघुवीर कॉलोनी-बल्लभगढ़ गारन्टर(रों) 1. श्री वेद प्रकाश मित्तल, पुत्र शिव चरण एच.नं. 44, डब्ल्यू नं. 9, बल्लभगढ़-121004 2. श्रीमती कैलाश मित्तल, पत्नी श्री वेद प्रकाश मित्तल एच.नं. 44, डब्ल्यू नं. 9, बल्लभगढ़-121004 3. श्रीमती सुषमा मित्तल, पत्नी श्री राजीव कुमार, एच.नं. 8, गली नं. 1, रघुवीर कॉलोनी, बल्लभगढ़-121004	कैलाश एण्टरप्राईजेज के स्वामित्व में बैंक के पास हाइपोथेकेटेड प्लान्ट एवं मशीनरी, स्टॉक्स तथा अन्य परिसम्पत्तियों से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा तथा वेद प्रकाश मित्तल के नाम में बल्लभगढ़ में एच.नं. 140/127, माप 150 वर्ग याईस की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः पश्चिमः गिरिराज कृष्ण का खाली प्लॉट, पूर्वः फैक्ट्री उर्वशी रबड़, दक्षिणः भवेश गर्ग का आवास, उत्तरः रोड	01.12.2019 से उस पर आगे के ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज के साथ 30.11.2019 को रु. 94,64,501.75 (रुपये चौड़ानवे लाख चौंसठ हजार पाँच सौ एक तथा पैसे पचहत्तर मात्र)	3.4.2018 कब्जा की तिथि 7.12.2019

तिथिः 10.12.2019, स्थानः बल्लभगढ़ प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

इण्डियन ओवरसीज बैंक
परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा
रचना बिल्डिंग, 4था तल, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली-110008
फोनः 011-25758124, ई-मेलः iob1997@iob.in

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिए) [नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 2.2.2019 जारी कर ऋणधारक मै. लेमन इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (पूर्व में फास्ट्रैक कम्युनिकेशन्स प्रा. लि.) जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-4, भू तल, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 में है, यहां के बाद 'ऋणधारक' वर्णित, द्वारा उसके निदेशकों/ गारन्टरों श्री कपिल चुग, निवासीः एच. नं. 355, सेक्टर 21 डी, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, श्री योगेश चुग, निवासीः 503, भूतल, ओमैक्स, ग्रीनविच-ए, सेक्टर-93 बी, नोएडा, उ.प्र. तथा निदेशक श्री अरविन्द कुमार, निवासी 4-बी, देवली गाँव, संगम विहार, खानपुर, नई दिल्ली-110062 तथा मॉर्टगैजर/ गारन्टरों श्रीमती प्रियंका चुग, एच. नं. 355, सेक्टर 21 डी, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, श्रीमती रचना सेठी, एम-79ए, एम ब्लॉक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 तथा मै. स्टारोरामा टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. जिसका पंजी. कार्यालय बी-4, भू तल, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 में है, को की सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 1.02.2019 को नगदी साख सुविधा की राशि रु. 31,15,36,486.24 (रुपए इकत्तीस करोड़ पन्द्रह लाख छत्तीस हजार चार सौ छियासी तथा पैसे चौबीस मात्र) के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

1) ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 4 दिसम्बर 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
2) विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद वसूली यदि कोई की गई हो, घटाकर मांग सूचना में उपरोक्त तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं स्वीकृत रेट्स पर उस पर आगे के ब्याज के साथ 01.02.2019 को रु. 31,15,36,486.24 तथा आगे के चार्जेज के लिये इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। दिनांक 30.11.2019 को बकाया राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे ब्याज, चार्जेज आदि के साथ रु. 35,72,76,171.24 (रुपए पैंतीस करोड़ बहत्तर लाख छियालिस हजार एक सौ इकहत्तर तथा पैसे चौबीस मात्र) है।
3) ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1	मै. स्टारोरामा टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. के स्वामित्व में प्लॉट नं. एस-7/2, सूरजपुर साईट-IV, ग्राम कासना, जिला गौतमबुध नगर, उ.प्र. में शॉप/ कार्यालय सं. एस-25 एवं एस-26, 2रा तल, ग्रेटर नोएडा, शॉपिंग प्लाजा, प्लिन्थ/ सुपर एरिया-274.442 वर्ग मी.। चौहद्दीः (गणना रिपोर्ट तिथि 30.11.2017 के अनुसार): उत्तरः बॉल्कॉनी, दक्षिणः कॉरीडोर, पूर्वः बॉल्कॉनी, पश्चिमः शॉप नं. एस 24.
2	श्रीमती प्रियंका चुग (पत्नी श्री कपिल चुग) के स्वामित्व में प्लॉट नं. 979, सेक्टर-15, अर्बण इस्टेट, फरीदाबाद-121007, हरियाणा में निर्मित आवासीय सम्पत्ति, एरिया 500 वर्ग यार्ड्स। चौहद्दीः (गणना रिपोर्ट तिथि 7.6.2016 के अनुसार): उत्तरः सम्पत्ति सं. 970, दक्षिणः रोड/ फिर पार्क, पूर्वः सम्पत्ति सं. 980, पश्चिमः सम्पत्ति सं. 978
3	श्रीमती रचना सेठी (पत्नी श्री अमरजीत सेठी) के स्वामित्व में एस.जी.एम. नगर, एन.आई.टी. फरीदाबाद, हरियाणा में निर्मित आवासीय सम्पत्ति सं. 1872, एरियाः 180 वर्ग याईस। चौहद्दी) (गणना रिपोर्ट तिथि 1.12.2017 के अनुसार): उत्तरः प्लॉट नं. 1871/ए, दक्षिणः प्लॉट नं. 1872/ए, पूर्वः गली नं. 23, पश्चिमः स्कूल

तिथिः 4.12.2019 (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः नई दिल्ली इंडियन ओवरसीज बैंक

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कॉरपोरेट कार्यालय
प्लॉट सं.5, सैक्टर-32, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001

ई-बोली आमंत्रित करने हेतु नोटिस

"पैच प्रबंधन समाधान हेतु बिगफिक्स लाइसेंस तथा सुविधा प्रबंधन सेवाओं के नवीकरण एवं खरीद" हेतु प्रतिष्ठित वेंडरों से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाती है। आरएफपी दस्तावेज के साथ विस्तृत नियम एवं शर्तें www.obcindia.co.in तथा https://www.tenderwizard.com/OBC वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

कृपया नोट करें कि सभी भविष्यगत आयतन यथा, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, बोली-पूर्व पूछताछ आदि www.obcindia.co.in तथा https://www.tenderwizard.com/OBC पर उपलब्ध रहेगा।

बोली दस्तावेज डाउनलोड शुरू होने की तिथि तथा समय : 10-12-2019, अपराह्न 01:00 बजे
बोली दस्तावेज डाउनलोड समाप्ति की तिथि तथा समय : 30-12-2019, अपराह्न 01:00 बजे

महाप्रबंधक(सू.प्रौ.)

कार्यालय-परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई-2
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
आफिस काम्पलेक्स, द्वितीय तल केशवपुरम् कल्याणपुर कानपुर
E-mail : unitftp125@gmail.com

पत्रांक : 1219/M-10/70 दिनांक : 07.12.2019

ई-अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मो से ई-अल्पकालीन निविदा जनपद-हमीरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-गोहाण्ड में बाह्य विकास कार्य हेतु ई-अल्पकालीन निविदा जिसकी निर्माण लागत रू. 32.00 लाख है, दिनांक 20.12.2019 को आमंत्रित की जाती है। **नोट : उक्त ई-अल्पकालीन निविदा का विवरण परिषद की वेबसाइट www.upavp.com एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं।** परियोजना प्रबन्धक

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN: L74899DL1970GOI005276 GST NO. 07AAACH0632A1ZF
पंजीकृत कार्यालयः हडको भवन, कोर 7ए, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003. टेली.: 011-24648420, 011-24648195
वेबसाईटः www.hudco.org

निविदा सूचना

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको), निम्नानुसार निविदा आमंत्रित करता है:
कार्य का विवरण : आई.टी. सिस्टम्स (एप्लीकेशन्स) की सिक्युरिटी ऑडिट
वेबसाइट : www.hudco.org, https://eprocure.gov.in
इस संबंध में सभी आगे की जानकारी केवल हडको वेबसाइट पर ही प्रकाशित की जाएगी।

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the Certificate for the under mentioned Equity Shares of the Servotech Power Systems Limited have been misplaced and the holder of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Share Certificate.

Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge the same with the Company at its Registered Office within 21 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) to the aforesaid applicants without any further intimation.

Folio No.	Name of Shareholder	No of Shares	Distinctive Nos. From	To	Certificate No.
68	Parmeet Singh Sood	32258	13062632	13094889	134

Dated: 09.12.2019 Sd/- Parmeet Singh Sood

Office of the Chief Engineer
Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board

Abbreviated Tender Notice
(e-Tender ID: 2019_SMVDSB_)

For on behalf of Chairman, SMVDSB, Fresh e-Tender is invited for the work "Construction of Durga Bhawan Building G+4 Storeys R.C.C. Framed Structure with Pile Foundations and Open Foundations" from Eligible Bidders. The Bid Document can be down-loaded from **http://jktenders.gov.in** w.e.f. 10.12.2019. Last Date of Uploading Bids is 30.12.2019. All other information can be seen in NIT/Bid Document.

No.: MVE/19/2437 Sd/- Executive Engineer,
Dated: 06.12.2019 SMVDSB

अनुसूची-II
प्रपत्र - 'बी'
सार्वजनिक घोषणा
[दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 का विनियम 12]
कश्यप मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

1	कार्पोरेट देनदार का नाम	कश्यप मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	03-02-1997
3	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज - दिल्ली
4	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U99999DL1997PTC084864
5	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय : 20, इंडस्ट्रियल एस्टेट, ओखला, नई दिल्ली-110020
6	दिवालिया समाधान प्रक्रिया की समापन तिथि	30-11-2019
7	कार्पोरेट देनदार के परिसमापन की आरम्भ तिथि	04-12-2019 (आदेश 08-12-2019 को अपलोड किया गया)
8	परिसमापक के रूप में कार्यरत इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	जतिन मदान रजिस्ट्रेशन नंबर IBBI/IPA-001/IP-P00222/2017-18/10421
9	परिसमापक का पता और ई-मेल जोकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	25, डीडीए एलएससी, ब्लॉक एम 1, विकासपुरी नई दिल्ली-110018 ई-मेल cajatinmadan@yahoo.com
10	परिसमापक के साथ पत्रव्यवहार के लिए प्रयोग हेतु पता और ई-मेल	25, डीडीए एलएससी, ब्लॉक एम 1, विकासपुरी नई दिल्ली-110018 ई-मेल kashyapirp@gmail.com
11	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	03-01-2020

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने दिनांक 04-12-2019 को मैसर्स कश्यप मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का परिसमापन आरंभ करने का आदेश दिया है।
कश्यप मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों से एतद्द्वारा अपने दावे मय प्रमाण 03-01-2020 को अथवा पूर्व परिसमापक के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी हितधारक अपने दावों का प्रमाण दस्ती, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।
परिसमापक का नाम और हस्ताक्षर : जतिन मदान
तिथि और स्थान : 09-12-2019, नई दिल्ली

कार्यालय नगर निगम, कोटा
क्रमांकः- ननिको/निर्माण/2019/5583-91 दिनांकः 9-12-19
निविदा सूचना संख्याः 25/2019-20 नगर निगम कोटा द्वारा विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों के "A", "AA" श्रेणी एवं नगर निगम कोटा में पंजीकृत संवेदकों के लिए ऑन लाईन निविदायें आमन्त्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित लागत, टेन्डर बेचे जाने, प्राप्त करने की तिथि व निविदा की शर्ते इत्यादि नगर निगम की वेबसाईट **www.kotamc.org, www.kotamunicipal.org, http://sppp.raj.nic.in, http://eproc.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है। **हस्ता./- अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम कोटा**

निविदा सूचना

केन्द्रीय विद्यालय न.-1 फरीदाबाद, इच्छुक एवं अनुभवी कंपनियों से सुरक्षा गार्ड, साफ सफाई व माली के कार्य हेतु अस्थाई कर्मचारियों के अनुबंध हेतु मुहरबंद निविदाएं आमन्त्रित करता है। इच्छुक फर्म 500 रूपये का भुगतान करके निविदा प्रपत्र के.वी. न.-1 फरीदाबाद के कार्यालय से सभी दिवसों पर विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद सुबह 11.00 से दोपहर 01:00 बजे तक 14 दिनों के अंदर प्राप्त कर सकते हैं।

प्राचार्य

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

ई-निविदा सूचना

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से "सूरत एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग के विस्तार के पर्यवेक्षण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (PMC)" कार्य हेतु **मद दर ई-निविदा** आमंत्रित की जाती है। जिसकी बिड संख्या **2019_AAI_37536_1** एवं अनुमानित लागत **रुपयें 2,37,30,000.00** है और कार्य पूर्ण की अवधि **बीस (20) माह और ओ एंड एम (O&M) अवधि चौबीस (24) माह** है। ई-निविदा बिक्री और जमा की अंतिम तिथि **23/12/2019** है। अगर कोई स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र की जरूरत हुई तो भाविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।

अधिक जानकारी के लिए कृपया लॉग ऑन करें **https://etenders.gov.in** एवं **www.aai.aero** देखें।

प्रपत्र सं. आइएनसी-26
कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में,
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली इंडिया
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
जेमटेक पॉवर कंट्रोल प्राईवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 1584/4, फर्स्ट फ्लोर, एम.जे बिल्डिंग भागीरथ प्लेस दिल्ली-110006 में स्थित है
.......याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 25 नवम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
जेमटेक पॉवर कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि : 09/12/2019 संजय कुमार
स्थान : दिल्ली (निदेशक)
डीआईएन : 05178250
पता : हाउस नं. 53, सेक्टर-14 एस्कोर्टसनगर, फरीदाबाद हरियाणा-121007

एम एम टी सी लिमिटेड **MMTC LIMITED**
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value
कोर-1, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड नई दिल्ली-110003, (भारत)
सिन नं.: L51909DL1963GOI004033
फोन नं: +91 11-24381343, 24381483

ई-निविदा सं. MMTC/CO/COMP/SSLVPN/1130/20 दिनांक 09.12.2019

एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली में 80 आर एस ए टोकन और 80 अतिरिक्त उपयोगकर्ता लाइसेंस खरीदने के लिए ई-टेंडर आमंत्रित करता है।

बोली जमा करने की अंतिम तिथि 7.1.2020 (मंगलवार) समय 1200 बजे आई एस टी

कृपया निविदा विवरण के लिए
https://mmtclimited.com
https://mmtc.abcprocure.com एवं
https://eprocure.gov.in देखें
नोटः आगे के शुद्धिपत्र/परिशिष्ट EOI से संबंधित होगा तो उपरोक्त वेबसाइट पर ही प्रकाशित किए जाएंगे।

प्रपत्र सं. आईएनसी-19
सूचना
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 22 के अनुपालन में]

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 की उप-धारा (4) के क्लॉज (ii) के अनुपालन में मै. किलकारी फाउण्डेशन द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 की उप-धारा (5) के अंतर्गत मै. किलकारी फाउण्डेशन को जारी की गई लाइसैन्स के निरसन के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली एवं हरियाणा के रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन दिया गया है जिसके बाद कम्पनी को फाउण्डेशन की जगह अपने नाम में "प्राईवेट लिमिटेड" शब्द को जोड़ना होगा।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 की उप-धारा (4) के क्लॉज (ii) के प्रावधानों के अनुसार लाइसैन्स के निरसन के बाद मुख्य उद्देश्य इस प्रकार होंगेः उसके सभी विधाओं तथा रूप में सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेअर विकास के क्षेत्र में कंसल्टैन्सी का व्यवसाय करना तथा सॉफ्टवेअर के विकास, प्रचालन, डैटा कम्युनिकेशन, आईटी में भर्ती तथा विपणन से जुड़ी अथवा संबंधित सभी प्रकार का क्रियाकलाप तथा अन्य संबंधित सेवाओं का निष्पादन करना।
3. प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट एमओए तथा एओए की एक प्रति एस-14, दूसरा तल, मालिक प्लाजा, प्लॉट नं. 5, सेक-4, द्वारका, नई दिल्ली दक्षिण पश्चिम दिल्ली डीएल 110078 में देखी जा सकती है।
4. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस आवेदन के प्रति किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, निगम या कॉर्पोरेट निकाय को कोई आपत्ति हो, वे कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा, 4था तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, न.दि.-19 को एक पत्र द्वारा संबोधित अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर दिल्ली में कम्पनी रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराऐं तथा उसकी एक प्रति एस-14, दूसरा तल, मालिक प्लाजा, प्लॉट नं. 5, सेक-4, द्वारका, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, डीएल-110078 में आवेदक को अग्रसारित करें।

आवेदक
किलकारी फाउण्डेशन
हस्ता./-
(अमिता गोयल)
निदेशक
DIN: 06926891

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले में
और
रमिको सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U51909DL2019PTC344042)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 712, ग्राउंड फ्लोर, पॉकेट-3, टाईप-ए एलआईजी एक्सपेंडेबल फ्लैट्स, सेक्टर-19, द्वारका, दिल्ली-110078 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, जो विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 07 अक्टूबर, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति शपथनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विरोध के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज कर या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय 712, ग्राउंड फ्लोर, पॉकेट-3, टाईप-ए एलआईजी एक्सपेंडेबल फ्लैट्स, सेक्टर-19, द्वारका, दिल्ली-110078 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **रमिको सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड**
दिनांकः 09 दिसम्बर 2019 अनुराग मिश्रा (निदेशक)
स्थानः नई दिल्ली डीआईएनः 08324920

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले में
और
नोलिमिट सिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74999DL2018FTC340399)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 736/7, ग्राउंड फ्लोर, डी-2, गोविंदपुरी कालका जी, दिल्ली-110019 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, जो विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 11 जुलाई, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विरोध के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय 736/7, ग्राउंड फ्लोर, डी-2, गोविंदपुरी कालका जी, दिल्ली-110019 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **नोलिमिट सिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**
गौरव कुमार गुप्ता (निदेशक)
दिनांकः 09 दिसम्बर 2019
स्थानः दिल्ली डीआईएनः 08379645

www.readwhere.com

हिंद महासागर क्षेत्र में गश्त करेंगी भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाएं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाएं दक्षिणी हिंद महासागर में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से मछली पकड़ने पर अंकुश लगाने समेत अपने सामरिक हितों की रक्षा करने के लिए वहां संयुक्त गश्त शुरू करेंगी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, दोनों नौसेनाएं इस क्षेत्र में संचालन में बेहतर तालमेल के वास्ते गोपनीय सूचनाएं साझा करने के लिए अगले साल की शुरुआत में एक करार पर दस्तखत करेंगी।

फ्रांसीसी सेना के हिंद महासागर में तैनात सैन्यबल के संयुक्त कमांडर वाइस एडमिरल डिडियर मालेटेरे ने अलग से जारी एक बयान में इस क्षेत्र में चीन द्वारा अपना समुद्री प्रभाव फैलाने को लेकर चिंता जताई। फ्रांसीसी कमांडर के मुताबिक, 'हम अब दक्षिण हिंद महासागर में संयुक्त गश्त की तैयारी कर रहे हैं। भारत की पी8आइ समुद्री निगरानी विमान को तैनात करने की योजना है।' मालेटेरे ने कहा कि करीब पांच महीने पहले होर्मुज की खाड़ी के दक्षिण में दो टैंकरों पर हमले के बाद भारत ने इस समुद्री मार्ग की रक्षा के लिए वहां अपना एक युद्धपोत तैनात करने का निर्णय लिया था। इसी प्रकार, फ्रांसी सरकार उस क्षेत्र में एक जंगी जहाज स्थायी रूप से तैनात करेगा।

हिंद महासागर में होर्मुज की खाड़ी एक ऐसा अहम क्षेत्र हैं, जहां से दुनिया की तेल आपूर्ति का पांचवां हिस्सा गुजरता है। गोपनीय सूचनाएं साझा करने पर केंद्रित प्रस्तावित भारत-फ्रांस संधि के बारे में माना जा रहा है कि फ्रांस द्वारा किसी गैर नाटो देश के साथ ऐसा करार करना एक बिरला अवसर होगा। दोनों देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटीव के पीछे बड़ा सामरिक उद्देश्य मान रहे हैं। फ्रांसीसी कमांडर के मुताबिक, चीन अपनी इस महत्त्वाकांक्षी योजना के माध्यम से अपने आक्रामकत्ता को आवरण देने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा, 'चीन की अपना अड्डा बनाने की योजना है जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीलंका के हंबनटोटा, पाकिस्तान तथा जिबूती में है।' हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी पर उन्होंने कहा कि चीन समुद्री लूटपाट पर अंकुश लगाने के लिए विध्वसंक, परमाणु पनडुब्बियां और पारंपरिक पनडुब्बियां तैनात कर रहा है। इसके पीछे अलग महत्त्वाकांक्षा है और हमें वह पता है।'

अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण बढ़ाने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों को दिए गए आरक्षण को दस वर्ष बढ़ाने के प्रावधान वाला संविधान (126वां संशोधन) विधेयक, 2019 सोमवार को लोकसभा में पेश किया।

इससे पहले, विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि यह असंवैधानिक प्रवृत्ति का विधेयक है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है जो सभी को समानता का अधिकार देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधेयक के माध्यम से सदन में रातों-रात एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व समाप्त किया जा रहा है, जो ठीक नहीं होगा। 70 साल से इस समुदाय के दो सदस्य सदन में प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं।

इस पर कानून मंत्री प्रसाद ने कहा कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के सदन में आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाया जा रहा है, जो समाप्त होने जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो-इंडियान समुदाय को पिछले 70 वर्ष से मिल रहा आरक्षण 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रहा है।

उन्नाव बलात्कार-हत्याकांड में सात पुलिसकर्मी निलंबित

लखनऊ(उप्र), 9 दिसंबर (भाषा)।

उन्नाव जिले में बलात्कार पीड़िता को जलाकर मार डालने के मामले में संबंधित थानाध्यक्ष समेत सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

गृह विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि उन्नाव के बिहार थाना अध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी तथा छह अन्य पुलिसकर्मियों को उन्नाव मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में रविवार को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई गत गुरुवार को आग के हवाले की गई 23 वर्षीय बलात्कार पीड़िता का अंतिम संस्कार किए जाने के बाद देर रात की गई।

> उन्नाव के बिहार थाना अध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी तथा छह अन्य पुलिसकर्मियों को उन्नाव मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में रविवार को निलंबित कर दिया गया।

पीड़िता के साथ हुई घटना के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा था। अखिलेश और प्रियंका ने कहा था कि स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत के चार महीने बाद तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। बाद में अदालत के आदेश पर प्राथमिकी पंजीकृत की गई।

उन्नाव में बिहार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती को पांच लोगों ने गत गुरुवार को तड़के चार बजे आग के हवाले कर दिया था। करीब 90 फीसद तक झुलस चुकी उस लड़की ने शुक्रवार देर रात दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। लड़की ने आरोपियों में से दो पर पूर्व में बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता के परिजन का आरोप था कि पुलिस ने आरोपियों के साथ मिलीभगत कर परिवार का उत्पीड़न किया।

एनआरसी व कैब के कारण किसी को शरणार्थी नहीं बनने देंगे : ममता

खड़गपुर, 9 दिसंबर (भाषा)।

लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत किए गए नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को 'विभाजनकारी' बताया और 'किसी भी कीमत' पर विधेयक का विरोध करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी नागरिक को शरणार्थी नहीं बनने दिया जाएगा।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सत्ता में रहते हुए बंगाल में कभी एनआरसी और कैब की इजाजत नहीं दिए जाने का आश्वासन देते हुए बनर्जी ने इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पेश करने के बाद कहा था कि यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं बल्कि घुसपैठियों के खिलाफ है।

पाक ने पुंछ के इलाकों में गोले दागे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगे अग्रिम इलाकों में गोलीबारी और मोर्टार से गोले दाग कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने पुंछ के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा से लगे अग्रिम इलाकों में छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार से गोले दागे। अधिकारी ने बताया कि और अधिक ब्योरे की प्रतीक्षा है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक
INDIAN OVERSEAS BANK
शाखाः समलखा, पंचाल भवन, रेलवे रोड, समलखा, पानीपत,
फोनः 0180-2570092, 93, ईमेलः iob3620@iob.in

[देखें नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [देखें नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारक(कों) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टरों/मार्टगैजरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे के ब्याज, लागत आदि के अलावे यहां नीचे वर्णित राशि के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋणधारकों/गारन्टरों का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	कब्जा सूचना के अनुसार बकाया राशि	मांग सूचना तिथि
ऋणधारकः श्रीमती तारावती, पत्नी जोगिन्दर सिंह, निवासीः ग्राम-पट्टी कल्याणा, समलखा, पानीपत **गारन्टरः** श्री मोनू, पुत्र जोगिन्दर सिंह, निवासीः ग्राम-पट्टी, कल्याणा, समलखा, पानीपत	पंजीकरण उप-जिला समलखा तथा जिला-पानीपत के भीतर ग्राम पट्टी, कल्याणा, समलखा, पानीपत में स्थित खेवत नं. 133/1306, खतोनी नं. 1414, रेक्ट. नं. 115, किला नं. 1 (7-7) में शामिल भूमि माप 7 के-17 एम में 10/157 शेयर में स्थित भूमि तथा भवन 0 कनाल 10 मरला अर्थात 290 वर्ग यार्ड्स में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः गली, दक्षिणः अन्य स्वामी, पूर्वः विनोद का प्लॉट, पश्चिमः अन्य स्वामी	30.11.2019 को रु. 6,44,755.01 (रुपए छह लाख चौआलिस हजार सात सौ पचपन तथा पैसे एक मात्र) के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे के ब्याज तथा आगे के चार्जेज आदि।	23.4.2019 **कब्जा की तिथिः** 5.12.2019

तिथिः 10.12.2019, स्थानः पानीपत हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी; इंडियन ओवरसीज बैंक

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओ.ए. नं. 269/2018

यस बैंक लिमिटेड — आवेदक
बनाम
दुरहा वितरक प्रा.लि. एवं अन्य — प्रतिवादीगण

सेवा में,
1. दुरहा वितरक प्रा.लि.
प्लॉट नं. 2, 5वाँ तल, सेक्टर-11, गर्ग ट्रेड सेन्टर, अनुष्का माल, रोहिणी, दिल्ली-110085
2. अनंत सक्सेना,
दुरहा वितरक प्रा.लि. प्लॉट नं. 2, 5वाँ तल, सेक्टर-11, गर्ग ट्रेड सेन्टर, अनुष्का माल, रोहिणी, दिल्ली-110085
तथा साथ हीः 79, दीपाली पीतमपुरा, दिल्ली-110034

जैसा कि, ऊपर नामित आवेदक ने रु. 34,72,126/- (रुपये चौंतीस लाख बहत्तर हजार एक सौ छब्बीस मात्र) की वसूली के लिये आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 17.12.2019 को 10.30 पूर्वा. में विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 22 अक्टूबर, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
रजिस्ट्रार के लिये

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
रिकवरी विभाग, सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110025 फोनः 011-25744163, ईमेलः condelrd@pnb.co.in

शुद्धिपत्र **ई-नीलामी सूचना**

इस समाचार पत्र में 30.10.2019 को आम जनता के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना प्रकाशित की गई थी। सूचित किया जाता है कि मै. श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड की धाता में क्रम सं. 4 में श्रीमती साधना गोयल के नाम में शॉप नं. 631-ए जीएफ एवं 632, 1ला एवं 2रा तल तथा टैरस, खारी बावली, दिल्ली-06 में स्थित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति, माप लगभग 1047.60 वर्ग फीट की सम्पत्ति की ई-नीलामी जो 13.12.2019 को निर्धारित थी, को ई-नीलामी से वापस हटाने का फैसला किया गया है।

तिथिः 9.12.2019, स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

नीलामी विक्रय सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदारों/तथा जमानतियों को अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि बकायों की वसूली हेतु राठी सुपर स्टील लिमिटेड की निम्नलिखित कब्जाकृत चल आस्तियों की बिक्री ऋणशोधन अक्षमता तथा दिवालिया संहिता 2016 के प्रावधान के तहत नीलामी द्वारा की जायेगी।
इस प्रकार की बिक्री वारंटी तथा इंडेम्निटी के बिना होने के कारण चल आस्तियों ''जहाँ है, जैसे है; जो कुछ भी है वहीं है तथा आश्रय रहित आधार'' पर की जा रही है।

वाहनों का विरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	विवरण	निर्माण का वर्ष	आरक्षित मूल्य (रुपयों में)
1.	टाटा इण्डिका ईवी2	191912013	85500
2	मारुति स्विफ्ट डिजायर वीडीआई	131512010	153000
3.	मारुति स्विफ्ट डिजायर वीडीआई	12110/2011	189000
4.	मारुति स्विफ्ट डिजायर वीडीआई	21/2/2012	202500
5.	मारुति आल्टो एलएक्सआई (सीएनजी)	1115/2012	90000
6.	मारुति स्विफ्ट डिजायर वीडीआई	417/2012	202500
7.	मारुति आल्टो 800 एलएक्सआई (सीएनजी)	29/312013	121500
8.	मारुति स्विफ्ट डिजायर वीडीआई	141512013	279000
9.	मारुति स्विफ्ट डिजायर वीडीआई	141512013	279000
9.	मारुति ईको (सीएनजी)	281612013	112500
10.	मारुति वैगन-आर	1116/2014	193500
11.	होंडा एकॉर्ड	271512005	144000
12.	टोयोटा कोरोला	2/612005	90000
13.	होण्डा सिविक 1.8	1212/2007	162000
14.	टाटा इण्डिका ईवी2	30/312011	76500
15.	होण्डा सिविक	1011012006	135000
16.	मारुति वैगन आर एलएक्सआई (सीएनजी)	121112014	90000
17.	मारुति आल्टो 800 एलएक्सआई (सीएनजी)	1411112013	121500
18.	मारुति आल्टो 800 एलएक्सआई (सीएनजी)	1411112013	130500
19.	मर्सिडीज बेंज ई200	2/5/1998	45000
20.	हुण्डई वेरना	19110/2013	360000
21.	बजाज डिस्कवर 150	1112/2011	4500
22.	बजाज चेतक	1914/2001	1800
23.	बजाज चेतक	30/8/1998	1800
24.	एस्कॉर्ट जोश ट्रैक्टर एव ट्रॉली	2009	90000
26.	एस्कॉर्ट जोश ट्रैक्टर एवं ट्रॉली	2009	90000
27.	ट्रॉली	2009	6300
28.	मारुति स्विफ्ट एडीआई बीएस4	29105/2010	135000
	कुल		35,91,9001-

उपर्युक्त वाहन विक्रय हेतु हैं, इच्छुक पक्षकार 13 दिसम्बर, 2019 को 10.00 बजे प्रातः से 15.00 बजे अपराह्न के बीच ए1 इण्डस्ट्रियल एरिया, जीटी रोड के दक्षिण, निकट विजय नगर पुलिस चौकी, गाजियाबाद-201009 पर स्थित राठी सुपर स्टील की फैक्ट्री में इनका निरीक्षण कर सकते हैं और अपने कोटेशन जमा कर सकते हैं। किसी सूचना के लिए कृपया अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें :-
रीसर्जेण्ट इण्डिया लिमिटेड :
श्री जोगिन्दर सिंह
ई-मेल: cirp.rathisupersteel@gmail.com
मोबाइल (+91) 78400 00667

ह./- हरीश चन्द्र अरोड़ा
समाधान प्रोफेशनल
राठी सुपर स्टील लिमिटेड (सीआईआरपी में)

वसूली अधिकारी-I का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण-II, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
CANARA BANK VERSUS ... PVT. LTD.

आर.सी. स. 343/2017 दिनांकित : 20-11-2019

कर्नाटक बैंक बनाम मैसर्स दीपांशु हिमांशु एंटरप्राइजेज

मेरे आदेश दिनांकित 20-11-2019 के अनुसार उक्त वसूली प्रमाणपत्र में निम्नवर्णित सम्पत्ति दिनांक 31-12-2019 को सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी :-
नीलामी बिक्री वेबसाइट https://www.drt.auctiontiger.net के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" होगी।
नीलामी की तिथि एवं समय : 31-12-2019 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच (दोपहर 12.00 बजे के बाद 5 मिनट के विस्तारों सहित, यदि अपेक्षित है)।

सम्पत्ति का वर्णन
(i) संपत्ति सं. 1, 220 वर्ग गज में और कवर क्षेत्र 1340 वर्ग फुट, खसरा नं. 46/17, ग्राम समयपुर, में स्थित आबादी, जो समेपुर एक्सटेंशन, दिल्ली से जाना जाता है।
(ii) आरक्षित मूल्यः रु. 64,15,000/- (रुपए चौसठ लाख पंद्रह हजार मात्र)
(iii) धरोहर जमा राशि (ईएमडी): रु. 6,41,000/- (रुपए छह लाख इकतालीस हजार मात्र)

नियम और शर्त
1. नीलामी बिक्री वेबसाइट **पोर्टलः https://www.drt.auctiontiger.net** के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" होगी।
2. ईएमडी **"वसूली अधिकारी- I, डीआरटी- II, दिल्ली खाता आर/सी सं. 343/2017"** के पक्ष में **डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के माध्यम से** अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से निम्नलिखित खाता - **कर्नाटक बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, 8-बी, पहली मंजिल, राजेंद्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली, खाता नंबर 5443500200003701, आईएफएससी कोड KARB0000544** में जमा करनी होगी। उक्त डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर, अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का मूल प्रमाण, पहचान पत्र (निर्वाचन आई कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट), जिसमें आगे संचार/पत्रव्यवहार के लिए पता होना चाहिए, की स्व-सत्यापित प्रति तथा पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति के साथ **वसूली अधिकारी- I, डीआरटी- II, दिल्ली के कार्यालय में अधिकतम 30-12-2019 अपराह्न 5.00 बजे तक** पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी अथवा ईएमडी के भुगतान के मूल प्रमाण पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. ईएमडी अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का मूल प्रमाण सन्निहित लिफाफे पर **"आरसी सं. 343/2017"** तथा प्रेषक का विवरण अर्थात पता, ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर इत्यादि शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
4. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसी है जहां है आधार" और ''जैसा है आधार है''** पर की जा रही है।
5. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली देने तथा ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पोर्टल **https://www.drt.auctiontiger.net** अच्छी तरह पढ़ लें तथा/अथवा **सुश्री अरुणाचल पी, मुख्य प्रबंधक, मोब नं. 9319891680, दूरभाष नं. 011-25813466 ईमेल delhiarm@ktkbank.com से सम्पर्क करें।**
6. भावी बोलीदाताओं से पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना तथा **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ए-201/208, वॉल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, दूरभाष नंबर 079-40230808/807/831/832/833/813-820, ई-मेल - support@auctiontiger.net, संपर्क व्यक्ति श्री कुशाल कोठारी, संपर्क नं. 9978591888/8980690773, ईमेल kushal@auctiontiger.net, श्री नितेश झा, संपर्क नं. 7982880393, ई-मेल आईडीः delhi@auctiontiger.net और समर्थन लाइन नं. 079-40230833/41072508** से लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड पर्याप्त अग्रिम में प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, जो उपरोक्त ई-नीलामी में बोली लगाने के लिए अनिवार्य है।

(i)	संपत्ति सं. 1, 220 वर्ग गज में और कवर क्षेत्र 1340 वर्ग फुट, खसरा नं. 46/17, ग्राम समयपुर, में स्थित आबादी, जो समेपुर एक्सटेंशन, दिल्ली से जाना जाता है।	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

(शिव कुमार)
वसूली अधिकारी- I, डीआरटी- II, दिल्ली

PUBLIC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO SEBI CIRCULAR NO. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 DATED OCTOBER 10, 2016, FOR

LUNKAD ALUMINIUM LIMITED
Registered Office: 1st Floor, Lunkad Tower, 63 Jilla Peth, Jalgaon, India.
Phone: 0257 22252505 | Email: lunkadaluminium@gmail.com
CIN: U27203MH1994PLC083464

FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF LUNKAD ALUMINIUM LIMITED

This Public Announcement ("PA") is being issued by Mr. Surendra Kumar Lunkad, Promoter of **Lunkad Aluminium Limited ("LAL")**. LAL was listed on the Over The Counter Exchange of India which has now been non-operational/de-recognised by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). Consequently, LAL has been moved to the Dissemination Board of the Bombay Stock Exchange Limited (BSE), being the Designated Stock Exchange. LAL is engaged in the business of manufacturing of basic precious and non-ferrous metals.

The SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 dated 10th October, 2016 (SEBI Circular), has stipulated the procedure and process for exit of Exclusively Listed Companies (ELC) from the Dissemination Board. As provided in clause (i) of Annexure A of SEBI Circular, LAL has appointed Hem Securities Limited, a Category I Merchant Banker as Independent Professional from BSE's panel. It is informed that 100% Equity Shares of the Company are held by the promoters with effect from October 10, 2015 and none of the equity shares are held by the public shareholders. The Board of Directors vide their Board Resolution dated September 25, 2018 resolved that it shall exercise Exit Option Process.

Other Details:
(i) **Shareholding:** As on date of letter of intent given to BSE the paid up Equity Share Capital of LAL was ₹ 1,37,38,900/- represented by13,73,890 equity shares of ₹ 10/- each. All the Equity Shares are held by the promoters of the Company with effect from October 10, 2015.

In view of above, LAL has made an application to BSE, stating that the Company has complied with all the requirements for Removal of ELC having 100% Promoter Holding, and that the name of LAL be removed from the Dissemination Board of BSE. LAL undertakes to redress all the grievances of shareholders, if any.

For Lunkad Aluminium Limited
Sd/-
Promoter

Place: Jalgaon, Maharashtra
Date: 09.12.2019
Raka

COURT NOTICE
In The Court Sh. Sh. Devnoor Singh JMIC Ludhiana
CNR NO : PBLD03-077255-2018
PESHI : 16-01-2020
Publication notice for proclamation under section 82 CR.PC
Ajay Kumar Neb
V/s
M/s Ambala Industrial Fabricators & Eng
Complaint R/ w sec - 138 N.I. ACT
Notice To :1. M/s Ambala Industrial Fabricators & Engg, Plot No 244-245, Saha Ambala Through Its Prop.? Auth Signatory Shivom Malik 2. Shivom Malik Prop./ Auth Signatory M/s Ambala Industrial Fabricator & Eng., Plot No 244-245, Saha Ambala
Whereas it has been proved to the satisfaction Of the court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is herby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 16-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your Absence.
Given under my hand and the seal of the court, this 19-11-2019. For details login to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
In the court of sh. Sh. Devnoor singh JMIC ludhiana
CNR NO. PBLD03-000052-2019
PESHI : 18-01-2020
Publication notice for proclamation under section 82 CR.PC
M/s Garg International
V/s
M/s Fullwell Mattresses @ Fullwell
Notice To :1. M/s Fullwell Mattresses @ Fullwell C/o 385, HSIIDC, Saha, Ambala, Haryana Through its Prop. / Auth Signatory Namely Vikram Singh And Naresh Kumar Sharma
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 18-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.
Given under my hand and the seal of the court, this 23-11-2019. For details login to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
In the court of sh. Sh. Devnoor sing JMIC Ludhiana
CNR NO. PBLD03-073336-2018
PESHI : 20-01-2020
Publication notice for proclamation under section 82 CR.PC
AVON CYCLE LTD
V/S
M/S KRISHNA ENTERPRISES
Complaint R / w sec - 138 of N.I. ACT
Notice to : 1. M/s Krishna Enterprises, 34-a, Girjanagar, Near P.a.c. Line, Kanpur-208015 Uttar Pradesh, Through its Prop. Sh. Akhilesh Kumar Dixit 2. Akhilesh Kumar Dixit , Prop . M/s Krishna Enterprises, 34-a, Girjanagar, Near P.a.c. Line, Kanpur- 208015 Uttar Pradesh
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 20-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.
Given under my hand and the seal of the court, this 23-11-2019. For details login to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

इण्डियन ओवरसीज बैंक
परिसंपत्ति वसूली प्रबंध शाखा
रचना बिल्डिंग, 4था तल, 2, राजेन्द्रा प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली-110008
फोनः 011- 25758124, ईमेलः iob1997@iob.in

निजी संधि द्वारा बिक्री की सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 [नियम 6 एवं 8] के अंतर्गत जारी

1. मै. महाबीर मेडिवेज
बी-77, दयानंद कॉलोनी, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024
2. सुश्री मनीशा जैन, प्रॉप. मै. महावीर मेडिवेज
बी-77, दयानंद कॉलोनी, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024

महोदय,
एनपीए खाताः मै. महावीर मेडिवेज की आईओबी परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा में।
1. यह सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत आपके विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही के संदर्भ में है।
2. कृपया आपको जारी की गई मांग सूचना तिथि 4.6.2016 देखें जिसके अंतर्गत आपको पुनर्भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों पर आगे के ब्याज तथा उस पर चार्जेज आदि के साथ 30.5.2016 को देय रु. 38504832/- (रुपये तीन करोड़ पचासी लाख चार हजार आठ सौ बत्तीस मात्र)की बकाया राशि को जमा करने की मांग की गई थी।
3. साथ ही आप, कृपया वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में बैंक को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में प्रतिभूत परिसंपत्तियों की उगाही के उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने से संबंधित कब्जा सूचना तिथि 15.10.2016 तथा स्थानीय समाचार पत्रों (अंग्रेजी तथा हिन्दी) में उक्त कब्जा सूचना का प्रकाशन देखें। इस तिथि तक बैंक के प्रति अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करने के लिए आपने भुगतान नहीं किया है।
4. जैसा कि आपको पता हैं कि बैंक ने 14.11.2019 को नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्ति को ई-नीलामी के लिए प्रस्तुत किया था जो सफल नहीं हो सका।
5. बैंक को नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्ति की खरीदने के लिए **रु. 79,40,000/-** का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,अतएव निजी संधि से बिक्री द्वारा नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री करने का प्रस्ताव किया गया है।
6. बिक्री की पूर्णता की अनुमानित तिथि 12.12.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. में है।
7. एतद्द्वारा हम, आपको 15 दिनों की सूचना देते हैं कि ऊपर वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निजी संधि द्वारा नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री की जाएगी।
8. पुनः आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
9. अतएव, आप सूचित हों लें कि निजी बिक्री की तिथि अर्थात 12.12.2019 जब बिक्री पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है, तक आपको भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं स्वीकृत रेस्ट्स पर आगे के ब्याज के साथ लागतों/चार्जेज आदि के साथ सम्पूर्ण बकाए जो 12.12.2019 को रु. 67292323.00 (रुपये छः करोड़ बहत्तर लाख बानवे हजार तीन सौ तैईस मात्र) देय है, का भुगतान करने तथा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने का अधिकार प्राप्त है।

टिप्पणीः यदि किसी पार्टी को कोई आपत्ति हो तो निजी संधि के प्रकाशन की सूचना के 7 दिनों के भीतर लिखित में बैंक को उसकी सूचना दें।

अचल सम्पत्तियों का विवरण
प्रथम तल, बी-77, दयानंद कॉलोनी, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024 में सम्पत्ति के भीतर पड़ी इन्वेन्टरी।

तिथिः 10.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः नई दिल्ली इंडियन ओवरसीज बैंक

ORACLE CREDIT LIMITED
Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016
CIN: L65910DL1991PLC043281
E-mail: oracle_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in
Website: www.oraclecredit.co.in Phone: 011- 26167775

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and half year Ended September 30, 2019
(Rs. In lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2019 (Unaudited)	Half year ended 30.09.2019 (unaudited)	Quarter ended 30.09.2018 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	6.71	13.56	6.65
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3.79	8.03	3.85
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.79	8.03	3.85
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	3.05	6.19	2.85
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3.05	6.19	2.85
6.	Equity Share Capital	555.00	555.00	555.00
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing and discontinued operations)			
	1. Basic	Rs.0.055	Rs.0.112	Rs.0.051
	2. Diluted	Rs.0.055	Rs.0.112	Rs.0.051

Notes: 1. The above is an extract of detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and Company's Website www.oraclecredit.co.in
2. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective Meeting(s) held on December 9, 2019.
3. The Company has adopted the Indian Accounting Standard ("Ind AS") as notified under section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 from April 1, 2019. The above Financial results have been prepared in accordance with principles as laid down in Ind AS-34 - Interim Financial Reporting.

By the Order of the Board
For Oracle Credit Limited
Sd/-
Ashok Kumar Jain,
Managing Director
DIN-00091646

Place: New Delhi
Date: 09.12.2019

JMT AUTO LIMITED
AMTEK
An AMTEK Group Company
CIN-L42274DL1997PLC270939
Regd. Office: 3- LS C Pamposh Enclave, Guru Nanak Mrkt,Opp L.S.C Market, New Delhi-110048,Phone: 0657-6626340
E-mail: jmt.auto@amtek.com, Website: www.jmtauto.com

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/HALF-YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019

STANDALONE (Rs. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2019 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2018 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2018 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
1	Total income from operations	3,991.33	6,900.38	10,087.68	10,891.71	19,751.41	36,005.10
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(1,579.85)	(403.95)	260.38	(1,983.80)	342.50	(440.47)
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(1,573.35)	(453.74)	260.38	(2,027.08)	342.50	(109.80)
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(1,491.77)	(122.51)	170.05	(1,614.28)	223.93	(247.20)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	(1,491.77)	(122.51)	170.05	(1,614.28)	223.93	(310.66)
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	5,038.32	5,038.32	5,038.32	5,038.32	5,038.32	5,038.32
7	Earning per share of Rs.1/- each-not annualised) (for continuing and discontinuing operations):						
	-Basic	(0.30)	(0.02)	0.03	(0.32)	0.04	(0.06)
	-Diluted	(0.30)	(0.02)	0.03	(0.32)	0.04	(0.06)

CONSOLIDATED

Sl No	Particulars	Quarter Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2019 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2018 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2018 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
1	Total Income from operations	8,793.25	12,155.70	19,086.95	20,948.95	31,222.66	57,759.21
2	Net profit/(loss) for the period (before tax exceptional and/or extraordinary items)	(2,112.89)	(394.81)	508.47	(2,507.70)	113.66	(2,201.66)
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(2,052.16)	(449.20)	564.84	(2,501.36)	115.64	(1,866.99)
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(1,933.56)	(80.79)	174.19	(2,014.35)	93.40	(1,750.77)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	(1,948.48)	(16.08)	780.80	2,029.27	764.72	(1,313.83)
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	5,038.32	5,038.32	5,038.32	5,038.32	5,038.32	5,038.32
7	Earning per share of Rs. 1/- each - not annualised) (for continuing and discontinuing operations):						
	-Basic	(0.39)	-	0.15	(0.40)	0.15	(0.26)
	-Diluted	(0.39)	-	0.15	(0.40)	0.15	(0.26)

Notes :
The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th September, 2019 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015.The full fomat of the aforesaid Quarterly Financial Results are available on the website of the Company - www.jmtauto.com

For **JMT AUTO LTD**
Sanjay Tiku
WT Director
DIN-300566

Date: 18th November, 2019
Place: New Delhi

www.readwhere.com

21 शहरों में जलसंकट जैसी कोई बात नहीं : केंद्र सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि 21 शहरों में पानी की उपलब्धता भूमिगत जल स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों पर आधारित होने के कारण जलसंकट को लेकर चिंता की बात नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इन शहरों में 2020 तक भूजल खत्म होने की आशंका जताई गई है।

जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को राज्यसभा में पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि नीति आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में 2020 तक जिन शहरों में भूजल समाप्त होने के खतरे की आशंका जताई गई है उनमें दिल्ली, गुरुग्राम, गांधीनगर, यमुनानगर, बंगलुरु, इंदौर, रतलाम, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, मोहाली, पटियाला, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर चेन्नई, वेल्लोर, हैदराबाद, आगरा और गाजियाबाद हैं।

शेखावत ने बताया कि इन 21 शहरों में से 15 शहर ऐसे हैं जिनमें पानी की उपलब्धता भूजल और बांध या नदी आदि सतही जलस्रोत पर निर्भर है। सूची में दोहरे जलस्रोत पर पानी की निर्भरता वाले 15 शहरों के अलावा शेष छह में से पांच शहर ऐसे हैं जिनमें पानी की निर्भरता दोहरे जलस्रोत पर आधारित नहीं है। इन छह शहरों में से पांच शहर पंजाब के है जिनमें नहरों का व्यवस्थित तंत्र मौजूद है। इसलिए इन शहरों में जलसंकट को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि देश के 256 जिलों के 1500 ब्लॉक को जलस्रोतों के जरूरत से ज्यादा दोहन या अन्य कारणों से जलसंकट के लिहाज से गंभीर श्रेणी में रखा गया है। शेखावत ने कहा कि इन जिलों में भूजल को बढ़ाने करने के लिए जलशक्ति अभियान शुरू किया गया है।

अगले शैक्षिक सत्र से सैनिक स्कूलों में हो सकेंगे बालिकाओं के दाखिले

केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को भी शिक्षा सुविधा दिए जाने संबंधी प्रायोगिक परियोजना पूरी होने के बाद पांच सैनिक स्कूलों में अगले शैक्षिक सत्र 2020-21 से बालिकाओं के दाखिले को मंजूरी दे दी है। इसके बाद देश के सभी सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के दाखिले हो सकेंगे। रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद यशो नायक ने सोमवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि सरकार ने देश के सभी 31 सैनिक स्कूलों में बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए समयबद्ध कार्ययोजना लागू की जाएगी। सरकार ने इन स्कूलों में बालिकाओं के दाखिले को मंजूरी देने का फैसला किया है।

लोकसभा ने आयुध संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

लोकसभा ने सोमवार को आयुध संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। इसमें नए अपराधों को परिभाषित करने और अवैध हथियारों के निर्माण, विक्रय, आयात-निर्यात से जुड़े अपराधों में दंड में वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, '1959 के अधिनियम में कई विसंगतियां थीं और इस विधेयक के माध्यम से उनको दूर किया जा रहा है। इसमें विसंगतियों को खत्म किया जा रहा है और खिलाड़ियों को रियायतें दी जा रही हैं।' उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए हथियारों में कोई कटौती नहीं की गई है। पूर्व सैनिकों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है क्योंकि वे जिम्मेदार नागरिक हैं। पहले के कानून में अवैध हथियार रखने और बनाने वालों दोनों के लिए समान सजा का प्रावधान था और छोटे और बड़े हथियारों को लेकर भेद नहीं किया गया था।

शाह ने कहा कि गैरकानूनी हथियारों को बेचने और तस्करी करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है पुलिस से शस्त्र छीनने वाले और चुराने वालों के लिये भी सख्त कानून का प्रावधान किया गया है। प्रतिबंधित गोला-बारूद रखने वालों को सात से 14 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों, शादी विवाह के मौकों पर फायरिंग करने वालों को अब जेल जाना पड़ेगा। साल 2016 में 169 लोगों की ऐसी हर्ष फायरिंग की घटनाओं में जान गई थी। शस्त्र व गोला बारूद का विषय प्रारंभ से ही संघ सूची में है। इसके तहत राज्य अपनी सीमा में लाइसेंस जारी कर सकते हैं।

मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कुछ सदस्यों की ओर से पेश संशोधनों को अस्वीकार करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। कांग्रेस की परनीत कौर ने कहा कि अवैध हथियारों पर रोक लगाने और जरूरतमंद लोगों को हथियारों के लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था हो। एक लाइसेंस पर तीन हथियार रखने की व्यवस्था को बरकरार रखा जाए। द्रमुक के ए. राजा ने कहा कि अवैध हथियारों पर रोक लगाने के साथ ही सुरक्षाबलों के हथियारों का तय सीमा से अधिक उपयोग करने पर रोक लगाई जाए। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लाइसेंस जारी करने के क्या मापदंड होंगे और लाइसेंस किनको मिलना चाहिए। शिवसेना के अरविंद सावंत ने कहा कि विधेयक का कारण व उद्देश्य ठीक है लेकिन देखना चाहिए कि इसमें राज्यों के अधिकारों को तो नहीं छीना जा रहा।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

शाखाः सेक्टर-63, नोएडा; सर्किल कार्यालय : नोएडा (उ.प्र.)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति/चल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन (प्रतिभूति) हित अधिनियम, 2002 के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(4) एवं 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधिकृत प्राधिकारी ने कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए नीचे तालिका में उल्लिखित तिथियों पर माँग सूचना निर्गत की थी।

ऋणकर्ताओं तथा जमानतियों द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ताओं तथा जमानतियों एवं जनसामान्य को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ताओं तथा जमानती को एवं जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन राशियों तथा उस पर ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक के अभियोग का विषय होगा।

ऋणकर्ता/जमानती के नाम	प्रतिभूत आस्ति(यों) का विवरण	भावी ब्याज तथा अतिरिक्त प्रभार सहित बकाया राशि	माँग सूचना की तिथि/भौतिक कब्जा करने की तिथि
श्री मिकांशु जौलानिया तथा श्रीमती निशा जौलानिया (खाता सं. : 666200NC00010020), (खाता सं. : 666200NC00010206), (खाता सं. : 666200NC00010385) तथा (खाता सं. : 790009900000047)	आवासीय फ्लैट सं. वी-03, भूतल, एल्डेको ग्रीन्स मीडोज, पॉकेट सी, सेक्टर पीआई, ग्रेटर नोएडा	06.07.2017 तक भावी ब्याज एवं पूर्ण भुगतान तक लागत सहित रु. 86,21,119.02	14.08.2017/ 06.12.2019

तिथिः 07.12.2019
स्थानः ग्रेटर नोएडा

अधिकृत प्राधिकारी

अस्वस्थ पंकजा भाजपा की क्षेत्रीय बैठक में अनुपस्थित रहीं

औरंगाबाद, 9 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र भाजपा की नेता पंकजा मुंडे सोमवार को औरंगाबाद में पार्टी की क्षेत्रीय बैठक के दौरान अनुपस्थित रहीं। बताया जाता है कि 21 अक्तूबर को हुए विधानसभा चुनावों में हार के बाद से ही वह नाराज चल रही हैं।राज्य भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने कहा कि वह स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थीं, जिस कारण पूर्व अनुमति से वह अनुपस्थित रहीं। पाटील ने संवाददाताओं से कहा, 'बैठक के लिए औरंगाबाद आने से पहले मैंने पंकजा मुंडे से बात की थी। वह बीमार हैं। बहरहाल, 12 दिसंबर की रैली के लिए तैयारियां चल रही हैं। पूर्व अनुमति से वह अनुपस्थित रहीं।' भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वह दो दिनों बाद पंकजा के परली स्थित गृह नगर में उनसे मुलाकात करेंगे।

हरियाणा के 15 आइएएस पर लोकायुक्त का शिकंजा, एसआइटी करेगी जांच

चंडीगढ़, 9 दिसंबर (जनसत्ता)।

हरियाणा के एक दर्जन से अधिक आइएएस व अन्य विभागीय अधिकारी लोकायुक्त के निशाने पर हैं। गुरुग्राम की निजी आवासीय कालोनी को लाइसेंस दिए जाने के मामले में लोकायुक्त ने साल 1991 से लेकर अब तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में रहे निदेशकों समेत कई अधिकारियों के विरुद्ध एसआइटी बनाकर जांच करवाने के आदेश दिए हैं।

आरोप है कि बिल्डर ने अधिकारियों की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया है। लोकायुक्त ने हरियाणा सरकार को एक जज के नेतृत्व में एसआइटी बनाने का आदेश दिया है। लोकायुक्त के निशाने पर जो अधिकारी आए हैं, उनमें 15 आइएएस के अलावा चीफ टाउन प्लानर, सीनियर टाउन प्लानर और डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर हैं। साल 2011 में मालिबू टाउन निवासी रमन शर्मा ने लोकायुक्त में याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया था कि बिल्डर और अधिकारियों की मिलीभगत से 204 एकड़ की इस कॉलोनी के रेजिडेंट्स बेहद परेशान हैं। शिकायत करने पर अधिकारियों की तरफ से बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इस मिलीभगत से हरियाणा सरकार को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है।

करीब 204 एकड़ की इस कालोनी की अभी तक पर्यावरण मंजूरी नहीं ली गई है। ग्रीन बेल्ट में बीएसएनएल एक्सचेंज और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्लॉट वाली इस कॉलोनी में बिल्डर ने प्लॉट्स को फ्लोर के आधार पर बेच दिया। शिकायत पर पॉलिसी बनी। इसके मुताबिक बिल्डर को 1000 रुपए प्रति वर्ग फुट फीस जमा करवानी थी, जो भी जमा नहीं हुई। किसी अधिकारी ने इस रिकवरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। आरोप के मुताबिक बिल्डर ने इस कालोनी में बिना पानी और सीवर कनेक्शन के साल 1999 में बायर्स को कब्जा देना शुरू कर दिया था। आरोप लगाया कि बिल्डर ने ज्यादातर सामुदायिक इमारतों को बेच डाला है। सामुदायिक केंद्र नहीं बनाए गए हैं।

नियमानुसार 45 फीसद ओपन स्पेस नहीं है। जमीन की हेराफेरी भी हुई है। बिजली सब स्टेशन नहीं बना है। शर्मा ने इस मामले को जांच इंफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट को सौंपने का आग्रह किया है। साल 1991 से लेकर अब तक टीसीपी डिपार्टमेंट के निदेशक 15 आइएएस रहे हैं। अब लोकायुक्त की सिफारिश पर कार्रवाई के लिए गेंद हरियाणा सरकार के पाले में है।

कार्पोरेशन बैंक

आंचलिक कार्यालय, आर.पी.जी. टॉवर, 495/1, मगंल पाडें नगर, मेरठ-250001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [Rule - 8(1)]

यद्यपि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नसंरचना तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 के अन्तर्गत तथा प्रतिभूति ब्याज (प्रभावीकरण) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (02) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कार्पोरेशन बैंक** अधोहस्ताक्षरी ने विभिन्न बकायेदार ऋणियों एवं गारन्टरों को नोटिस मे वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणियों एवं गारन्टरों के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतदद्वारा आम जनता को एवं ऋणी व गारन्टरों को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्तियां का अधिपत्य उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं नियमों के उपनियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया है। एतदद्वारा ऋणियों/गारन्टरों को विशेषतः और जन साधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया है अतः इस सम्बन्ध मे किसी प्रकार का कोई सौदा/व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा/व्यवहार **कार्पोरेशन बैंक** की देय राशि व सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है के अध्याधीन होगा।

शाखा का नाम	ऋणी और जमानती के नाम	कब्जा नोटिस की तारीख	मांग नोटिस की तारीख	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि
सहारनपुर	ऋणकर्ता -1. श्रीमती रचना रानी पत्नी श्री राज कुमार निवासी ग्राम नाथ रामपुर ब्लॉक सरसावा जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश पिन कोड- 247001 गारंटर: -2. श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री राज कुमार निवास ग्राम नाथ रामपुर ब्लॉक सरसावा जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश पिन कोड- 247001	04.12.2019	16.01.2018	रूपये 8,36,477.00 (रुपये आठ लाख छत्तीस हजार चार सौ सतहत्तर केवल) + ब्याज एवं अन्य खर्चे

बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण-शेड्यूल -ए जॉइंट फॉर्म खुला प्लॉट का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर खा. नं. 67 (0.020 हेक्ट) यानी 8 बिस्वा खाम स्थित ग्राम नाथ रामपुर ब्लॉक सरसावा जिला सहारनपुर सीमायें-पूर्व- श्री जोगेंद्र कुमार की संपत्ति, पश्चिम- श्री जोगेंद्र कुमार की संपत्ति, उत्तर- श्री विनोद कुमार की संपत्ति, दक्षिण-चक मार्ग।

दिनांक - 06.12.2019 स्थान- सहारनपुर प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेशन बैंक

फिर विवादों में घिरे पूर्व आइएएस सरो

चंडीगढ़, 9 दिसंबर (जनसत्ता)।

पानीपत के सेक्टर-11 में करोड़ों रुपए की भूमि पर अवैध कब्जे हटवाने में लापरवाही का दोषी पाते हुए लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल ने सरकार को पानीपत के तत्कालीन उपायुक्त समीर पाल सरो, तत्कालीन मुख्य प्रशासक, एचएसवीपी, प्रशासक रोहतक, पानीपत के एस्टेट ऑफिसर विकास ढांडा व दीपक घनघस के विरूद्ध विभागीय व दंडात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है। लोकायुक्त ने सरकार से की गई कार्रवाई के बारे में तीन महीने में रिपोर्ट भी तलब की है।

आरटीआइ कार्यकर्ता पीपी कपूर ने लोकायुक्त को 4 जुलाई 2016 को एक शिकायत में कहा था कि सेक्टर-11 में गरीबों के लिए आरक्षित 15 आवासीय प्लाटों पर हैदराबादी श्मशान भूमि समिति के दंबगों ने जबरन कब्जा करके 22 शोरूम बना दिए हैं। शिकायत होने पर एचएसवीपी के एस्टेट आफिसर ने 3 फरवरी व 22 जुलाई 2016 को तत्कालीन डीसी समीर पाल सरो से इन अवैध कब्जों को गिराने के लिए पुलिस फोर्स देने के लिए पत्र लिखे थे। परंतु तत्कालीन डीसी सरो ने राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस फोर्स की अनुमति नहीं दी।

लोकायुक्त ने रिपोर्ट में कहा है कि यह हैरानी की बात है कि एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक ने इन अवैध कब्जों को गिराने व प्रशासक एचएसवीपी रोहतक सहित सभी दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने के बजाए प्रशासक एचएसवीपी रोहतक की अध्यक्षता में चीफ टाउन प्लानर व सुपरिंटेंडेंट (अर्बन ब्रांच) एचएसवीपी पंचकूला की एक कमेटी गठित कर दी। इस उच्चस्तरीय कमेटी ने अपनी 5 जुलाई 2018 की रिपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर रोहतक को 2 दिन में हैदराबादी श्मशान भूमि ट्रस्ट को यह भूमि अलॉट करने बारे प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। लोकायुक्त रजिस्ट्रार एमएस सुल्लर ने अपनी 9 जनवरी 2019 की जांच रिपोर्ट में एचएसवीपी के इन सभी अधिकारियों की अवैध कब्जाधारियों से मिलीभगत होना पाया था।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7)**, पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि - 682018, केरल, भारत, **CIN: L65910KL1997PLC011300**, दूरभाष: **+91 484-2396478, 2394712**, फैक्स: **+91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों **(30.09.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते है।

नीलामी की तिथि: 16.12.2019

Delhi-Laxmi Nagar: MHL-369, 448, 467, 506, 510, 515, MPL-271, MSL-39231, 39262, MUL-1477, 1533, 1701, 1765, 1785, 1786, 1826, 2011, 2130, 2181, 2200, 2211, 2257, 2261, 2264, 2287, 2299, 2306, 2318, 2326, 2333, 2342, 2343, 2348, 2362, 2369, 2370, 2371, 2406, 2412, 2426, 2427, 2438, 2473, 2490, 2502, 2522, 2524, 2527, 2549, 2595, 2596, 2617, 2634, 2636, 2650, 2686, 2700, 2704, 2724, 2730, 2748, 2751, 2778, 2786, 2787, 2794, 2800, 2809, 2821, 2825, 2834, 2838, 2903, 2913, 2935, 2957, 2958, 3083, 3088, 3089, 3094, 3103, 3105, 3117, 3118, 3199, 3282, 3293, 3341, 3343, 3430, **Chanderlok Shahdara:** EPL-64, MAL-1627, MHP-9, MPL-71, MSL-26047, 26968, 28559, 28629, 29414, 29443, 29458, 29478, 29670, 29713, 29721, 29722, 29749, MUL-1656, 1676, 1677, 1706, 1749, 1754, 1781, 1790, 1804, 1813, 1832, 1833, 1844, 1848, 1858, 1864, 1867, 1916, 1935, 1943, 1948, 1969, 1983, 1986, 1992, 1998, 1999, 2012, 2017, 2018, 2019, 2021, 2026, 2062, 2069, 2081, 2083, 2087, 2088, 2090, 2092, 2098, 2116, 2118, 2122, 2132, 2133, 2139, 2159, 2174, 2183, 2193, 2209, 2220, 2228, 2230, 2231, 2236, 2239, 2251, 2272, 2273, 2283, 2300, 2304, 2309, 2312, 2316, 2317, 2319, 2332, 2335, 2336, 2337, 2341, 2351, MWS-2, 16, 25, 34, 47, 69, 76, 77, 85, 89, 93, 101, 115, 134, 137, 140, 167, 211, 213, 228, 245, 250, 275, 279, 286, 288, 307, 327, 341, 348, 366, 376, 393, 394, 406, 407, 417, 429, 456, 468, 480, 489, 498, 528, 532, 566, 572, 598, 601, 617, 623, 633, 634, 635, 665, 673, 681, 698, 708, 714, 715, 716, 746, 751, 752, 764, 766, 768, 802, 824, 830, 832, 837, 839, 846, 847, 854, 891, 914, 916, 938, 955, 959, 960, 969, 987, 996, 1016, 1018, 1045, 1059, 1080, 1100, 1108, 1186, 1191, 1194, 1211, 1222, 1242, 1265, 1267, 1273, 1275, 1280, 1286, 1291, 1329, 1348, 1355, 1362, 1369, 1387, 1394, 1395, 1412, 1419, 1446, 1448, 1468, 1481, 1482, 1502, 1514, 1528, 1531, 1537, 1543, 1556, 1571, 1572, 1589, 1608, 1611, 1612, 1613, 1633, 1637, 1639, 1647, 1659, 1705, 1712, 1718, 1723, 1724, 1739, 1778, 1783, 1806, 1807, 1809, 1821, 1872, 1892, 1899, 1911, 1917, 1927, 1965, 1972, 1975, 1976, 1981, 1985, 1986, 2008, 2010, 2074, 2146, 2166, 2167, 2184, 2206, 2240, 2244, 2272, 2299, 2318, 2325, 2335, 2342, 2367, 2375, 2387, 2395, 2418, 2424, 2428, 2460, 2465, 2470, 2475, 2478, 2479, 2482, 2494, 2521, 2529, 2533, 2535, 2556, 2573, 2576, 2591, 2597, 2609, 2651, 2659, 2675, 2678, 2684, 2699, 2704, 2726, 2730, 2812, 2856, 2867, 2871, 2875, 2896, 2921, 2943, 2980, 3104, 3149, 3168, 3200, 3211, 3427, 3449, **Bhajanpura:** MAL-2525, 2714, 2928, 3274, 3287, 3527, 3561, MSL-44670, 45062, 45223, 45375, 45393, 45406, 45464, 45465, 45531, 45578, MUL-902, 950, 1611, 2204, 2269, 2460, 2664, 2668, 2745, 2775, 2788, 2794, 2795, 2801, 2811, 2822, 2832, 2857, 2882, 2890, 2933, 2934, 2943, 2961, 2996, 2999, 3003, 3004, 3012, 3013, 3026, 3033, 3066, 3091, 3093, 3100, 3125, 3130, 3148, 3149, 3152, 3160, 3162, 3167, 3168, 3179, 3192, 3198, 3208, 3213, 3229, 3230, 3242, 3262, 3264, 3280, 3298, 3300, 3315, 3317, 3329, 3334, 3343, 3345, 3354, 3368, 3370, 3372, 3417, 3425, 3438, 3448, 3454, 3458, 3495, 3535, 3558, 3567, 3569, 3580, 3595, 3634, 3653, 3654, 3655, 3674, 3680, 3689, 3707, 3733, 3749, 3751, 3753, 3758, 3759, 3792, 3795, 3811, 3829, 3831, 3833, 3846, 3873, 3896, 3902, 3905, 3910, 3916, 3917, 3922, 3932, 3942, 3953, 3967, 3994, 3997, 4003, 4006, 4015, 4025, 4112, MWS-69, 91, 97, 112, 118, 142, 150, 151, 152, 153, 159, 161, 167, 177, 191, 199, 215, 267, 268, 272, 279, 285, 293, 316, 327, 339, 353, 387, 388, 389, 392, 401, 418, 423, 428, 433, 442, 448, 451, 482, 503, 532, 564, 570, 587, 598, 600, 613, 614, 625, 632, 637, 638, 642, 651, 666, 672, 679, 681, 702, 704, 716, 720, 767, 784, 793, 797, 816, 832, 845, 847, 848, 850, 854, 859, 862, 869, 872, 887, 897, 961, 966, 974, 993, 1006, 1024, 1025, 1027, 1032, 1051, 1060, 1064, 1066, 1069, 1098, 1116, 1128, 1132, 1139, 1140, 1144, 1152, 1154, 1161, 1192, 1208, 1209, 1212, 1213, 1215, 1226, 1243, 1251, 1268, 1269, 1275, 1287, 1298, 1299, 1300, 1301, 1321, 1339, 1351, 1373, 1377, 1392, 1393, 1414, 1423, 1435, 1442, 1474, 1477, 1483, 1496, 1502, 1509, 1526, 1537, 1553, 1577, 1586, 1603, 1610, 1631, 1633, 1643, 1652, 1659, 1701, 1720, 1723, 1732, 1759, 1767, 1768, 1795, 1804, 1807, 1826, 1835, 1847, 1854, 1875, 1892, 1893, 1894, 1911, 1917, 1922, 1949, 1982, 1991, 1996, 2031, 2051, 2052, 2054, 2083, 2086, 2103, 2110, 2141, 2142, 2148, 2157, 2163, 2164, 2169, 2176, 2179, 2182, 2214, 2216, 2217, 2225, 2227, 2230, 2235, 2268, 2276, 2277, 2279, 2280, 2304, 2308, 2316, 2334, 2357, 2368, 2373, 2387, 2389, 2390, 2394, 2424, 2426, 2443, 2445, 2481, 2534, 2556, 2567, 2574, 2586, 2587, 2592, 2596, 2605, 2606, 2608, 2619, 2620, 2623, 2627, 2663, 2689, 2706, 2733, 2745, 2746, 2778, 2793, 2797, 2823, 2832, 2836, 2849, 2869, 2870, 2872, 2883, 2887, 2902, 2909, 2925, 2930, 2948, 2954, 2976, 2994, 2995, 3021, 3071, 3076, 3089, 3100, 3111, 3115, 3143, 3155, 3183, 3190, 3209, 3236, 3247, 3249, 3291, 3294, 3301, 3316, 3444, 3514, 3530, 3618, 3655, 3824, 3834, 3901, 4000, 4067, **Karol Bagh:** MAL-1081, 1195, MGL-1653, MHP-5, MSL-32805, 32816, 32833, 32835, 32855, 32869, 32922, MUL-313, 341, 668, 698, 699, 827, 849, 876, 877, 893, 924, 980, 991, 1044, 1082, 1141, 1158, 1197, 1233, 1302, 1335, 1352, 1361, 1385, 1392, 1401, 1405, 1511, 1514, 1572, 1573, 1574, 1612, 1614, 1623, 1679, 1694, 1714, 1715, 1784, 1829, 1832, 1842, 1851, 1856, 1866, 1876, 1878, 1881, 1908, 1925, 1945, 1961, 1972, 2007, 2011, 2019, 2020, 2033, 2119, 2204, 2205, 2262, MWS-21, 25, 52, **Daryaganj:** MHP-18, MUL-1377, 1491, 1626, 1635, 1672, 1749, 1754, 1839, 1937, 1954, 2009, 2102, 2216, 2227, 2237, 2240, 2243, 2297, 2321, 2343, 2346, 2371, 2384, 2385, 2398, 2453, 2459, 2466, 2475, 2483, 2555, 2567, 2571, 2587, 2601, 2604, 2615, 2623, 2638, 2660, 2665, 2673, 2690, 2693, 2695, 2699, 2708, 2722, 2726, 2732, 2738, 2755, 2757, 2783, 2802, 2807, 2816, 2821, 2822, 2832, 2837, 2852, 2877, 2905, 2910, 2921, 2951, 2954, 2968, 2975, 2993, 3020, 3057, 3065, 3066, 3121, 3160, 3188, 3191, 3202, 3209, 3222, 3227, 3229, 3241, 3246, 3271, 3280, 3356, 3374, 3375, 3378, 3408, 3596, **Hauz Khas:** MHP-110, MSL-65591, 65617, 65675, 65701, 65751, MUL-1816, 1871, 2088, 2109, 2118, 2156, 2293, 2299, 2380, 2419, 2420, 2693, 2737, 2756, 2769, 2778, 2785, 2854, 2858, 2864, 2884, 2896, 2944, 2945, 2967, 2999, 3003, 3017, 3037, 3038, 3041, 3101, 3108, 3119, 3120, 3175, 3184, 3250, 3279, 3283, 3311, 3334, 3366, 3368, 3369, 3372, 3377, 3407, 3428, 3451, 3452, 3470, 3481, 3492, 3495, 3603, 3653, 3727, 3794, 3834, 3857, 3858, 3994, 4305, **Pul Pehladpur:** MAL-2099, MSL-15498, 15499, 15521, 15579, 15629, 15668, 15697, 15733, 15798, 15809, 15831, 15834, MUL-1160, 1268, 1939, 1976, 1981, 2063, 2070, 2073, 2074, 2097, 2118, 2124, 2127, 2131, 2206, 2233, 2253, 2269, 2277, 2304, 2306, 2350, 2362, 2365, 2388, 2402, 2407, 2411, 2421, 2425, 2465, 2467, 2473, 2486, 2487, 2493, 2507, 2509, 2514, 2526, 2540, 2556, 2562, 2579, 2586, 2641, 2647, 2665, 2675, 2681, 2716, 2717, 2733, 2734, 2744, 2752, 2753, 2765, 2773, 2776, 2790, 2810, 2827, 2855, 2882, 2902, 2932, 2988, 3004, 3045, 3082, 3096, 3100, 3109, 3147, 3182, 3250, 3252, 3289, 3374, 3488, 3501, 3508, 3575, **Mayapuri:** MAL-921, 1060, MHP-13, MUL-705, 749, 768, 832, 917, 924, 928, 989, 1004, 1011, 1012, 1025, 1030, 1031, 1052, 1069, 1127, 1151, 1163, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1190, 1201, 1202, 1213, 1217, 1219, 1226, 1227, 1238, 1243, 1254, 1262, 1266, 1277, 1278, 1279, 1285, 1298, 1305, 1323, 1331, 1339, 1349, 1377, 1407, 1408, 1410, 1460, 1461, 1484, 1502, 1503, 1511, 1525, 1538, 1545, 1606, 1627, 1633, 1687, 1713, 1774, 1819, 1872, 1873, 1921, 1936, **Hastsaal:** MAL-1176, 1294, 1396, 1477, MHP-7, MSL-12084, 12233, 12245, 12253, 12259, 12319, 12363, 12485, 12707, 12815, 12817, 12818, 12822, 12839, 12858, 12866, 12869, 12877, 12885, 12944, 12952, MUL-25, 231, 408, 456, 742, 890, 899, 1093, 1151, 1164, 1190, 1234, 1382, 1383, 1470, 1592, 1620, 1654, 1659, 1664, 1682, 1693, 1699, 1705, 1725, 1758, 1768, 1779, 1787, 1804, 1827, 1848, 1867, 1873, 1882, 1884, 1888, 1894, 1915, 1928, 1948, 1970, 1974, 1976, 1978, 2012, 2013, 2031, 2044, 2050, 2064, 2090, 2106, 2111, 2138, 2147, 2150, 2169, 2190, 2199, 2237, 2265, 2282, 2298, 2308, 2345, 2348, 2369, 2379, 2429, 2461, 2490, 2491, 2492, 2496, 2514, 2525, 2530, 2537, 2604, 2607, 2610, 2611, 2614, 2618, 2645, 2671, 2684, 2685, 2707, 2720, 2722, 2732, 2743, 2756, 2766, 2779, 2816, 2821, 2823, 2829, 2850, 2851, 2858, 2859, 2884, 2900, 2909, 2923, 2939, 2940, 2950, 2958, 2970, 3049, 3077, 3078, 3102, 3111, 3114, 3118, 3122, 3128, 3129, 3165, 3169, 3222, 3258, 3266, 3277, 3290, 3316, 3323, 3328, 3345, 3358, 3361, 3364, 3374, 3378, 3394, 3403, 3410, 3412, 3414, 3416, 3422, 3445, 3447, 3453, 3457, 3483, 3502, 3517, 3528, 3532, 3558, 3564, 3600, 3607, 3608, 3619, 3642, 3653, 3687, 3692, 3698, 3706, 3712, 3715, 3719, 3721, 3731, 3749, 3755, 3757, 3764, 3765, 3773, 3774, 3780, 3810, 3817, 3827, 3828, 3831, 3837, 3847, 3887, 3898, 3900, 3914, 3937, 3958, 3960, 3962, 3963, 3976, 3977, 3983, 3986, 3989, 3999, 4005, 4055, 4059, 4063, 4066, 4068, 4082, 4085, 4095, 4099, 4106, 4111, 4137, 4142, 4163, 4170, 4175, 4181, 4183, 4186, 4188, 4192, 4202, 4210, 4211, 4223, 4258, 4274, 4279, 4293, 4306, 4310, 4367, 4370, 4371, 4406, 4421, 4426, 4427, 4431, 4491, 4493, 4534, 4539, 4545, 4547, 4548, 4555, 4559, 4564, 4578, 4602, 4619, 4628, 4644, 4647, 4681, 4695, 4700, 4736, 4741, 4770, 4795, 4799, 4843, 4903, 4915, 4919, 4922, 4924, 4942, 4954, 4973, 4975, 4994, 5109, 5119, 5204, 5248, **Shalimar Bagh:** MAL-2166, 2307, MHL-563, MSL-50479, 50495, 50496, 50497, 50504, 50505, MUL-1381, 1403, 1415, 1433, 1457, 1558, 1585, 1599, 1609, 1626, 1656, 1659, 1662, 1730, 1791, 1835, 1866, 1896, 1899, 1900, 1903, 1904, 1915, 1916, 1932, 1938, 1966, 1972, 1974, 1990, 2005, 2013, 2016, 2035, 2044, 2045, 2054, 2058, 2062, 2063, 2082, 2085, 2111, 2123, 2128, 2141, 2142, 2159, 2177, 2178, 2179, 2189, 2223, 2246, 2247, MWS-1, 58, 93, 96, 112, 167, 175, 183, 211, 218, 220, 225, 246, 279, 304, 315, 320, 334, 345, 376, 389, 409, 411, 455, 485, 486, 505, 542, 564, 576, 604, 611, 625, 641, 652, 688, 703, 716, 719, 723, 734, 746, 777, 819, 851, 853, 867, 896, 918, 936, 948, 974, 975, 1011, 1034, 1039, 1056, 1057, 1075, 1077, 1101, 1143, 1192, 1198, 1235, 1276, 1278, 1322, 1413, 1454, 1492

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

यह सूचित किया जाता है कि यदि गिरवी रखे गहने अधिसूचित तिथी में शाखा के अंदर पहली नीलामी में सफलतापूर्वक नीलाम नही होते है, तो यह नीलामी **21.12.2019** में श्रीराम ऑटो मॉल इंडिया लि. **(एसएएमआईएल)** के माध्यम से उनके ऑनलाइन नीलामी प्लेटफॉर्म https://gold.samil.in पर दोपहर 12.30 बजे से 03.30 बजे के दौरान होगी।

यदि **21.12.2019** में भी सफलतापूर्वक नीलाम नही होते है, तो अतिरिक्त सूचना दिए बिना पूर्वतन नियमों और शर्तों के साथ कथित ऑनलाइन नीलामी प्लेटफॉर्म पर 7 दिनों के अंदर गहने दोबारा नीलाम किए जाएंगे। इस संबंध में इसके बाद कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

नीलामी की जानकारी, नियमों और शर्तों और रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छुक क्रेता संबंधित शाखा से संपर्क कर सकते हैं और/या नीलामी पोर्टल पर लॉग-इन कर सकते हैं।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट को बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

हैदराबाद : मुठभेड़ की जांच के लिए एसआइटी

हैदराबाद, 9 दिसंबर (भाषा)।

हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक के बलात्कार और उसकी हत्या के चारों आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की जांच के लिए तेलंगाना सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया है। इस संबंध में रविवार को एक सरकारी आदेश जारी किया गया है।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि चारों आरोपियों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे तर्क और सच्चाई के साथ स्थापित करने की दृष्टि से इस मामले की लगातार और केंद्रित जांच की आवश्यकता है, जिसके लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि रचाकोंडा पुलिस आयुक्त महेश एम भगत के नेतृत्व वाले आठ सदस्यीय एसआइटी दल को 'मुठभेड़' के संबंध में दर्ज मामले की जांच अपने हाथ में लेनी चाहिए और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इससे संबंधित सभी दर्ज मामलों की जांच एसआइटी को सौंप दी जानी चाहिए। चेट्टनपल्ली में शुक्रवार सुबह सभी आरोपी पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारे गए थे। आरोपियों को घटना की जांच के संबंध में अपराध स्थल पर ले जाया गया था, जहां पुलिया के निकट 25 वर्षीय महिला पशु चिकित्सक का शव 28 नवंबर को मिला था।

अग्निकांड के 43 मृतकों को राज्यसभा में दी श्रद्धांजलि

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

दिल्ली के एक कारखाने में भीषण आग लगने से जान गंवाने वाले 43 लोगों को राज्यसभा में सोमवार को श्रद्धांजलि दी गई। ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए समुचित कदम उठाने की मांग भी की गई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हादसे में न केवल 43 लोगों की जान चल गई बल्कि 20 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सदन में मौजूद सदस्यों ने मृतकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा।

शून्यकाल में भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों ने इस अग्निकांड का मुद्दा उठाने की अनुमति मांगी थी। आसन की अनुमति से भाजपा के विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली में उपहार सिनेमा अग्निकांड हुआ और इसके बाद ओखला, नरेला, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सहित अन्य जगहों पर भी भीषण आग लगी। लेकिन इनसे कोई सबक नहीं सीखा गया। गोयल ने कहा कि हजारों की संख्या में अवैध इमारतों में कारखाने चल रहे हैं। वहां सुरक्षा के पूरे उपाय नहीं हैं।

उत्तराखंड विधानसभा में हंगामे के बीच चारधाम श्राइन बोर्ड विधेयक पेश

कांग्रेस सदस्यों ने जमकर किया हंगामा, सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई

देहरादून, 9 दिसंबर (भाषा)।

उत्तराखंड सरकार ने विपक्षी कांग्रेस के भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच सोमवार राज्य विधानसभा में 'चारधाम श्राइन प्रबंधन विधेयक' पेश कर दिया।

हालांकि, प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि विपक्ष और तीर्थ पुरोहित अपना मत रखें, सरकार उनसे बातचीत के लिए खुले मन से तैयार है। इससे पहले, इस विधेयक को वापस लेने की मांग पर अड़े कांग्रेस के सदस्यों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी और पूरा प्रश्नकाल उसकी भेंट चढ़ गया।

हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद्र अग्रवाल ने भोजनावकाश के बाद 45 मिनट में सोमवार के लिए निर्धारित कामकाज निपटाने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। पूर्वाहन 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ह्रदयेश की अगुवाई में कांग्रेस के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो गए और सदन के सदस्यों को विश्वास में लिए बिना चुपचाप उत्तराखंड चारधाम श्राइन प्रबंधन विधेयक को पारित करवाने की राज्य सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़े करने लगे।

इंदिरा ने कहा, 'तीर्थ पुरोहितों को इस विधेयक पर आपत्ति है और हमें भी इसके प्रावधानों के बारे में अंधेरे में रखा गया है। जब हमने प्रस्तावित विधेयक की प्रति मांगी तो हमें बताया गया कि विधानसभा के पटल पर रखे जाने के बाद ही यह दस्तावेज हमें दिया जाएगा।' उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक को वापस ले या सदन की स्थायी समिति के हवाले करे।

इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष अग्रवाल सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने को कहते रहे लेकिन कांग्रेस के सदस्य विधेयक वापसी की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए उनके आसन के सामने आ गए। कुछ देर बाद कांग्रेस के सदस्य नारे लगाते हुए आसन के सामने ही धरने पर बैठ गए। अध्यक्ष अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही पहले साढ़े ग्यारह बजे तक, फिर 12 बजे और बाद में 12:20 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कुछ देर कामकाज निपटाने के बाद कांग्रेस सदस्यों ने फिर अपनी मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और इसी बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस विधेयक को पेश कर दिया। विधेयक के उद्देश्य व कारणों के बारे में कहा गया है कि प्रदेश में स्थित बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री तथा अन्य प्रसिद्ध मंदिरों का कायाकल्प किया जाना आवश्यक है। इसलिए जम्मू-कश्मीर में स्थापित श्री वैष्णो देवी माता मंदिर, साईं बाबा, जगन्नाथ तथा सोमनाथ मंदिरों की तरह उत्तराखंड में स्थित मंदिरों और श्राइन के लिए विधेयक लाया जाना आवश्यक है।

www.readwhere.com

ट्रंप पर महाभियोग की सुनवाई अहम चरण में पहुंची

वाशिंगटन, 9 दिसंबर (एएफपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही सोमवार को संसद की न्यायिक समिति की सुनवाई के मद्देनजर नए चरण में प्रवेश कर गई। इसमें रिपब्लिकन नेता के खिलाफ आरोप तय किए जाने की संभावना है।

डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में उनके संभावित प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन के खिलाफ जांच कराने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाकर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने इस जांच को 'कपटी' बताकर इसकी आलोचना की है लेकिन डेमोक्रेट्स का मानना है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि ट्रंप ने देश के ऊपर अपने निजी राजनीतिक हितों को तरजीह दी है।

न्यायिक समिति के अध्यक्ष जेरी नैडलर ने रविवार को कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे पास जो मामला है उसे अगर जूरी के समक्ष पेश किया जाए तो तीन मिनट में दोषी ठहरा दिया जाएगा।' ट्रंप के लंबे समय से शत्रु रहे कांग्रेस सदस्य ने इस सप्ताह के अंत तक प्रतिनिधि सभा में महाभियोग पर मतदान कराए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया। नादलर खुफिया और न्यायिक समितियों के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों वकीलों के सबूतों पर सोमवार को स्थानीय समयानुसार सुबह नौ बजे सुनवाई करेंगे।

न्यूजीलैंड में ज्वालामुखी फटा, पांच मरे

वेलिंगटन, 9 दिसंबर (एएफपी)।

न्यूजीलैंड के वाइट आइलैंड पर सोमवार को अचानक ज्वालामुखी फट गया। इसमें पांच व्यक्तियों की मौत हो गई और 18 अन्य जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा कई लोग वहां फंस गए हैं।

पुलिस ने कहा कि व्हाइट आइलैंड पर लगभग 50 लोग गए हुए थे तभी ज्वालामुखी में दोपहर के करीब अचानक विस्फोट हो गया। ज्वालामुखी फटने से पांच की मौत हो गई है और अन्य का इलाज चल रहा है। घायलों में कई गंभीर रूप से जल गए हैं। हालांकि अभी द्वीप पर फंसे हुए लोगों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिली है। माना जा रहा है कि इनकी संख्या दहाई में है। उपायुक्त जॉन टिम्स ने कहा, 'अभी हमें लोगों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है न ही उनकी कुशलता के बारे में कुछ पता है।' उन्होंने कहा कि रात होने पर बचाव अभियान चलाना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि द्वीप अस्थिर है और ज्वालामुखी के फिर सक्रिय होने का अंदेशा है, जिससे द्वीप पर लौटने से हमारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कैनबरा में अधिकारियों ने बताया कि द्वीप में फंसे लोगों में आस्ट्रेलिया के कई नागरिक हो सकते हैं। देश की आपात प्रबंधन एजंसी ने ज्वालामुखी में विस्फोट को 'मध्यम' स्तर का बताया, लेकिन ज्वालामुखी से निकलती राख को मुख्य भूमि से देखा जा सकता है।

श्रीलंकाई अदालत ने स्विस दूतावासकर्मी की विदेश यात्रा पर पाबंदी बढ़ाई

कोलंबो, 9 दिसंबर (भाषा)।

- दूतावास के स्थानीय कर्मचारी को अगवा किया गया था और दूतावास की सूचनाएं बताने के लिए धमकाया था
- महिला कर्मचारी से उन श्रीलंकाइयों के नाम भी पूछे गए थे जिन्होंने स्विट्जरलैंड में शरण मांगी थी

श्रीलंका की अदालत ने सोमवार को स्विट्जरलैंड दूतावास की उस स्थानीय कर्मचारी की विदेश यात्रा पर पाबंदी 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी जिसे किसी समूह ने कथित रूप से अगवा कर लिया था और दूतावास की सूचनाएं बताने के लिए धमकाया था। मजिस्ट्रेट की अदालत का आदेश तब आया है जब एक दिन पहले ही इस श्रीलंकाई कर्मी ने सीआइडी कार्यालय में बयान दर्ज कराया था। इस दूतावास कर्मी की पहचान जाहिर नहीं की गई है।

दूतावास की कर्मी ने दावा किया है कि 25 नवंबर को एक समूह ने उसे अगवा कर बंधक बना लिया था और उसे संवेदनशील सूचनाएं देने के लिए मजबूर किया था। उससे कथित रूप से उन श्रीलंकाइयों के नाम भी पूछे गए थे जिन्होंने स्विट्जरलैंड में शरण मांगी थी। स्विट्जरलैंड ने श्रीलंका सरकार के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया था और कर्मी के अपहरण की विस्तृत जांच की मांग की थी। स्विस दूतावास ने भी इस आरोप के बारे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। कर्मी यह दावा करते हुए पुलिस के सामने पूछताछ के लिए नहीं हाजिर हुई कि वह अस्वस्थ है।

अदालत ने पुलिस को यह तय करने का आदेश दिया कि वह नौ दिसंबर तक देश छोड़कर नहीं जाए। अदालत के अधिकारियों ने बताया कि इस आदेश को अब 12 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। श्रीलंका सरकार का कहना कि कथित अपहरण की उसकी कहानी पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के विपरीत है। पुलिस ने इससे इनकार किया कि उसकी सीआइडी शाखा कथित अपहरण में शामिल थी। मीडिया की खबरों के अनुसार अपहरणकर्ताओं ने इस महिला कर्मी से उस सीआइडी अधिकारी के बारे में सूचना मांगी थी जो 16 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद देश छोड़कर भाग गए थे। खबरों के मुताबिक स्विस अधिकारियों ने उन्हें और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी।

शरीफ की सेहत में सुधार नहीं, अमेरिका भेजने की सलाह

लाहौर/लंदन, 9 दिसंबर (भाषा)।

बीमार चल रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की प्लेटलेट संख्या में कोई सुधार नहीं हुआ है और डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें अमेरिका ले जाने की सलाह दी है। शरीफ का इलाज अभी लंदन में चल रहा है।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा कि 69 वर्षीय शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि उनके मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियां 88 फीसद तक बाधित हैं। उन्होंने कहा, 'डॉक्टरों ने इस संबंध में अमेरिका में विशेषज्ञों से मदद लेने की सलाह दी है। हालांकि उन्हें वहां तक ले जाना चिकित्सा दल के लिए बड़ी चुनौती है।' द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने औरंगजेब को यह कहते हुए उद्धृत किया, 'स्टेरॉयड की भारी खुराक के बाद भी प्लेटलेट संख्या में कोई सुधार नहीं है और स्टेरॉयड की वजह से रक्त शर्करा का स्तर बढ़ रहा है।' प्रवक्ता ने कहा कि प्लेटलेट की गिरती संख्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

ओसीआइ कार्ड धारकों को रद्द करनी पड़ी भारत यात्रा

कई लोगों को दुबई से लौटना पड़ा

वाशिंगटन, 9 दिसंबर (भाषा)।

- मौजूदा नियमों के तहत 20 साल से कम और 50 साल से अधिक आयु के ओसीआइ कार्ड धारकों को अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के बाद ओसीआइ कार्ड का नवीनीकरण कराना होता है।
- यह नियम लंबे समय से है लेकिन जागरूकता के अभाव में भारतीय समुदाय के अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है। भारत सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करने को कहा था जिससे बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हुई।

विदेश में बसे और वहां की नागरिकता ले चुके भारतीयों (प्रवासी भारतीय नागरिकों यानी ओसीआइ) को भारत की यात्रा करते समय खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें हाल ही में लागू किए गए नवीनीकरण के नियम के बारे पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है। भारतीय मूल के प्रतिष्ठित अमेरिकी नागरिक ने भारतीय राजदूत को दी याचिका में यह बात कही है।

जयपुर फुट यूएसए के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने बताया कि इस नियम के बारे में पर्याप्त जानकारी न होने के कारण बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकियों को भारत की अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ रही है। कई मामलों में तो उन्हें दुबई जैसे स्थानों से बीच रास्ते में ही लौटना पड़ रहा है और कई विमानन कंपनियां भारत जाने वाले उन यात्रियों को बैठाने से इनकार कर रही हैं जिनकी पासपोर्ट संख्या उनके ओसीआइ कार्ड से नहीं मिलती।

उन्होंने कहा, 'विमानन कंपनियों और आव्रजन अधिकारियों ने गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल में जारी परामर्श का हवाला दिया और मांग की कि 20 साल से कम और 50 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों को अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के बाद ओसीआइ कार्ड का नवीनीकरण कराना होगा। इसके चलते कई यात्रियों को हवाईअड्डों से वापस लौटना पड़ रहा है।'

सामाजिक कार्यकर्ता भंडारी ने एक बैठक में अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला से अनुरोध किया कि वह जनसूचना और अमेरिका में जागरूकता अभियान चलाकर इस मुद्दे को हल करने में मदद दें। साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय से ओसीआइ कार्ड के नियमों को आसान बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, 'ओसीआइ कार्ड का उद्देश्य कार्ड धारकों की यात्रा का अनुभव सुखद बनाना और परेशानी तथा घबराहट पैदा न करना है।' उन्होंने बताया कि भारत की अपनी अगली यात्रा में उनकी योजना इस मुद्दे को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के समक्ष उठाने की है।

भंडारी के अनुसार राजदूत ने कहा कि भारत सरकार समुदाय की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका में भारतीय राजनयिक मिशनों ने पहले ही जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इस मुद्दे का सक्रिय रूप से हल निकाला जा रहा है। मौजूदा नियमों के तहत 20 साल से कम और 50 साल से अधिक आयु के ओसीआइ कार्ड धारकों को अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के बाद ओसीआइ कार्ड का नवीनीकरण कराना होता है। यह नियम लंबे समय से है लेकिन जागरूकता के अभाव में भारतीय समुदाय के अधिकांश लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाल ही में भारत सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करने को कहा था जिससे बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हुई।

FORM G - INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS

1	Name of the corporate debtor	J N C Constructions Private Limited
2	Date of incorporation of corporate debtor	01/04/1998
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Delhi
4	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U74899DL1998PTC093071
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: G-128 PREET VIHAR NEW DELHI 110092
6	Insolvency commencement date of the corporate debtor	On 30.05.2019 VIDE IB-272/PB/2019
7	Date of invitation of expression of interest	10TH DECEMBER, 2019
8	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at: WWW.JNCGROUPIN OR MORE DETAILS CAN BE SOUGHT FROM RPJNCCONS@GMAIL.COM	1. TURNOVER OF RS. 50 CRORES (AVERAGE OF LAST 5 YEARS) 2. NET WORTH OF RS. 5 CRORES 3. EXPERIENCE OF HANDLING PROJECT OF RS.60 CRORES SUCCESSFULLY AND DELIVERED HOMES WITH COMPLETION CERTIFICATE 4. HAVING EXERIENCED AND PROFESSIONAL TEAM 5. EXPERIENCE IN REAL ESTATE OF MINIMUM 5 YEARS 6. PROVIDE EMD/BANK GUARANTEE/ CR. GUARANTEE / DD OF RS. 75/- lacs (REFUNDABLE) 7. PERFORMANCE SECURITY/GUARANTE OF RS 1/- CRORE AT THE TIME OF RESOLUTION PLAN PLUS 2.5 % OF THE TOTAL EXPENSES OF COMPLETION OF PROJECT
9	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	WWW.JNCGROUPIN OR DETAILS CAN BE SOUGHT FROM RPJNCCONS@GMAIL.COM
10	Last date for receipt of expression of interest (EOI)	26TH DECEMBER , 2019
11	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	26TH DECEMBER , 2019
12	Last date for submission of objections to provisional list	30TH DECEMBER , 2019
13	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	30TH DECEMBER , 2019
14	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and RFRP and request for resolution plans to prospective resolution applicants	30TH DECEMBER , 2019
15	Manner of obtaining request for resolution plan(RFRP), evaluation matrix, information memorandum and further information	Prospective Resolution applicant sign the Non Disclosure agreement on a stamp paper of Rs. 100/-, to get IM, Evaluation Matrix, RFRP. Kindly visit www.jncgroup.in for any updation OR contact RP AT phone No. 9810262299
16	Last date for submission of resolution plans	30TH JANUARY, 2020
17	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Sealed envelope by Speedpost / hand delivery superscribed as "Resolution Plan to be sent to RP at the address mentioned at point 20 and 21 and also email at RPJNCCONS@GMAIL.COM Details in RFRP AND at WWW.JNCGROUPIN
18	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	28TH FEBRUARY , 2020 OR EARLIER
19	Name and registration number of the resolution professional	PRABHJIT SINGH SONI IBBI/IPA-002/IP-N00065/2017-18/10143
20	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	PRABHJIT SINGH SONI GG1/144/C, NEAR PVR CINEMA, VIKAS PURI, NEW DELHI 110018. E mail id: psgurleensoni@gmail.com
21	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	OFFICE OF RP, GG1/144/C, NEAR PVR CINEMA, VIKAS PURI, NEW DELHI 110018 E mail id : RPJNCCONS@GMAIL.COM 9810262299
22	Further Details are available at or with	WWW.JNCGROUPIN or with RP AT RPJNCCONS@GMAIL.COM
23	Date of publication of Form G	10TH DECEMBER , 2019

PRABHJIT SINGH SONI
(RESOLUTION PROFESSIONAL) (RP)
APPOINTED BY HON'BLE NCLT PRINCIPAL BENCH FOR JNC CONSTRUCTIONS PVT LTD
IBBI/IPA-002/IP-N00065/2017-2018/10143 NEW DELHI DATED 9TH DECEMBER , 2019

दक्षिण अफ्रीका की जोजिबिनी टुन्जी बनीं मिस यूनिवर्स 2019

अटलांटा, 9 दिसंबर (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका की जोजिबिनी टुन्जी के सिर इस साल का मिस यूनिवर्स का ताज सजा है। वह मिस इंडिया समेत दुनियाभर के 90 से अधिक प्रतियोगियों को हराकर 2019 की मिस यूनिवर्स बनी हैं।

अमेरिका के हास्य कलाकार व प्रस्तोता स्टीव हार्वे ने रविवार को यहां टेलर पेरी स्टूडियोज में कार्यक्रम की मेजबानी की है। टेलीविजन पर प्रसारित इस प्रतियोगिता में 26 वर्षीय टुन्जी को विजेता घोषित किया गया। भारतीय प्रतियोगी वर्तिका सिंह ने शीर्ष 20 प्रतियोगियों में जगह बनाई। सपनों की ताकत का जिक्र करते हुए टुन्जी ने अपनी जीत को लेकर ट्विटर पर आभार जताया। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, 'आज एक दरवाजा खुला और मंच पर वॉक करके मैं इससे ज्यादा खुशनसीब महसूस नहीं कर सकती थी।' टुन्जी ने कहा, 'ईश्वर करें कि इस क्षण की साक्षी बनने वाली हर लड़की अपने सपनों की ताकत पर भरोसा करें और वे मुझमें अपना चेहरा देखें। मैं मिस यूनिवर्स 2019 हूं।' टुन्जी ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनते हुए खींची गई अपनी तस्वीर भी साझा की। मिस प्यूर्टो रिको मैडिसन एंडरसन पहली उपविजेता रहीं। इसके बाद मैक्सिको की एश्ले अल्वीदरेज तीसरे स्थान पर रहीं। कोलंबिया और थाईलैंड की प्रतियोगी शीर्ष पांच में शामिल रहीं। मिस यूनिवर्स के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजेता की घोषणा की गई। साल 2018 की मिस यूनिवर्स फिलीपीन की कैटरियोना ग्रे ने टुन्जी को ताज पहनाया। यह दक्षिण अफ्रीका का मिस इंडिया का तीसरा ताज है। साल 2017 में दक्षिण अफ्रीका की ही डेमी लीघ नेल-पीटर्स को विजेता घोषित किया गया था।

अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन

वाशिंगटन, 9 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिका के पूर्व सैन्यकर्मियों ने कश्मीरी समुदाय और भारतीय अमेरिकियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों को समर्थन देने के खिलाफ वाशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने 'पाकिस्तान तालिबान है', 'पाकिस्तानी एक आतंकवादी देश है' और '(ओसामा) बिन लादेन कहां था' जैसे नारे लगाए और मांग की कि पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया जाए। पूर्व सैन्यकर्मी डेविड डीनस्टैग ने कहा, 'मैं अमेरिका में भारत की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने आया हूं। पाकिस्तान तालिबान का समर्थन करके अमेरिकी बेटों और बेटियों को मार रहा है और यह अकसर अमेरिकी करदाताओं के धन से किया जाता है। करदाताओं को इसकी जानकारी भी नहीं है।'

भारतीय अमेरिकी प्रदर्शनकारी मंगा अनंततमुला ने कहा, 'हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को कैसे पाल पोस रहा है। दुनिया को कश्मीर के नरसंहार के बारे में नहीं पता। पाकिस्तान 25000 से अधिक कश्मीरी हिंदुओं की हत्या का जिम्मेदार है।' कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट वर्जीनिया से कांग्रेस (संसद) का चुनाव लड़ रहीं एलिसिया एंड्रयूज भी प्रदर्शन में शामिल हुईं।

उन्होंने कहा कि उन लोगों के 'पीछे खड़ा होना' महत्त्वपूर्ण है जिन्हें आतंकवादी संगठन लगातार निशाना बना रहे हैं। 'हम उस देश को नजरअंदाज नहीं कर सकते' जो इतने आतंकवादी समूहों को समर्थन दे रहा है।

प्रपत्र संख्या आईएनसी-26
(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के प्रकाशन के लिए विज्ञापन।
केन्द्र सरकार उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014, के नियम 30(5)(ए) के मामले में
और
डी वी एस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय 41 एम एम रोड, रानी झांसी रोड, बेसमेंट नई दिल्ली, दिल्ली 110055 पर स्थित है, के मामले में ...याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी केन्द्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, [illegible] मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि करती है, जिसके तहत 02, दिसम्बर, 2019 को असाधारण आम सभा आयोजित की गई ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "तमिल नाडु राज्य" में स्थानांतरित करने में सक्षम बन सके।
कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथ-पत्र सहित एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 को इस सूचना प्रकाशन की तारीख के चौदह (14) दिनों भीतर सुपुर्द कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं। साथ ही इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निम्नलिखित पते पर भी भेजनी होगी: 41 एम एम रोड, रानी झांसी रोड, बेसमेंट नई दिल्ली, दिल्ली 110055
आवेदक द्वारा और उनके लिए
डी वी एस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
दिनांक: 10.12.2019 रामनाथ नागराजन
स्थान: चेन्नई निदेशक

ट्रंप नासमझ व खुशामद पसंद : उत्तर कोरिया

सियोल, 9 दिसंबर (एपी)।

उत्तर कोरिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 'नासमझ और खुशामद पसंद' करार देकर फिर उन पर निशाना साधा है। उससे पहले ट्रंप ने ट्वीट किया था कि शत्रुतापूर्ण हरकतें और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित कर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन दोनों नेताओं के बीच के विशेष संबंध का परित्याग नहीं करना चाहेंगे।

उत्तर कोरिया के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व परमाणु वार्ताकार किम यंग चोल ने बयान में कहा कि उनका देश अमेरिका के दबाव के सामने घुटने नहीं टेकेगा क्योंकि उसे कुछ नहीं गंवाना पड़ेगा। उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर परमाणु वार्ता को बचा लेने के लिए किम जोंग उन द्वारा निर्धारित साल भर की समयसीमा से पहले और मोहलत हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। फरवरी में वियतनाम में ट्रंप और किम जोंग उन के बीच वार्ता के टूट जाने के बाद उनके बीच परमाणु वार्ता अधर में लटक गई थी।

सऊदी अरब के रेस्तरां में अब पुरुषों व महिलाओं के लिए नहीं होंगे अलग-अलग प्रवेश द्वार

रियाद, 9 दिसंबर (एएफपी)।

अत्यधिक रुढ़िवादी समझे जाने वाले इस्लामी देश सऊदी अरब में अब रेस्तरां और कैफे में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार नहीं होंगे। देश में सामाजिक प्रतिबंधों में ढील देने की पहल को आगे बढ़ाते हुए इस दिशा में एक और कदम उठाया गया है। रेस्तराओं में लंबे समय से अविवाहित पुरुषों के लिए एक प्रवेश द्वार जबकि दूसरा प्रवेश द्वार महिलाओं व परिवारों के लिए होता था।

नगर पालिका व ग्रामीण मामलों के मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट किया कि वह 'अविवाहित पुरुषों के लिए अलग और परिवारों के लिए अलग प्रवेश द्वार' की आवश्यकता समेत रेस्तरां के लिए कई अनिवार्यताओं को समाप्त कर रहा है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रेस्तरां में बैठने संबंधी प्रतिबंधों को भी हटाया जाएगा या नहीं। सऊदी अरब के रेस्तरां में महिलाओं के साथ आने वाले परिवारों के लिए अलग जगह और केवल पुरुषों के लिए एक अलग जगह निर्धारित होती है।

सऊदी युवाओं ने इस नए सुधारात्मक कदम की प्रशंसा की है लेकिन कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर इस कदम की निंदा की और इसे 'शरिया के खिलाफ' बताया।

ओ.बी.सी

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)

Resolution Recovery & Law कलस्टर (दक्षिण और पूरब) 92/ई1, आर के मार्किट, मुनिरका, नई दिल्ली-110067, फोन : 26108530, 26108531, ई-मेल: rrl_7670@obc.co.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारन्टर को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा (नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 27.12.2019 को बेचा जाएगा। ई-नीलामी सेवा प्रदाता https://bankauctions.in के माध्यम से की जाएगी। बकाया राशि की वसूली कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार, धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 26-12-2019 को सांय 5.00 बजे तक है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी का नाम (सांकेतिक / भौतिक कब्जा)	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली में वृद्धि हेतु राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय	बकाया राशि (जमानती कर्ज)	ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण
1	1. मैसर्स रेखा ज्वैलर्स, 2. श्री राजेश सूद पुत्र स्व. श्री गुरुदास मल सूद (प्रोपराईटर) 3. श्रीमती रेखा सूद पत्नी श्री राजेश सूद (गारंटर)	व्यवसायिक दुकान प्रा. नं. जी-3 (भूतल पर) गुरुद्वारा रोड, जिसका क्षेत्रफल 280 वर्ग फीट, निर्मित सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. 2502 वार्ड नं. XVI प्लॉट नं. 305, ब्लॉक-एम, बिडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005, यह सम्पत्ति श्रीमती रेखा सूद पत्नी श्री राजेश कुमार सूद के नाम पर है। (भौतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 155.00 लाख ₹ 15.50 लाख ₹ 0.50 लाख	27-12-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 2,79,17,519.33 दिनांक 30.11.2019 तक और दिनांक 01.12.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
2	1. मैसर्स सफल मर्केंटाइल प्रा. लि. 2. सुदर्शन शर्मा 3. आशा शर्मा 4. मैसर्स निशि ट्रेडएक्स प्रा. लि. 5. श्री अमरेश मिश्रा	प्लांट एवं मशनीरी जोकि नॉन वूवन कारपेट मैन्यूफैक्चरिंग मशीनस् इत्यादि जोकि खेवत नं. 168, खाता नं. 179, खसरा और किला नं. 52/5 रोहतक रोड, गाँव झारोठी तहसील खारखोदा जिला सोनीपत में रखी है। (भौतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 20.55 लाख ₹ 2.06 लाख ₹ 0.20 लाख	27-12-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 3,23,57,676/- दिनांक 30.11.2019 तक और दिनांक 01.12.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
3	1. मैसर्स सम्पन्न ज्वैलरी प्रा. लि. 2. श्रीमती रेखा सूद पत्नी श्री राजेश सूद (निदेशक) 3. श्रीमती अनिशा सूद पत्नी श्री विशाल सूद (निदेशक) 4. श्री राजेश सूद पुत्र स्व. श्री गुरुदास मल सूद 5. श्री विशाल सूद पुत्र श्री राजेश सूद (गारंटर)	तृतीय तल पर दक्षिणी-पूर्वी टैरेस, सुपर क्षेत्रफल 910 वर्ग फीट (जिसमे कि 400 वर्ग फीट का निर्मित एरिया सहित), आसमान तक, वार्ड नं. XVI, सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. 2502, प्लॉट नं. 305 में शामिल, एम-ब्लॉक, गुरुद्वारा रोड से प्रवेश, गली नं. 7 और 8, गुरुद्वारा रोड, नाईवाला बिडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली, मालिकाना हक विशाल कुमार उर्फ विशाल सूद, (भौतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 86.00 लाख ₹ 8.60 लाख ₹ 0.50 लाख	27-12-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 9,27,44,196/- दिनांक 30.11.2019 तक और दिनांक 01.12.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)

नियम एवं शर्तें

1. धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 26.12.2019 को सांय 5.00 बजे तक है।
2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भार नही है। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी भी भार, टाइटल और सम्पत्ति पर किसी भी दावे/अधिकार/बकाए के संबंध में बिड जमा करने से पहले स्वयं जांच कर सकते हैं। सम्पत्ति बैंक को ज्ञात और अज्ञात सभी वर्तमान और भविष्य के ऋण-भार सहित बेची जा रही है। तृतीय पक्ष यदि सम्पत्ति पर किसी बकाए / अधिकार के संबंध में कोई दावा करता है, तो इसके लिए किसी भी तरह से प्राधिकृत अधिकारी/जमानती ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा।
3. सम्पत्ति(यों) का निरीक्षण दिनांक 19.12.2019 को पूर्वा. 11.00 से अपरा. 4.00 बजे के बीच किया जा सकता है।
4. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने धरोहर राशि जमा किया है और लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग करने, बोली जमा करने, ई-बिडिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए मैसर्स 4 क्लोज़र, व्यक्ति का नाम जिसे सम्पर्क किया जा सके श्री विकास, मो. 8142000809, 8142000062/66, फोन 040-23836405, वेब: https://bankauctions.in और ईमेल - vikash@bankauction.in और सम्पत्ति से संबंधित पूछताछ के लिए सम्पत्ति प्राधिकृत अधिकारी: श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, मो. नं. 8171626615, 011-26108530/31 ईमेल: rrl_7670@obc.co.in से कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।
5. बोलीदाता अपनी बोली प्रत्येक सम्पत्ति के सामने 'बोली वृद्धि राशि' कालम के तहत वर्णित राशि, के गुणजों में बढ़ा सकेंगे। ई-नीलामी के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होने की स्थिति में अंतिम समय स्वतः 5 मिनट बढ़ जाएगा (असीमित)।
6. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, पहले अदा की गई ईएमडी समायोजित करने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरन्त बाद या ज्यादा से ज्यादा अगले कार्यदिवस तक जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री के 15वें दिन को अथवा उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में पहले जमा की गई राशि जब्त मान्य होगी और सम्पत्ति की नीलामी नए सिरे से की जाएगी तथा चूककर्ता बोलीदाता का सम्पत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।
7. क्रेता को लागू स्टाम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/अंतरण प्रभार, शुल्क इत्यादि और किसी प्राधिकरण को देय सांविधिक/गैर-सांविधिक देयताओं, करों, दरों, आकलनों, प्रभारों, शुल्कों इत्यादि का भी भुगतान वहन करना होगा।
8. उपरोक्त बंधक सम्पत्तियों जो कि ई-नीलामी में लगी है की नीलामी असफल होने की स्थिति में नियमानुसार बैंक प्राईवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री करने का अधिकार रखता है।
(विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया हमारी वेबसाईट: https://www.obcindia.co.in and https://ibapi.in देखें)
9. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए बिक्री को रद्द कर सकता है।

दिनांक 09-12-2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

www.readwhere.com

खबर कोना

भोपाल में सोमवार को एकलव्य राष्ट्रीय जनजाति खेलकुद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान शुभंकर 'मुन्ना' दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते।

भारतीय महिला फुटबॉल टीम नेपाल को हराकर चैंपियन बनीं

पोखरा (नेपाल), 9 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में सोमवार को यहां मेजबान नेपाल को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जीत की नायिका एक बार फिर से स्ट्राइकर बॉला देवी रही जिन्होंने दोनों हाफ में एक-एक गोल किया। मणिपुर की 29 साल की यह खिलाड़ी टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर रहीं। उन्होंने चार मैचों में पांच गोल किए। फाइनल में भारतीय गोलकीपर अदिति चौहान ने शानदार प्रदर्शन किया और नेपाल के हमलों को सफल नहीं होने दिया। अदिति के दमदार खेल के कारण पूरे टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ एक भी गोल नहीं हुआ।

वाडा ने रूस पर चार साल का लगाया प्रतिबंध

लुसाने, 9 दिसंबर (एएफपी)।

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने रूस पर तोक्यो ओलंपिक 2020 और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 सहित वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। वाडा ने रूस पर एक डोपिंगरोधी प्रयोगशाला से गलत आंकड़े देने के आरोप लगाए और इस कारण उस पर चार साल का प्रतिबंध लगा दिया। वाडा की लुसाने में कार्यकारी समिति की बैठक में यह फैसला किया गया। वाडा के एक प्रवक्ता ने कहा, सिफारिशों की पूरी सूची सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली गई है।

सांप की वजह से रुका विदर्भ-आंध्र के बीच का रणजी मैच

विजयवाड़ा, 9 दिसंबर (भाषा)।

एक अजीबोगरीब घटना में विदर्भ और आंध्र के बीच सोमवार को रणजी ट्रॉफी मैच में विलंब हो गया क्योंकि एक सांप मैदान पर घुस गया था। विदर्भ के कप्तान फैज फजल ने टास जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला लिया। खिलाड़ी जैसे ही मैदान पर आए, एक सांप दिखाई दिया जिससे कुछ देर विलंब हो गया। बीसीसीआइ डोमेस्टिक ने 13 सेकंड का वीडियो ट्वीट करके लिखा, सांप की वजह से खेल रुका। मैच शुरू होने से पहले मैदान पर एक मेहमान आया।

कोठारी ने रेवेनटन मास्टर्स स्नूकर का खिताब जीता

मेलबर्न, 9 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय क्यू खिलाड़ी सौरव कोठारी ने यहां कड़े मुकाबले में आस्ट्रेलिया के जोहल यंगर को हराकर रेवेनटन मास्टर्स स्नूकर टूर्नामेंट का खिताब जीता। बेस्ट आफ 11 फ्रेम के फाइनल में कोठारी ने जोहल को 6-5 से हराया। वह आस्ट्रेलिया बिलियर्ड्स एवं स्नूकर परिषद के इस शीर्ष स्नूकर टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इस टूर्नामेंट में आस्ट्रेलिया के शीर्ष 12 खिलाड़ी खेलते हैं। इस साल कोठारी को विशेष आमंत्रण पर बुलाया गया था क्योंकि उन्होंने इस साल जून में रेवेनटन क्लासिक स्नूकर का खिताब जीता था जो आस्ट्रेलिया की ट्रिपल क्राउन स्नूकर प्रतियोगिता है। सेमी फाइनल में कोठारी ने जो मिनिची को 5-1 से हराया जबकि जोहल ने पिछले साल के विजेता स्टीव मिफसुड को 5-2 से शिकस्त दी।

बांबे बुलेट्स ने 5-2 से जीता मैच

इंडियन बॉक्सिग लीग में बंगलुरु ब्रॉलर्स को हराया

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

बाम्बे बुलेट्स ने सोमवार को यहां के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कॉम्पलेक्स के केडी जाधव हॉल में बंगलुरु ब्रॉलर्स को 5-2 से हराकर बिग बाउट इंडियन बॉक्सिग लीग (आइबीएल) में चौथा स्थान हासिल कर लिया।

यह बॉम्बे बुलेट्स की दो मैचों में पहली जीत है जबकि ब्रॉलर्स को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। बॉम्बे बुलेट्स के दो मैचों से अब सात अंक हो गए हैं और वह अंकतालिका में चौथे नंबर पर पहुंच गया है।

पंजाब पैंथर्स और ओडिशा वॉरियर्स के दो-दो मैचों से 10-10 अंक है। वहीं, गुजरात जाएंट्स के दो मैचों से नौ अंक और बंगलुरु ब्रॉलर्स के तीन मैचों से छह अंक हैं। बंगलुरु ब्रॉलर्स को रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता और टीम की कप्तान इंग्रित लोरेना वालेंसिया तथा राष्ट्रीय चैंपियन नवीन बूरा ने क्रम से महिलाओं और पुरुषों के अपने-अपने मुकाबले जीत कर अच्छी शुरुआत दिलाई। वालेंसिया ने महिलाओं के 51 किग्रा में अनामिका और नवीन ने पुरुषों के 69 किग्रा में दिनेश डागर को हराया। बंगलुरु की कप्तान सिमरनजीत सिंह ने महिलाओं की 60 किग्रा में बॉम्बे बुलेट्स की मेलिसा नेओमी गोंजालेज के खिलाफ जीत दर्ज की। बॉम्बे बुलेट्स ने इसके बाद कविंदर सिंह की जीत की मदद से अपनी बढ़त को मजबूत किया। कविंदर ने पुरुषों के 57 किग्रा में बंगलुरु ब्रॉलर्स के गौरव बिधुड़ी को एक कड़े मुकाबले में मात दी। मीनाक्षी ने महिलाओं के 57 किग्रा में प्रिया खुशवाहा को हराकर बंगलुरु को दूसरी जीत दिलाई लेकिन बॉम्बे बुलेटस ने प्रयाग चौहान 75 किग्रा में बंगलुरु के पवन कुमार को हराकर अपनी टीम की जीत पक्की की।

नवीन बूरा बंगलुरु ब्रॉलर्स के दिनेश डागर पर प्रहार करते हुए।

आयुष अधिकारी, डालिमा छिब्बर दिल्ली के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

अजीज कुरैशी और सुरेंदर कुमार को डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया

संतोष ट्रॉफी टीम के सदस्य आयुष अधिकारी और भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम की डिफेंडर डालिमा छिब्बर को फुटबॉल दिल्ली के वार्षिक खेल पुरस्कारों में सोमवार को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया।

संतोष ट्रॉफी में छह गोल करने वाले अधिकारी ने कहा, मैंने इसलिए फुटबॉल खेलनी शुरू की क्योंकि मेरे पिता फुटबॉलर थे और यह मेरे पूरे परिवार का सपना है कि मैं इस खेल में अच्छा करूं। यह पुरस्कार मुझे अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। भारत अंडर-16 के राष्ट्रीय खिलाड़ी रूद्रांश सिंह को सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी (पुरुष) जबकि राष्ट्रीय अंडर-17 की उप कप्तान अवेका सिंह को सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी (महिला) का पुरस्कार मिला। पूर्व खिलाड़ियों अजीज कुरैशी और सुरेंदर कुमार को फुटबॉल दिल्ली डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तरूण राय, संतोष कश्यप और भूपिंदर ठाकुर को फुटबॉल दिल्ली गोल्ड अवार्ड दिया गया।

डालिमा छिब्बर ट्रॉफी ग्रहण करतीं हुईं।

150 रणजी मैच खेलने का रेकार्ड जाफर के नाम

विजयवाड़ा, 9 दिसंबर (भाषा)।

अनुभवी बल्लेबाज वसीम जाफर सोमवार को 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। पिछले दो वर्षों में विदर्भ को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले 41 वर्षीय जाफर ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ ग्रुप ए के मैच में यह उपलब्धि हासिल की।

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज जाफर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने से केवल 853 रन पीछे हैं। सर्वाधिक रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के मामले में जाफर के बाद मध्य प्रदेश के देवेंद्र बुंदेला का नंबर आता है जिन्होंने 145 मैच खेले हैं। अमोल मजूमदार 136 मैच खेलकर तीसरे स्थान पर हैं। जाफर ने कुल 253 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं जिसमें उनके नाम पर 19,147 रन दर्ज है। उन्होंने 57 शतक और 88 अर्धशतक लगाए हैं। आंध्र के खिलाफ मैच में उन्हें पहले दिन बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। आंध्र की टीम कप्तान हनुमा विहारी के 83 रन के बावजूद पहली पारी में 211 रन पर आउट हो गई।

एक दशक बाद टैस्ट खेलने पाक पहुंची श्रीलंका

रावलपिंडी, 9 दिसंबर (एएफपी)

पहला टैस्ट बुधवार से रावलपिंडी में, दूसरा 19 दिसंबर से कराची में

पाकिस्तान में 2009 के आतंकवादी हमले के बाद पहली टैस्ट शृंखला खेलने श्रीलंकाई क्रिकेट टीम यहां पहुंच गई। टैस्ट मैच के लिए पहली बार कोई टीम पिछले दस साल में पाकिस्तान आई है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी वसीम खान ने कहा, श्रीलंकाई टीम का आगमन ऐतिहासिक मौका है और हमें खुशी है कि हम दो मैचों की इस टैस्ट शृंखला की मेजबानी कर रहे हैं। पहला टैस्ट बुधवार से रावलपिंडी में और दूसरा 19 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। पीसीबी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें श्रीलंकाई टीम को इस्लामाबाद से उतरते और सुरक्षाबलों के घेरे में उन्हें निकलते हुए दिखाया गया है। इस दौरे के जरिए पाकिस्तान में टैस्ट क्रिकेट की बहाली होगी। वर्ष 2009 के हमले में आठ लोग मारे गए थे और कई क्रिकेटर जख्मी हुए थे। उसके बाद से पाकिस्तानी टीम अपने सारे मैच संयुक्त अरब अमीरात में खेल रही है। इस बीच पाकिस्तान में जिंबाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी-20 शृंखलाएं खेली गई जबकि घरेलू लीग मैचों में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने खेला। टैस्ट मैच के लिए पहली बार कोई टीम पिछले दस साल में पाकिस्तान आई है।

दिल्ली के खिलाफ केरल की शानदार शुरुआत

थुम्बा (केरल), 9 दिसंबर (भाषा)।

रणजी ट्रॉफी

अनुभवी रोबिन उथप्पा के शतक तथा शीर्ष क्रम के अन्य बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान से केरल ने दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी ग्रुप सी मैच में सोमवार को यहां अच्छी शुरुआत करते हुए पहले दिन तीन विकेट पर 276 रन बनाए।

उथप्पा ने 102 रन की पारी खेली। उन्होंने 221 गेंदों का सामना किया तथा सात चौके और तीन छक्के लगाए। सलामी बल्लेबाज पोन्नम राहुल (97) केवल तीन रन से शतक से चूक गए। उनकी 174 गेंद की पारी में 11 चौके और दो छक्के शामिल हैं। इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी की। केरल ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया जिसके बाद राहुल और जलज सक्सेना (32) ने पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलायी। लेग स्पिनर तेजस बारोका ने सक्सेना को ललित यादव के हाथों कैच कराकर दिल्ली को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद हालांकि दिल्ली को अगली सफलता के लिए 37 ओवर तक इंतजार करना पड़ा। बाएं हाथ के स्पिनर विकास मिश्रा ने राहुल को पगबाधा आउट करके उन्हें शतक पूरा नहीं करने दिया।

दिनेश मोर ने रेलवे को संभाला

मेरठ, 9 दिसंबर (भाषा)।

पहला प्रथम श्रेणी मैच खेल रहे दिनेश मोर (नाबाद 89) और नवनीत विर्क (58) के अर्धशतकों से रेलवे ने शुरुआती झटकों से उबरकर उत्तर प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी मैच के पहले दिन सोमवार को यहां आठ विकेट पर 244 रन बनाए। उत्तर प्रदेश ने टास जीतकर रेलवे को बल्लेबाजी सौंपी तथा फिर उसका स्कोर चार विकेट पर 87 रन कर दिया। मोर और विर्क ने यहीं से पांचवें विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी की। इन दोनों के अलावा अरिंदम घोष (42) ही कुछ योगदान दे पाए। उत्तर प्रदेश की तरफ से यश दयाल ने तीन तथा शिवम मावी और अंकित राजपूत ने दो-दो विकेट लिए हैं।

भारत सैग में 300 पदकों के करीब पहुंचा

काठमांडो, 9 दिसंबर (भाषा)।

आठवें दिन 27 स्वर्ण, 12 रजत और तीन कांस्य सहित 42 पदक जीते

भारत ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों के समापन के एक दिन पहले मुक्केबाजी में छह स्वर्ण के बूते सोमवार को यहां अपने पदकों की संख्या 300 के करीब पहुंचा दी।

प्रतिस्पर्धा के आठवें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 27 स्वर्ण, 12 रजत और तीन कांस्य सहित 42 पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 294 (159 स्वर्ण, 91 रजत और 44 कांस्य) हो गई जिससे वह तालिका मे शीर्ष पर काबिज है। नेपाल 195 पदक (49 स्वर्ण, 54 रजत और 92 कांस्य) दूसरे और श्रीलंका 236 पदक (39 स्वर्ण, 79 रजत और 118 कांस्य) तीसरे स्थान पर है।

भारत को प्रतियोगिता के आखिरी दिन मुक्केबाजी के सात स्पर्धाओं में भाग लेना है ऐसे में गुवाहाटी में 309 पदकों का रेकार्ड टूटना मुश्किल है। भारत हालांकि एक बार फिर 300 पदकों की संख्या को पार करेगा।

सोमवार को भारत को सबसे ज्यादा पदक मुक्केबाजी में मिले। पुरुष वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन अंकित खटाना (75 किग्रा) और उदीयमान कलाइवानी श्रीनिवासन (48 किग्रा) के अलावा विनोद तंवर (49 किग्रा), सचिन (56 किग्रा) और गौरव चौहान (91 किग्रा) ने भी सोने के तमगे जीते जबकि महिला वर्ग में परवीन (60 किग्रा) ने भी स्वर्ण पदक जीता।

विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मनीष कौशिक को हालांकि रजत पदक से संतोष करना पड़ा। गौरव बालियान (पुरुष, 74 किग्रा वर्ग) और अनिता शेरोन (महिला, 68 किग्रा वर्ग) कुश्ती स्पर्धा भारत को दो और स्वर्ण दिलाए। भारत ने कुश्ती स्पर्धा में 14 स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान का समापन किया।

सैग खेलों में कुश्ती की 20 स्पर्धाएं थी लेकिन नियमों के मुताबिक कोई भी देश 14 से अधिक स्पर्धा में भाग नहीं ले सकता है ऐसे में भारत ने पुरूष और महिला वर्ग के सात-सात भार वर्ग में हिस्सा लिया और सभी में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहा।

NxtGen
Infinite Datacenter
presents
The Indian EXPRESS EXCELLENCE IN GOVERNANCE AWARDS
INDIAN EXPRESS GROUP
HONOURING THE FINEST DISTRICT MAGISTRATES IN INDIA
CALL FOR ENTRIES
The Indian Express announces the second edition of The Indian Express Excellence in Governance Awards. The award celebrates District Magistrates across the nation who have been the agents of progress and change.
AWARD CATEGORIES
• Agriculture
• Border Districts
• Child Development
• Community Involvement
• Education
• Energy
• Entrepreneurship
• Health
• Implementation of Central Schemes
• Inclusive Innovation
• Jammu & Kashmir District
• Left Wing Extremism Districts
• North East Districts
• Skill Development
• Social Welfare
• Technology Implementation
• Water Management
• Women Development
To apply visit eigawards.indianexpress.com
LAST DATE FOR ENTRIES | DECEMBER 31, 2019
The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE
IndianExpress.com/apps twitter.com/IndianExpress facebook.com/IndianExpress

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 23, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com